Result Mitra

TARGET UPSC (IAS) 2027/28

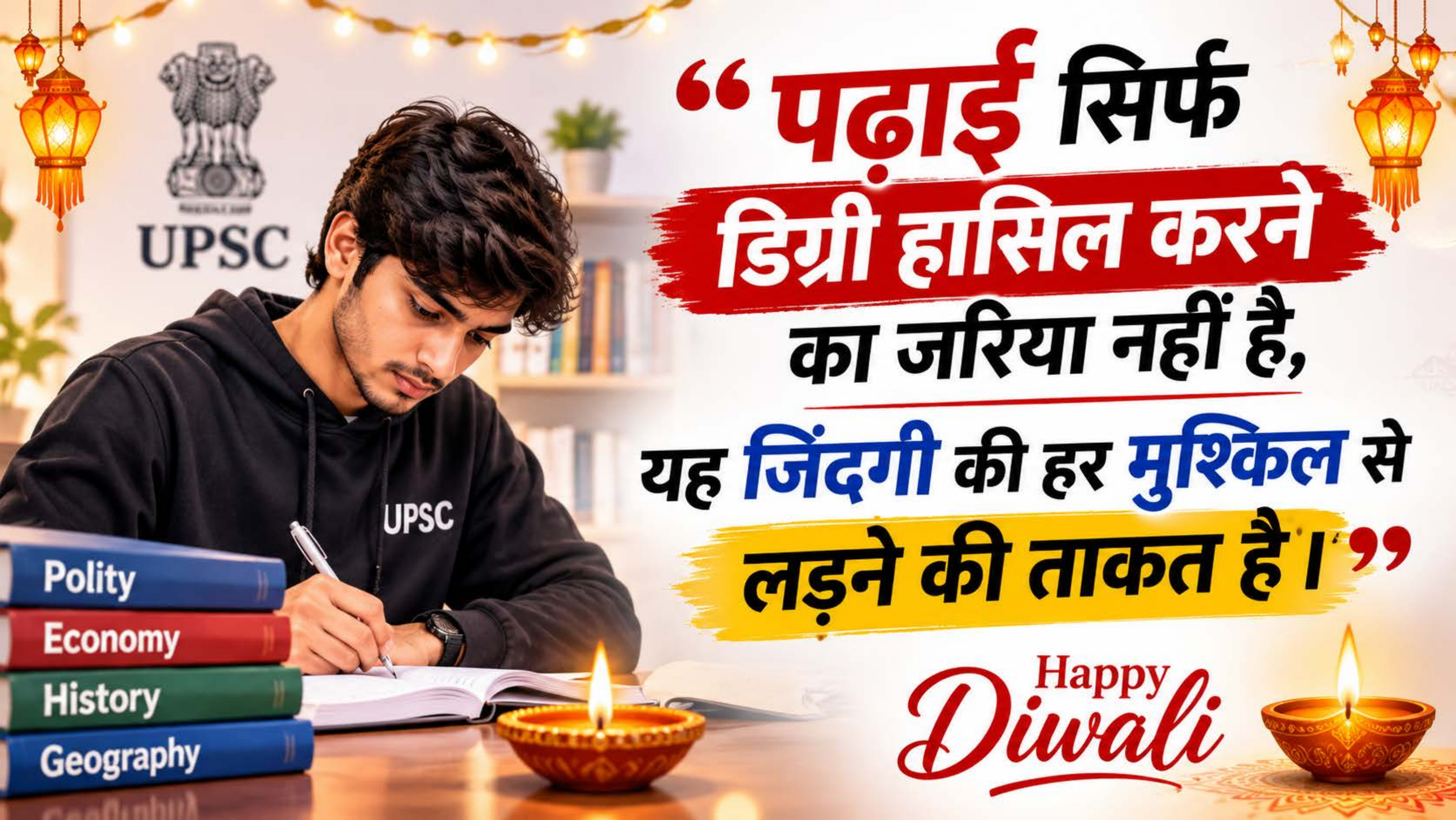
MONTHLY

करेंट अफेयर्स

OCTOBER 2026

By- Dr. Faiyaz Sir





“पढ़ाई सिर्फ डिग्री हासिल करने का जरिया नहीं है, यह जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है।”

Happy Diwali

INDEX

CHAPTER 1

राष्ट्रीय समाचार(National News)

1. NCERT पाठ्यपुस्तक में 'सेंगोल' विवाद
2. भारत में बुनियादी ढांचा विकास (पुल, सुरंगें व एक्सप्रेसवे)
3. राष्ट्रीय सरस मेला 2026 और महिला आर्थिक सशक्तिकरण
4. आज़ाद हिन्द फ़ौज का पहला सैन्य अभियान
5. आंध्र प्रदेश 'कोटिया सीमा विवाद' फिर गहराया
6. काशी तमिल संगमम और तिरुक्कुरल
7. प्रसार भारती: क्या यह वास्तव में एक स्वतंत्र सार्वजनिक सेवा प्रसारक है?
8. उल्लास (ULLAS) योजना के तहत लक्षद्वीप द्वारा पूर्ण साक्षरता हासिल
9. बीमलाइन फॉर स्कूल्स प्रतियोगिता
10. रामाप्पा मंदिर कोयला खदान विवाद
11. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹65 की बढ़ोतरी
12. मणिपुर में 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SoO) समझौता और सुरक्षा स्थिति
13. लद्दाख के 28 स्थानों का मानकीकरण एवं रणनीतिक महत्व
14. पूर्वी असम से ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट (DLB पटकाई)
15. स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2026 (SPIR 2026)
16. इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026
17. तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी 2026
18. कच्चाथीवू द्वीप विवाद
19. भारत में लाइटहाउस पर्यटन और आधुनिकीकरण
20. शिल्प समागम मेला 2026
21. ब्लूमबर्ग की भारत में विस्तार योजनाएं
22. ग्रीन क्रैकर्स और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
23. नुआखाई महोत्सव और 'सेवा सम्मान पर्व'
24. 7वां 'एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 2026'
25. सेना कमांडर सम्मेलन और स्थल युद्ध सिद्धांत 2026
26. तुम्मिदिहट्टी बैराज विवाद
27. भारत का पहला 'एआई × फूड टेक हैकाथॉन' - हैक द फोर्क
28. आरबीआई का नया डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान
29. राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026
30. लद्दाख: भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश
31. अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन 2026
32. ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क और एआई हब

CHAPTER 2

अंतर्राष्ट्रीय समाचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International News & I.R)

1.
2. कार्डिफ समझौता ज्ञापन (Cardiff MoU) 2026
3. फ्लाईदुबई विमान घटना 2026
4. अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले
5. लाओस में चीन का पहला विदेशी वायु सेना बेस
6. भारत-स्विट्ज़रलैंड द्विपक्षीय समझौते (2026)
7. कैलिनिनग्राद विवाद और रूस-नाटो तनाव
8. अमेरिका द्वारा क्यूबा की ऊर्जा एवं ईंधन नाकाबंदी
9. तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026
10. यूएस ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से आईटी फर्मों का निलंबन
11. BIMSTEC द्वारा आतंकवाद पर 'दिल्ली घोषणापत्र' स्वीकृत
12. हंगरी ने कानून से 'एंटी-LGBTQ' प्रावधानों को हटाया
13. चीन-उत्तर कोरिया पुल एक दशक की देरी के बाद खुलेगा
14. ग्रीनलैंड में तेल और खनिज अन्वेषण पर विवाद
15. टिग्रे संघर्ष से इथियोपिया-इरीट्रिया युद्ध की आशंकाएं तेज
16. अल्बर्टा जनमत संग्रह
17. फ्रांस में हिंसक विरोध प्रदर्शन और नागरिक अशांति
18. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2026
19. तुर्किये, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कतर के बीच रक्षा समझौता
20. भारत-पोलैंड द्विपक्षीय वार्ता
21. 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच दिल्ली में आयोजित
22. फ्रांस और यूके का पहला संयुक्त परमाणु हवाई हमला सिमुलेशन
23. 13वीं एडीएमएम-प्लस (ADMM-Plus) बैठक
24. लूला डी सिल्वा चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए
25. रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन और रणनीतिक साझेदारी
26. चीन द्वारा ताइवान के खिलाफ 'कॉग्निटिव वॉरफेयर'
27. भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि
28. इजरायल चुनाव: गठबंधन की चुनौतियां

CHAPTER 3

राजव्यवस्था और शासन (Polity And Governance)

1. UPSC के 100 साल: एक संवैधानिक संस्था का ऐतिहासिक सफर
2. द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026
3. राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) तथा सेवा शर्तें नियम, 2026
4. FCRA संशोधन विधेयक 2026
5. चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला

6. क्या वीज़ा भारत में प्रवेश की गारंटी देता है?
7. अत्यधिक नियमन कैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को दबाता है
8. ग्रेट निकोबार परियोजना: सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार
9. खनिज संशोधन कानून 2026: केंद्र और राज्यों में बढ़ता विवाद
10. यौन अपराधों पर रोक: सुप्रीम कोर्ट का 24 घंटे निगरानी सेल बनाने का निर्देश
11. स्थानीय निकायों में BC आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की याचिका खारिज की
12. UAPA कानून: आतंकवाद-विरोधी प्रावधानों और सुधार की आवश्यकता पर बहस
13. केरलम वरिष्ठ नागरिक विधेयक 2026
14. राज्यपालों की नई नियुक्तियां: राष्ट्रपति द्वारा छह राज्यों में बड़े फेरबदल
15. निवारक नजरबंदी व BNNS 163: प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पर विवाद
16. विचाराधीन कैदी और कानूनी सहायता: लाभ और चुनौतियाँ
17. सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तारी सुरक्षा उपायों पर महत्वपूर्ण निर्णय
18. CEC और ECs की आजीवन इम्युनिटी पर विवाद
19. निर्वाचन आयोग की SSR और SIR प्रक्रियाएं
20. CISF के प्रशासनिक और परिचालन ढांचे में बड़ा बदलाव
21. मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद और अनुच्छेद 371C
22. धर्मांतरण और आरक्षण पात्रता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
23. चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी पर मतदाताओं को सीधे शिकायत का अधिकार
24. फॉर्म 7 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को निर्देश
25. विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की शक्तियाँ और भूमिका
26. न्यूयॉर्क सिटी का 'क्लिक टू कैंसिल' नियम
27. DPDP अधिनियम और पत्रकारिता की स्वतंत्रता का संकट
28. डेटा गोपनीयता कानून के खिलाफ न्यूज पब्लिशर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
29. कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर विवाद
30. NCLT नियुक्तियों में मंत्रालय के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता
31. केरल पीएससी परीक्षा में हेरफेर का मामला

CHAPTER 4

पर्यावरण (Environment)

1. दक्षिण पश्चिम मानसून-2026 में 12.6% की कमी
2. धान की सुस्त सरकारी खरीद)Tardy Paddy Procurement)
3. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण)
4. अर्जेंटीना तट पर सदर्न राइट व्हेल संकट)Southern Right Whale Die-Off)
5. ब्लैक पैंथर
6. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, 2026 एवं भारत की जैव विविधता
7. भारत में क्षय रोग (TB) का उन्मूलन
8. जयपुर ग्राउंड गेको
9. प्रोजेक्ट चीता के तहत पहली बार बंदूक की गोली से चीते की मृत्यु
10. **Error! Reference source not found.**
11. चक्रवात 'अर्नब' (Cyclone Arnab)
12. भारत के नए रामसर स्थल
13. ओपन कोएलिशन ऑन कम्प्लायंस कार्बन मार्केट्स (OCCCM) और भारत
14. प्रोजेक्ट राइनो (Project Rhino)

CHAPTER 5

अर्थव्यवस्था (Economy)

1. घरेलू कर्ज: भविष्य पर आज का भारी खर्च (Household Debt)
2. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: फेज-3 को कैबिनेट की मंजूरी
3. GST राजस्व: सितम्बर में ₹2.03 लाख करोड़ का रिकॉर्ड
4. **भारत का मॉडल** BIT 2015-16
5. वैश्विक बेरोजगारी का संकट
6. नेशनल हाउसहोल्ड ट्रेवल सर्वे 2025-26 (NHTS)
7. राष्ट्रीय एडिटिव विनिर्माण रणनीति (NSAM)
8. भारत का एमएसएमई और विकास कोष
9. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के नियम में बदलाव
10. शेयर बाजार में गिरावट: क्रूड की कीमतें और ब्याज दरें
11. भारत का इस्पात क्षेत्र
12. 57वीं GST काउंसिल बैठक
13. कोर औद्योगिक विकास दर: 7.9% के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर
14. InvITs (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट)
15. **खनिज विनिमय** (Mineral Exchange)
16. भारत ने गरीबी कम करने में 'उल्लेखनीय प्रगति' की, विश्व बैंक
17. **भारत सरकार ने 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' का गठन किया**

CHAPTER 6

विज्ञान और तकनीक से जुड़े समसामयिक मामले (Science and tech current affairs)

1. जेनोकॉर्टिकेशन (Xenocortication)
2. भारत का सुपरकंप्यूटिंग परितंत्र (Supercomputing Ecosystem)
3. एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)

4. 'सूर्या' (FSS-1 / Fleet Support Ship-1) - भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप
5. टिनटाइप फोटोग्राफी (Tintype Photography / Ferrotype)
6. भारत में कुष्ठ रोग (Leprosy) की स्थिति, लक्ष्य और WHO का दृष्टिकोण
7. शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड दवाएं (विनियमन और नियंत्रण)
8. सर्वावैक (Cervavac) - भारत की पहली स्वदेशी qHPV वैक्सीन
9. मेजरना फर्मियान (Majorana Fermion)
10. अंतरिक्ष विज्ञान: नासा का पफिंस (PUFFINS) मिशन
11. बायोफोर्टिफाइड बैंगनी आलू 'कुफरी जामुनिया'
12. सॉलिटरी आइसोलेटेड लिंफॉइड टिश्यू (SILT)
13. सैटेलाइट रेडिएशन और खगोलीय बाधा
14. आदित्य-L1 की नई सफलता
15. जंतुओं में संक्रामक कैंसर
16. एसबीआई डेटा लीक मामला
17. केमिकल सिग्नेचर (रासायनिक हस्ताक्षर)
18. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा: शमोंडा वायरस
19. इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC) 2026
20. GSLV-F18 और NVS-03 प्रक्षेपण

CHAPTER 7
रक्षा एवं सुरक्षा (Defense and Security)

1. ऑपरेशन दृष्टि (Operation Drishti)
2. युद्धपोत 'मंगरोल' नौसेना के बेड़े में शामिल
3. आईएनएस समर्थक
4. आईएनएस त्रिशूल अभ्यास कोंकण-2026 में शामिल
5. आईएनएस सह्याद्रि अभ्यास इंद्र-2026 में शामिल
6. लोकायन 2026: आईएनएस सुदर्शिनी ओमान के सलालाह से रवाना
7. सिम्बेक्स-2026 (SIMBEX)

CHPATER 8
सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

1. पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना
2. गोवर्धन योजना
3. WOMN योजना (केरल सरकार)
4. राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 3.0
5. एकीकृत परिवहन एवं रसद प्राधिकरण (ITLA)
6. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
7. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)
8. पीएम गतिशक्ति के 5 वर्ष: भारत में बुनियादी ढांचा योजना का रूपांतरण
9. भव्या योजना
10. प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY)
11. पम्प-स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाएं
12. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत'
13. 'कैच द रेन' अभियान एवं जल संचय जन भागीदारी
14. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY)
15. अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)
16. SMILE योजना
17. नमस्ते योजना (NAMASTE Yojana)

CHAPTER 9
महत्वपूर्ण पुरस्कार (Important Awards)

1. नोबेल पुरस्कार 2026
2. वाइल्डलाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर 2026
3. SIDM चैंपियन पुरस्कार 2026
4. कैप्टन स्मित मच्छर को UAE का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान
5. अक्टूबर 2026 के महत्वपूर्ण दिवस

CHAPTER 10
खेल (Sports)

1.
2. 20वें एशियाई खेल 2026: आइची-नागोया (जापान)
3. 5वें एशियाई पैरालंपिक खेल (ऐची-नागोया 2026)
4. 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026
5. 41वां यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2026
6. आईसीसी मेन्स ओडीआई विश्व कप 2027:

CHAPTER 11
विविध (Miscellaneous)

1. एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख
2. **नासा के पफिन्स मिशन का नेतृत्व करेंगी राम्या आंचे**
3. **नाना पाटेकर का निधन**
4. **जोगेन चौधरी का निधन**
5. **ब्रिटिश उपन्यासकार जेफरी आर्चर का निधन**
6. **आरजे मिट्टे का निधन**
7. **नमो भारत परिचालन के तीन सफल वर्ष**

राष्ट्रीय समाचार(National News)

NCERT पाठ्यपुस्तक में 'सेंगोल' विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में NCERT की कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में 'सेंगोल' (राजदंड) को शामिल करने पर देश के इतिहासकारों और शिक्षाविदों के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है।



मुख्य तथ्य और विवाद की वजह:

- **NCERT का दावा:** किताब में लिखा गया है कि 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से **सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में** तमिलनाडु के अधीनम संतों से सेंगोल स्वीकार किया था।
- **इतिहासकारों का विरोध:** इतिहासकार राजमोहन गांधी, आदित्य मुखर्जी और अन्य विशेषज्ञों का तर्क है कि इसे आधिकारिक तौर पर 'सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक' मानने का **कोई ठोस ऐतिहासिक दस्तावेजी सबूत नहीं है।** नेहरू या ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड में इसे महज एक धार्मिक संस्था द्वारा दिया गया उपहार माना गया था।
- **लोकतंत्र बनाम राजशाही का तर्क:** आलोचकों का कहना है कि राजदंड ऐतिहासिक रूप से **राजशाही और सामंतशाही का प्रतीक** है, जबकि आधुनिक भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जो संविधान से चलता है।

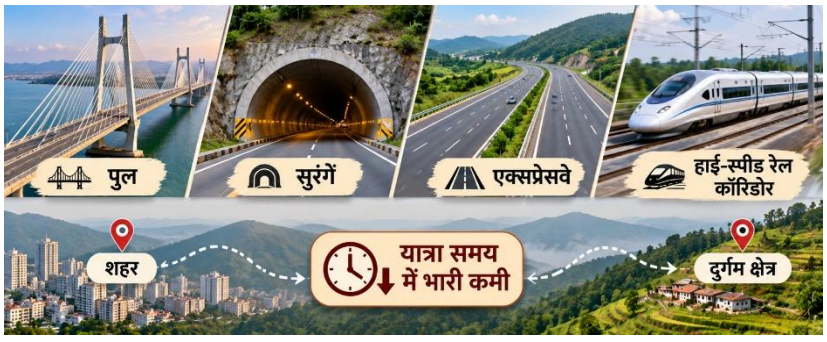
सेंगोल का इतिहास और महत्व:

- **चोल राजवंश से जुड़ाव:** राजदंड की यह परंपरा 1000 वर्ष से भी पुरानी है, जो **चोल वंश** में सत्ता और नैतिक उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उपयोग होती थी।
- **शब्द का अर्थ:** तमिल शब्द **'सेम्मई'** से बना, जिसका अर्थ **'न्यायसंगत शासन'** होता है। इसके शीर्ष पर न्याय और सत्य के प्रतीक **'नंदी' (बैल)** विराजमान हैं।
- **साहित्यिक उल्लेख:** तमिल महाकाव्य *शिलप्पादिकारम* और *तिरुक्कुरल* (सेंगोनमई अध्याय) में इसका वर्णन है।
- **1947 की पृष्ठभूमि:** दावों के अनुसार, स्वतंत्रता सेनानी सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) के सुझाव पर तमिलनाडु के **'तिरुवावदुथुरै अधीनम'** मठ ने इसे तैयार किया था। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे **नए संसद भवन** में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया।

भारत में बुनियादी ढांचा विकास (पुल, सुरंगें व एक्सप्रेसवे)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत भर में निर्मित प्रमुख पुलों, सुरंगों, एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से शहरों और दुर्गम क्षेत्रों के बीच यात्रा समय में दर्ज की गई भारी कमी चर्चा में रही।



प्रमुख पुल (Bridges):

- **भूपेन हज़ारिका सेतु (धोला-सदिया):** यह **लोहित नदी** (ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी) पर स्थित है। यह असम के 'धोला' गाँव को अरुणाचल प्रदेश के 'सदिया' से जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा जल पर बना **(लंबाई: 9.15 किलोमीटर)** नदी पुल है।
- **बोगीबील पुल:** यह असम में **ब्रह्मपुत्र नदी** पर निर्मित, जो धेमाजी जिले को डिब्रूगढ़ जिले से जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा **रेल-सह-सड़क** पुल (लंबाई: **4.94 किमी**) है।
- **अटल सेतु: ठाणे क्रीक** के ऊपर निर्मित, जो मध्य मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई के चिरले से जोड़ता है। यह **भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल (21.8 किलोमीटर)** है।
- **कोसी रेल महासेतु:** बिहार में **कोसी नदी** पर स्थित, जो निर्मली और सरायगढ़ को जोड़ता है।
- **सिसेरी नदी पुल (अरुणाचल प्रदेश):** दिबांग घाटी और सियांग को जोड़ने वाला पुल।

महत्वपूर्ण सुरंगें (Tunnels):

- **अटल सुरंग (हिमाचल प्रदेश):** यह पूर्वी पीर पंजाल हिमालय श्रृंखला में **रोहतांग दर्रे** के नीचे **10,040 फीट** की ऊंचाई पर स्थित है। यह 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग (9.02 किलोमीटर) है।
- **डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग (चेनानी-नाशरी):** यह जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी द्विदिश सड़क सुरंग (**लंबाई: 9.28 किलोमीटर**) है।
- **बनिहाल-काजीगुंड टनल (J&K):** यह जम्मू संभाग के बनिहाल को कश्मीर घाटी के काजीगुंड से जोड़ती है। यह **8.45 किलोमीटर** लंबी **ट्विन-ट्यूब** सुरंग है। प्रत्येक ट्यूब में यातायात के लिए दो लेन हैं।
- **सेला सुरंग (अरुणाचल प्रदेश):** यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों के बीच **13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई** पर स्थित है।

प्रमुख एक्सप्रेसवे (Expressways):

- **समृद्धि महामार्ग (महाराष्ट्र):** 701 किमी लंबा मुंबई-नागपुर एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे।
- **अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे:** धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे।
- **दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे:** श्री माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल और औद्योगिक गलियारे को जोड़ने वाली परियोजना।
- **दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे:** 8-लेन वाला भारत का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे।

रेलवे व हाई-स्पीड कॉरिडोर (Railways & HSR):

- **वंदे भारत स्लीपर:** हावड़ा-गुवाहाटी मार्ग पर पहली 16 एसी कोच वाली स्लीपर सेवा।
- **मुंबई-अहमदाबाद HSR:** 508 किमी लंबा कॉरिडोर (320 किमी/घंटा); **ठाणे क्रीक** के नीचे भारत की पहली 7 किमी लंबी **समुद्र के नीचे (Under-sea)** रेल सुरंग।
- **प्रस्तावित 7 HSR कॉरिडोर (बजट 2026-27):** दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी, चेन्नई-बेंगलुरु, बेंगलुरु-हैदराबाद, चेन्नई-हैदराबाद, मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद ।

राष्ट्रीय सरस मेला 2026 और महिला आर्थिक सशक्तिकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुन्नामी घाट, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में **राष्ट्रीय सरस मेला 2026** का उद्घाटन किया तथा महिलाओं को 'लखपति दीदी' से 'करोड़पति दीदी' (₹1 करोड़ तक का कारोबार) बनाने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय सरस मेला के बारे में



- **SARAS का पूर्ण रूप:** *Sale of Articles of Rural Artisans Society* (ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों की बिक्री का मंच)। यानी यह मेला ग्रामीण महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पादों, कला और उद्यम को सीधे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का मंच है।
- **आयोजन स्थल:** पुन्नामी घाट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश।
- **विशेषता:** यह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर आयोजित होने वाला **पहला** राष्ट्रीय सरस मेला है।
- **भागीदारी:** 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 1,500 महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) उद्यमी और लखपति दीदियां ।

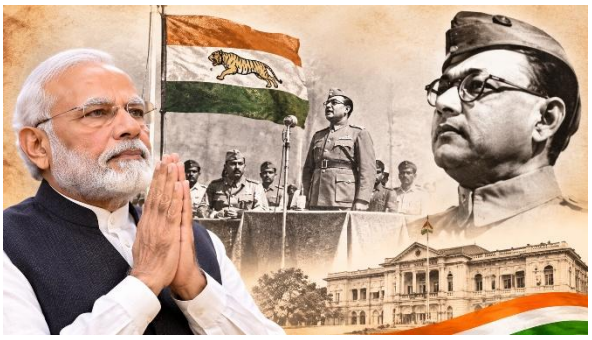
'लखपति दीदी' योजना

- **संबंधित योजना:** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत)।
- **परिभाषा:** स्वयं सहायता समूह (SHG) परिवार की वह महिला जिसकी न्यूनतम वार्षिक घरेलू आय कम से कम **₹1 लाख** हो (आय की स्थिरता का आकलन कम से कम चार कृषि ऋतुओं या व्यावसायिक चक्रों के आधार पर किया जाता है)।
- **लक्ष्य अपडेट:**
  - वर्ष 2023 में 2 करोड़ और 2024 में 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था (दिसंबर 2025 तक 3 करोड़ का मील का पत्थर हासिल)।
  - फरवरी 2026 में सरकार ने इसे बढ़ाकर **6 करोड़ लखपति दीदी** का संशोधित लक्ष्य घोषित किया है।

आज़ाद हिन्द फ़ौज का पहला सैन्य अभियान

चर्चा में क्यों?

21 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में सिंगापुर में गठित 'आजाद हिंद सरकार' के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देकर श्रद्धांजलि अर्पित की है।



आजाद हिंद फौज का पहला सैन्य अभियान (1944):

- **भारतीय धरती पर ऐतिहासिक कदम:** मार्च 1944 में INA के सैनिकों ने नेताजी के नेतृत्व में *"दिल्ली चलो"* के युद्धघोष के साथ बर्मा (म्यांमार) सीमा के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर धावा बोला, जिसे **'इम्फाल और कोहिमा अभियान'** के नाम से जाना जाता है
- **मोइरांग में पहला ध्वजारोहण:** इसी अभियान के दौरान **14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक ने मणिपुर के मोइरांग** में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकते हुए पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया था।
- **अभियान की चुनौतियाँ:** भारी बारिश, रसद की भीषण कमी और द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना के पीछे हटने के कारण यह अभियान सैन्य रूप से पूर्ण सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पूरी तरह हिला दी।

इतिहास को सम्मान देने के लिए पीएम मोदी के 4 बड़े कदम:

- **लाल किले पर ध्वजारोहण (2018):** आज़ाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने **21 अक्टूबर को लाल किले पर तिरंगा फहराया।** यह 15 अगस्त के अलावा वहां पहली बार हुआ ध्वजारोहण था।
- **द्वीपों का नामकरण:** नेताजी द्वारा 1943 में अंडमान-निकोबार को मुक्त कराने की याद में 'रॉस द्वीप' का नाम **'नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप'** और 'हैवलॉक' का नाम **'स्वराज द्वीप'** किया गया।
- **राजपथ परेड (2019):** देश के इतिहास में पहली बार 2019 की गणतंत्र दिवस परेड में **INA के वयोवृद्ध सैनिकों को शामिल कर** राष्ट्रीय सलामी दी गई।
- **वीरता को नमन:** पीएम मोदी ने आजादी के लिए इंतजार न करने वाले 'शेर' (नेताजी) के विजन को आज के आत्मनिर्भर भारत की मुख्य प्रेरणा बताया है।

आंध्र प्रदेश 'कोटिया सीमा विवाद' फिर गहराया

चर्चा में क्यों?

अक्टूबर 2026 में आंध्र प्रदेश द्वारा 21 विवादित गांवों में **पंचायत चुनाव कराने की घोषणा** करने, सौर पैनल लगाने, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने और पुलिस चौकियाँ स्थापित करने से यह विवाद फिर गहरा गया है। इसके खिलाफ ओडिशा सरकार ने **सुप्रीम कोर्ट** में अवमानना याचिका दायर की है और सीमा पर पुलिस तैनात कर दी है।

विवाद क्या है?

यह 21 गांवों की सीमा (कोटिया ग्राम पंचायत) को लेकर दो राज्यों के बीच का भू-भाग विवाद है:



- **ओडिशा का दावा:** ये गांव उसके कोरापुट जिले के पोटांगी ब्लॉक का हिस्सा हैं।
- **आंध्र प्रदेश का दावा:** ये गांव उसके पार्वतीपुरम मन्यम (विजयनगरम) जिले के सलूर मंडल का हिस्सा हैं।

विवाद के कारण

- **अस्पष्ट सीमांकन:** राज्यों के गठन के समय ब्रिटिश काल की प्रशासनिक सीमाओं का कोई स्पष्ट नक्शा या सीमांकन तैयार नहीं किया गया था।
- **दोहरा दावा:** ओडिशा इसे अपने ऐतिहासिक प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपना कहता है, जबकि आंध्र प्रदेश यहाँ की तेलुगु भाषी आबादी और सामाजिक संपर्कों के आधार पर दावा ठोकता है।
- **यथास्थिति का उल्लंघन:** सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दोनों राज्यों को यहाँ 'यथास्थिति' बनाए रखने को कहा था, लेकिन आंध्र प्रदेश द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास और चुनाव कराने से इसका उल्लंघन हुआ है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

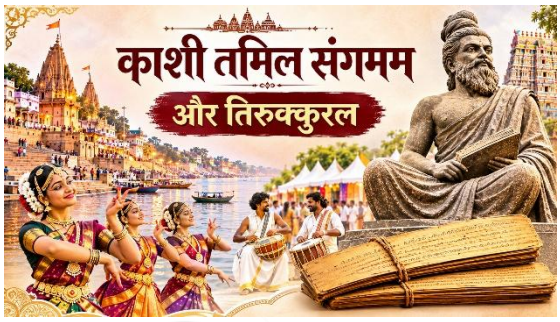
- **1936 व 1956:** वर्ष 1936 में ओडिशा राज्य के गठन और 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समय से ही कोटिया क्षेत्र की सीमाओं को लेकर भ्रम बना रहा।
- **1968 की याचिका:** ओडिशा सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए सबसे पहले 1968 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

- **संवैधानिक प्रावधान:** यह मामला संविधान के **अनुच्छेद 131** (सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार) और **अनुच्छेद 263** (अंतर-राज्यीय परिषद) के तहत आता है।

काशी तमिल संगमम और तिरुक्कुरल

चर्चा में क्यों?

काशी तमिल संगमम 5.0 का आयोजन **28 नवंबर से 12 दिसंबर 2026** तक वाराणसी में होने जा रहा है। इस बार का मुख्य फोकस प्रसिद्ध क्लासिकल तमिल ग्रंथ **'तिरुक्कुरल'** पर है।



काशी तमिल संगमम क्या है?

- **उद्देश्य:** यह 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना के तहत काशी (वाराणसी) और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, बौद्धिक और ऐतिहासिक संबंधों को फिर से जोड़ने एवं उजागर करने की एक पहल है।
- **आयोजन:** इसका 5वाँ संस्करण **28 नवंबर से 12 दिसंबर 2026** तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय द्वारा IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) आदि के सहयोग से किया जा रहा है।
- **थीम:** इस वर्ष का विषय **"तिरुक्कुरल पायिलवोम – तिरुक्कुरल अभ्यास करें" (आओ तिरुक्कुरल सीखें)** है।

तिरुक्कुरल से जुड़े प्रमुख तथ्य

- **रचयिता:** यह प्राचीन तमिल भाषा का एक महान ग्रंथ है, जिसकी रचना महान तमिल कवि और संत **तिरुवल्लुवर** ने की थी।
- **संरचना:** इसमें कुल **1,330 दोहे (कुराल)** हैं, जिन्हें **133 अध्यायों** में बांटा गया है।
- **तीन प्रमुख खंड :** इस ग्रंथ को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:
  - **अरम:** सदाचार, नैतिकता और धार्मिक जीवन से संबंधित।
  - **पोरुल:** धन, राज्य-व्यवस्था, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रबंधन से संबंधित।
  - **इनबम / काममः** प्रेम और सुख-संबंधी मानवीय भावनाओं पर केंद्रित।

प्रसार भारती: क्या यह वास्तव में एक स्वतंत्र सार्वजनिक सेवा प्रसारक है?

चर्चा में क्यों?

हाल के मीडिया विमर्शों ने एक बार फिर **प्रसार भारती की वास्तविक स्वायत्तता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं**। आरोप है कि गठन के इतने वर्षों बाद भी यह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) की तरह स्वतंत्र लोक सेवा प्रसारक बनने के बजाय एक 'दिखावे का स्वायत्त संस्थान' या सरकारी मुखपत्र बनकर रह गया है।

प्रसार भारती: एक नज़र में



- **प्रकृति:** यह एक **स्वायत्त वैधानिक निकाय** है, जिसे प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत 23 नवंबर 1997 को स्थापित किया गया था।
- **नोडल मंत्रालय:** यह **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** के प्रशासनिक दायरे में काम करता है।
- **दो प्रमुख घटक:**
  1. **आकाशवाणी (AIR):** आदर्श वाक्य — *"बहुजन हिताय बहुजन सुखाय"*
  2. **दूरदर्शन (DD):** आदर्श वाक्य — *"सत्यम शिवम सुंदरम"*
- **नियुक्ति:** अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति (अध्यक्ष: उपराष्ट्रपति) की सिफारिश पर की जाती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **जवाहरलाल नेहरू का विजन (1948):** उन्होंने प्रसारण ढांचे को सरकारी विभाग के बजाय एक 'अर्ध-स्वायत्त निगम' बनाने की वकालत की थी।
- **आपातकाल (1975) व वर्गीज समिति:** आपातकाल में मीडिया के दुरुपयोग के बाद **बी.जी. वर्गीज समिति** ने पूर्ण स्वायत्तता की सिफारिश की, जिससे 1990 का अधिनियम बना।
- **सैम पित्रोदा समिति (2014):** इसने प्रसार भारती को सरकार से **'आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप' (सुरक्षित दूरी)** बनाए रखने का सुझाव दिया था।

स्वायत्तता पर संकट के प्रमुख कारण

- **कानूनी धाराओं का निलंबन:** अधिनियम की **धारा 13** (स्वायत्तता की रक्षा के लिए 22 सांसदों वाली संसदीय समिति) और **धारा 14-15** (नागरिकों की शिकायत सुनने के लिए 'ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल') को आज तक लागू नहीं किया गया।

- **वित्तीय व प्रशासनिक अधीनता:** यह बजट, वेतन और आधुनिकीकरण (जैसे BIND योजना) के लिए पूरी तरह सरकारी अनुदान पर निर्भर है।
- **मानव संसाधन का संकट:** 2021 के ऑडिट के अनुसार, 70% कर्मचारी केवल इंजीनियरिंग/ट्रांसमिशन में हैं, जबकि कंटेंट और पत्रकारिता से जुड़े पेशेवर 20% से भी कम हैं।
- **हालिया गाइडलाइंस:** मंत्रालयों/राज्यों के सीधे प्रसारण पर रोक लगाकर सभी सरकारी प्रसारणों को केवल प्रसार भारती के माध्यम से करने के निर्देश ने इसकी 'सरकारी ब्रॉडकास्टर' वाली छवि को और पुख्ता किया है ।

उल्लास (ULLAS) योजना के तहत लक्षद्वीप द्वारा पूर्ण साक्षरता हासिल

चर्चा में क्यों?



अक्टूबर 2026 में लक्षद्वीप को **'उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' (ULLAS)** के तहत **100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश (UT)** घोषित कर दिया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा 12 अक्टूबर 2026 को लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा की गई।

मुख्य बिंदु

- **लक्षद्वीप की उपलब्धि:** लक्षद्वीप के सभी चिन्हित शिक्षार्थियों ने 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा' को सफलतापूर्वक पास कर लिया है।
- **घर-घर जाकर मूल्यांकन:** परीक्षा केंद्रों तक न पहुंच पाने वाले दिव्यांग या अक्षम शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा **घर-घर जाकर** मूल्यांकन किया गया।
- **अन्य सफल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:** लक्षद्वीप इस योजना के तहत साक्षर घोषित होने वाला **5वां केंद्र शासित प्रदेश (UT)** बना है। वर्ष 2024 से 2026 के बीच उल्लास (ULLAS) के तहत कुल 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - **केंद्र शासित प्रदेश:** लद्दाख (पहला UT - जून 2024), चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, तथा लक्षद्वीप ।
  - **राज्य: मिजोरम** (पहला राज्य - मई 2025), गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड ।
- **'100% साक्षरता' का वास्तविक अर्थ:** उल्लास (ULLAS) ढांचे के तहत, यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की **साक्षरता दर 95% या उससे अधिक** हो जाती है, तो उसे 'पूर्ण साक्षर' मान लिया जाता है। यह वयस्क साक्षरता (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लक्ष्य पर केंद्रित है।

उल्लास (ULLAS) योजना के बारे में

- **पूरा नाम:** Understanding of Lifelong Learning for All in Society (समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ)। इसे **'न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम'** भी कहा जाता है।
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- **कार्यान्वयन अवधि:** वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक।
- **मूल दर्शन:** यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप **स्वयंसेवा** और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है।

बीमलाइन फॉर स्कूल्स प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **वर्ष 2026 की 'बीमलाइन फॉर स्कूल्स प्रतियोगिता' में भारत की स्कूली टीमों ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान बनाकर अपनी वैज्ञानिक क्षमता को साबित किया है।** भारत इस वैश्विक प्रतियोगिता में लगातार असाधारण प्रदर्शन करने वाले अग्रणी देशों में शामिल रहा है।



बीमलाइन फॉर स्कूल्स (BL4S) प्रतियोगिता क्या है?

- **उद्देश्य:** दुनिया भर के हाई-स्कूल (कक्षा 9 से 12 तक) के छात्रों को पेशेवर वैज्ञानिकों की तरह भौतिकी के नए प्रयोगों (Experiments) को डिजाइन करने का अवसर देना।
- **प्रक्रिया:** छात्र 5 से 9 सदस्यों की टीम बनाकर एक शोध प्रस्ताव और 1 मिनट का वीडियो सबमिट करते हैं।
- **पुरस्कार:** विजेता टीमों को **CERN (स्विट्जरलैंड)** या **DESY (जर्मनी)** की विश्वस्तरीय प्रयोगशालाओं में जाकर 10-12 दिनों तक पूरी तरह से वित्तपोषित वैज्ञानिक उपकरणों पर अपना प्रयोग करने का मौका मिलता है।
- **भारत का ट्रैक रिकॉर्ड:**
  - **2018:** भारत की 'Cryptic Ontics' टीम विजेता बनी थी।

- **2024 और 2026:** भारतीय टीमों ने शीर्ष विजेताओं (Global Winners) में स्थान प्राप्त किया।

बीमलाइन क्या होती है?

- **परिभाषा:** जब किसी कण त्वरक (**Particle Accelerator**) में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों या अन्य उप-परमाणु कणों को प्रकाश की गति के करीब दौड़ाया जाता है, तो उनसे निकलने वाली उच्च-ऊर्जा कणों की किरण (Beam) जिस नियंत्रित रास्ते या पाइप से होकर गुजरती है, उसे **बीमलाइन** कहते हैं।
- **अनुप्रयोग:** वैज्ञानिक इस बीमलाइन के सामने डिटेक्टर्स और विभिन्न सामग्रियां रखकर यह जांचते हैं कि ब्रह्मांड के मूलभूत कण आपस में कैसे व्यवहार करते हैं।

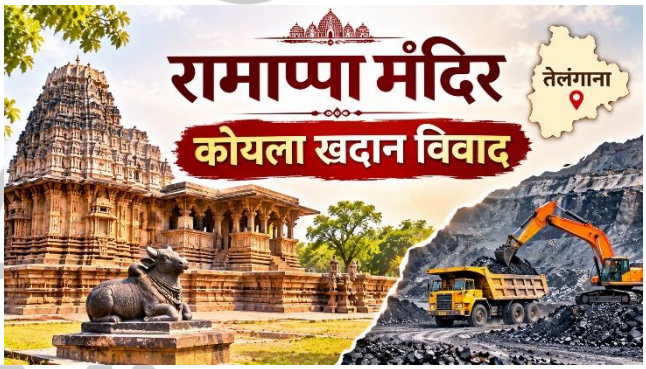
संबद्ध प्रमुख वैश्विक वैज्ञानिक संस्थान

- **CERN (यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन):**
  - यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला है।
  - यहाँ विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली कण त्वरक **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (Large Hadron Collider - LHC)** स्थित है।
  - **भारत की स्थिति:** भारत CERN का एक **एसोसिएट सदस्य देश** है।
- **DESY (जर्मन इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन):**
  - यह हैम्बर्ग, जर्मनी में स्थित एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, जो कण त्वरक के विकास और पदार्थ की संरचना की जांच के लिए प्रसिद्ध है।

रामाप्पा मंदिर कोयला खदान विवाद

चर्चा में क्यों?

अक्टूबर 2026 में, काकतीय हेरिटेज ट्रस्ट और कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के मुलुगु जिले (पालमपेट गांव) में प्रस्तावित **PVNR ओपनकास्ट कोयला खदान** का तीव्र विरोध किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए इसके खिलाफ 15 गांवों में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।



विवाद का मुख्य कारण व चिंताएं

- **परियोजना व अवस्थिति:** सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित यह खदान **रामाप्पा मंदिर और रामाप्पा झील से 5 किमी नीचे** स्थित है, जहाँ 300 मीटर गहरी खुदाई होगी।
- **नींव पर खतरा:** मंदिर **'सैंड-बॉक्स तकनीक'** पर टिका है। गहरी खुदाई से भूवैज्ञानिक रेखाओं के जरिए पानी का रिसाव तेज होगा, जिससे मंदिर की नींव असुरक्षित हो सकती है।
- **कंपन:** मंदिर के 'रंग मंडपम' में पहले से दरारें हैं। खदान में होने वाले लगातार विस्फोटों के कंपन से इस 800 साल पुराने ढांचे को नुकसान पहुँचेगा।
- **UNESCO स्टेटस:** कार्यकर्ताओं को डर है कि इस खनन से मंदिर का **यूनेस्को विश्व धरोहर दर्जा** छिन सकता है।

रामाप्पा मंदिर के बारे में

- **नाम व निर्माण:** इसे **काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर** भी कहते हैं। इसका निर्माण **1213 ईस्वी** में काकतीय शासनकाल के दौरान सेनापति रेचर्ला रुद्र ने कराया था। इसके शिल्पकार 'रामाप्पा' थे।
- **यूनेस्को मान्यता:** इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।
- **विशेषता:** इसमें 'तैरने वाली ईंटों' का प्रयोग हुआ है और यह अपनी बेसाल्ट पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹65 की बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा त्योहारों से ठीक पहले 19 किग्रा व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹65 और 5 किग्रा फ्री-ट्रेड सिलेंडर में ₹15 की बढ़ोतरी की गई है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की दरें अपरिवर्तित रखी गई हैं।



पृष्ठभूमि एवं मूल्य निर्धारण तंत्र

- **सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस:** भारत में कमर्शियल LPG की दरें बाजार संचालित होती हैं और सीधे अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क **Saudi CP** (प्रोपेन और ब्यूटेन का वैश्विक मूल्य) से जुड़ी होती हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय कारक:** वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल और Saudi CP में वृद्धि के कारण तेल कंपनियों द्वारा भारत में व्यावसायिक एलपीजी की दरों में संशोधन किया जाता है।

- **विमानन ईंधन (ATF):** अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण इसी अवधि में एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की दरों में भी ₹16 से ₹137 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है।

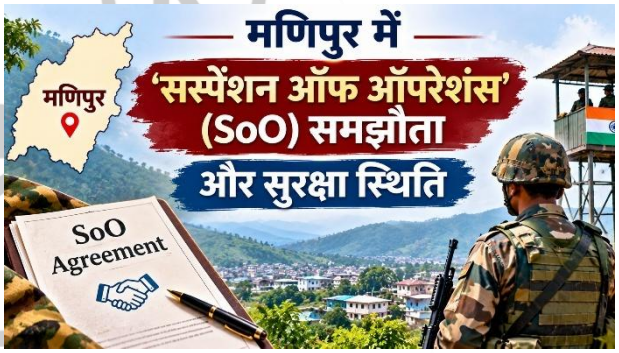
एलपीजी (LPG) का रासायनिक संगठन:

- **भौतिक प्रकृति:** LPG (Liquefied Petroleum Gas) मुख्य रूप से **द्रवीभूत हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण** है।
- **मुख्य घटक:**
  - **प्रोपेन (C_3H_8):** ठंडे इलाकों और औद्योगिक उपयोग में अधिक प्रभावी।
  - **ब्यूटेन (C_4H_{10}):** घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों में प्रोपेन के साथ ब्यूटेन का अनुपात अधिक रखा जाता है।
- **अन्य घटक:** इसमें अल्प मात्रा में **आइसोब्यूटेन (C_4H_{10})** तथा **प्रोपिलीन/ब्यूटिलीन** जैसे हाइड्रोकार्बन भी शामिल होते हैं।
- **एलपीजी में गंध:** शुद्ध अवस्था में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही **रंगहीन** तथा **गंधहीन** होती हैं। गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें तीव्र गंध वाला रसायन **इथाइल मर्कैप्टन / एथेनेथिओल (C_2H_5SH)** मिलाया जाता है।
- **कारण:** इसकी गंध सड़े हुए अंडे या सड़ी सब्जी की तरह तेज और तीखी होती है, जिससे गैस का जरा सा भी रिसाव होने पर दुर्घटना से बचाव संभव होता है।

मणिपुर में 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SoO) समझौता और सुरक्षा स्थिति

चर्चा में क्यों?

मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच, केंद्र सरकार ने कुकी-जो समूहों के साथ 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SoO) समझौते को आगे नहीं बढ़ाया है और इसे फिलहाल स्थगित रखा है।



'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SoO) क्या है?

- **प्रकृति:** यह केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी-ज़ो उग्रवादी संगठनों के बीच 22 अगस्त 2008 को हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय युद्धविराम (Ceasefire) समझौता है।
- **शामिल संगठन:** कुकी उग्रवादियों के दो शीर्ष संगठन—कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO) और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (UPF) (इनके तहत लगभग 25 उग्रवादी गुट आते हैं)।
- **उद्देश्य:** मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में उग्रवाद रोककर शांतिपूर्ण राजनीतिक वार्ता का मार्ग प्रशस्त करना।

मुख्य नियम एवं शर्तें:

- **ऑपरेशंस पर रोक:** सुरक्षा बलों और कुकी उग्रवादियों दोनों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयों पर पूर्ण रोक।
- **नामित शिविर (Designated Camps):** उग्रवादी कैडरों का सरकार द्वारा चिह्नित 14 विशेष कैंपों (जैसे चूराचाँदपुर, कांगपोकपी) में रहना अनिवार्य है।
- **हथियारों का प्रबंधन:** हथियार सुरक्षा बलों और कैंप कमांडर की संयुक्त चाबी वाली 'डबल-लॉकिंग प्रणाली' के तहत जमा रहते हैं।
- **निगरानी संस्था:** नियमों के अनुपालन की देखरेख संयुक्त निगरानी समूह (JMG) करता है।

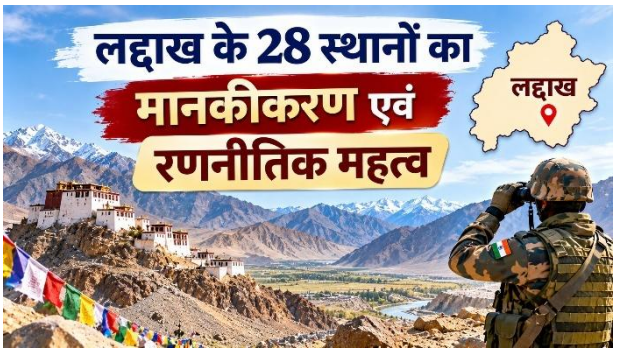
वर्तमान स्थिति, विवाद और मानवीय पहलू:

- **हथियार समर्पण की शर्त:** सरकार का रुख है कि समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक समूह अपने सभी हथियार पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं कर देते।
- **रद्द करने की मांग:** मैतेई आबादी और नागा नागरिक समाज संगठनों ने सोओ (SoO) समझौते को पूरी तरह से निरस्त (Abrogate) करने की मांग की है।
- **उल्लंघन के आरोप व सख्ती:** उग्रवादियों पर कैंपों से बाहर निकलकर जातीय हिंसा और जबरन वसूली में शामिल होने के आरोप हैं। इसके चलते सुरक्षा बलों ने सभी 14 शिविरों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) शुरू किया है और भत्तों को आधार-लिंक्ड खातों से जोड़ा है।
- **वित्तीय सहायता:** मणिपुर कैबिनेट ने 3 मई 2023 से शुरू हुई हिंसा के दौरान लापता हुए 49 लोगों के परिजनों को ₹10-10 लाख की एकमुश्त सहायता देने का निर्णय लिया है (हिंसा में अब तक 306 लोगों की जान गई है और 60,000 से अधिक विस्थापित हुए हैं)।

लद्दाख के 28 स्थानों का मानकीकरण एवं रणनीतिक महत्व

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने लद्दाख प्रशासन के परामर्श से क्षेत्र की 28 भौगोलिक संरचनाओं के आधिकारिक नामों का मानकीकरण किया है, जिन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शों पर दर्ज किया गया है।



प्रमुख विशेषताएं एवं भौगोलिक वर्गीकरण:

- **11 चोटियां:** अतीशा गिरी, कनिष्क पीक, मार्तंड गिरी, जोरावर पीक, रिनचेन ज़ंगपो, शाक्यश्री गिरी, मारपा लोत्सावा री, मिलारेपा कांगड़ी, शिव री और महेश्वर री।
- **5 पर्वत:** करुण पीर, द्राक कार्पो और जोलमोरी।
- **6 भूमि क्षेत्र:** ब्रांग्सा, कुक्सेल, देहरा कम्पास, गोगरा, कुमारयान पॉइंट, पांगलुंग और श्यामल लुंगपा।
- **2 हिमनद:** परपिक और स्काामरी ग्लेशियर।
- **2 दर्रे:** चपचिंगल दर्रा और शशमिर्क दर्रा।
- **अन्य निकाय:** 1 घाटी (श्कोर्गा घाटी), 1 नदी (यांग्पा नदी), 1 झील (गुरु रीनपोछे) और 1 जल निकाय (हॉट स्प्रिंग)।

रणनीतिक एवं संस्थागत तथ्य:

- **चीन की नीति का जवाब:** यह कदम LAC पर चीन की 'कार्टोग्राफिक आक्रामकता' का मुकाबला करने के लिए उठाया गया है (अरुणाचल प्रदेश के बाद ऐसा दूसरा बड़ा कदम)।
- **गोगरा और हॉट स्प्रिंग:** पूर्वी लद्दाख के ये दोनों क्षेत्र अप्रैल 2020 से भारत-चीन सैन्य गतिरोध के प्रमुख केंद्र रहे हैं।
- **भारतीय सर्वेक्षण विभाग:** यह भारत का राष्ट्रीय मानचित्रण संगठन है, जो **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

पूर्वी असम से ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट (DLB पटकाई)

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ (असम) स्थित बोगीबील टर्मिनल से पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्गो जहाज **'DLB पटकाई'** को रवाना किया। वर्ष 1947 के बाद पूर्वी असम से रवाना होने वाला यह पहला अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट है।



शिपमेंट और मार्ग की मुख्य विशेषताएं:

- **कार्गो सामग्री:** राज्य के स्वामित्व वाली 'असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड' (नामरूप) द्वारा उत्पादित 540 मीट्रिक टन मेथनॉल।
- **गंतव्य:** बांग्लादेश के नारायणगंज स्थित **पानगांव बंदरगाह**।
- **मार्ग एवं दूरी:** ब्रह्मपुत्र नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-2) के माध्यम से भारत-बांग्लादेश सीमा तक लगभग 768 किमी और आगे 'भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग' से बांग्लादेश तक (कुल दूरी ~1,300 किमी)।
- **सुविधाएं:** सुचारू परिवहन हेतु बोगीबील और धुबरी में सीमा शुल्क तथा आप्रवासन (Immigration) परिसर स्थापित किए गए हैं।

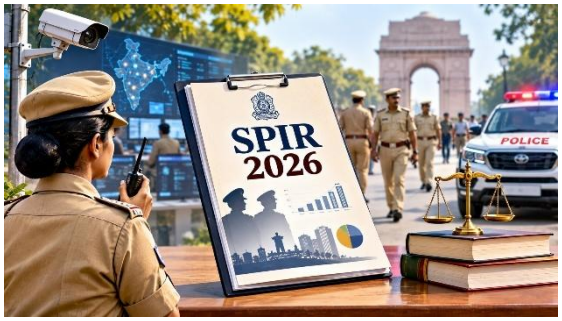
ऐतिहासिक एवं भौगोलिक संदर्भ:

- **राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (NW-2):** ब्रह्मपुत्र नदी का **सादिया से धुबरी** तक का 891 किमी का हिस्सा वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 घोषित किया गया था।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - डिब्रूगढ़ घाट पूर्व में कोलकाता तक स्टीमर सेवाओं के साथ सबसे व्यस्त नदी बंदरगाहों में से एक था।
  - 1950 के भीषण भूकंप के कारण नदी मार्ग प्रभावित हुआ तथा 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा पार नदी व्यापार पूरी तरह निलंबित हो गया था।
- **भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल:** अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार हेतु दोनों देशों ने वर्ष **1972** में नदी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे।

स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2026 (SPIR 2026)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में पुलिस व्यवस्था, साइबर अपराध और न्याय तक आम नागरिकों की पहुँच की स्थिति का विश्लेषण करने वाली एक प्रमुख अध्ययन रिपोर्ट **'स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2026' (SPIR 2026)** जारी की गई है।



प्रमुख बिंदु

- **प्रकाशनकर्ता:** यह रिपोर्ट गैर-सरकारी संगठन **'कॉमन कॉज'** और **'लोकनीति-सीएसडीएस'** द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है।
- **मुख्य विषय:** SPIR 2026 रिपोर्ट मुख्य रूप से **साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और पुलिस रिड्रेसल (शिकायत निवारण)** की प्रक्रिया पर केंद्रित है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष (Key Findings)

- **शिकायत दर्ज करने का दायरा:**
  - साइबर अपराध के पीड़ितों में से **केवल 49% लोग** ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं।
  - लगभग **39% लोग** पुलिस के पास शिकायत कराने जाते ही नहीं हैं।
- **अनौपचारिक माध्यम (रिश्वत और प्रभाव):**
  - साइबर अपराध के मामलों में कार्रवाई कराने के लिए **27% पीड़ितों को रिश्वत देनी पड़ी।**
  - **37% लोगों को** व्यक्तिगत संपर्कों या राजनीतिक प्रभाव का सहारा लेना पड़ा।
- **वंचित वर्गों पर अधिक प्रभाव:** गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ितों को मामलों को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत या अनौपचारिक नेटवर्किंग पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है।

नीतिगत महत्व और सिफारिशें

- **कानून व्यवस्था व जवाबदेही:** रिपोर्ट दर्शाती है कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए केवल तकनीकी विकास ही काफी नहीं है, बल्कि **स्थानीय पुलिस स्टेशनों का पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ होना** अनिवार्य है।
- **सिफारिशें:**
  - शिकायतों का समयबद्ध और ऑटोमेटेड पंजीकरण।
  - पुलिस और बैंकों के बीच त्वरित समन्वय स्थापित करना।
  - एक पारदर्शी ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करना।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया।** यह एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है, जिसमें 100 से अधिक देशों ने भागीदारी की है।

मुख्य बिंदु और आयोजनकर्ता



- **आयोजनकर्ता:** यह कार्यक्रम **दूरसंचार विभाग** और **सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया** द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
- **समय-सीमा:** यह चार दिवसीय कार्यक्रम 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक संचालित हुआ।
- **IMC 2026 की थीम: "सीमाओं से परे विस्तार" (Extension Beyond Boundaries)**

IMC 2026 के चार प्रमुख स्तंभ (Four Pillars)

1. **सृष्टि:** भविष्य का निर्माण करना।
2. **संवर्धन:** विकास को गति देना।
3. **सशक्त:** अवसरों का विस्तार करना।
4. **सुरक्षा:** विश्वास का सुदृढ़ीकरण करना।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **यशोभूमि:** यह नई दिल्ली के द्वारका में स्थित भारत का अग्रणी 'इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर' (IICC) है, जहां वैश्विक स्तर के बड़े सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है।

- **COAI (सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया):** यह भारत के दूरसंचार क्षेत्र का एक गैर-सरकारी आधिकारिक उद्योग निकाय है, जो दूरसंचार क्षेत्र की उन्नति और नीतियों के लिए काम करता है।

तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में **'तीसरे अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी 2026' का सफलतापूर्वक समापन हुआ**। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन **भारत 6G एलायंस** द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के साथ संयुक्त रूप से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर दूरसंचार क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना है।



मुख्य बिंदु और फोकस क्षेत्र

- **आयोजक संस्था:** भारत 6G एलायंस।
- **मुख्य एजेंडा:** इस संगोष्ठी में **IMT-2030 (6G के लिए वैश्विक मानक)** और उससे आगे की भविष्य की रूपरेखा पर गहन चर्चा की गई।
- **तकनीकी फोकस:** दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस दौरान निम्नलिखित अत्याधुनिक उभरते क्षेत्रों पर विशेष बल दिया:
  - **इंटेलिजेंट नेटवर्क**
  - **क्वांटम कम्युनिकेशन**

भारत 6G एलायंस (B6GA) के बारे में

- **प्रकृति:** यह एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** भारत को 6G प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और परिनियोजन में एक वैश्विक अग्रणी देश बनाना।
- **लक्ष्य:** यह अलायंस भारत के 'Bharat 6G Vision' दस्तावेज के अनुरूप काम करता है, ताकि वर्ष 2030 तक भारत में किफायती और उच्च गति वाली 6G सेवाओं को व्यावसायिक रूप से रोलआउट किया जा सके।

कच्चाथीवू द्वीप विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति **अनुरा कुमारा दिसानायके** ने एक सार्वजनिक रैली में कहा कि **भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया है कि कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका का हिस्सा है**। भारत के महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी ने अदालत को सूचित किया है कि भारत का



कच्चाथीवू द्वीप: भौगोलिक स्थिति

- **अवस्थिति:** यह पाक जलडमरूमध्य में स्थित एक छोटा, निर्जन ज्वालामुखी द्वीप है।
- **दूरी:** यह भारत के रामेश्वरम के उत्तर-पूर्व में लगभग 33 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है।
- **महत्वपूर्ण संरचना:** इस द्वीप पर **सेंट एंथनी चर्च** स्थित है, जहाँ दोनों देशों के ईसाई तीर्थयात्री वार्षिक उत्सव में बिना वीज़ा के शामिल होते हैं।

द्विपक्षीय समझौते

कच्चाथीवू की संप्रभुता को लेकर विवाद को समाप्त करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच दो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे:

1. **1974 का समझौता:** तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की पीएम सिरिमावो भंडारनायके के बीच इस समझौते के तहत **भारत ने औपचारिक रूप से कच्चाथीवू पर श्रीलंका की संप्रभुता को स्वीकार किया था**।
2. **1976 का समझौता:** इस समझौते के तहत दोनों देशों की विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) सीमाओं को स्पष्ट किया गया, जिसने **भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र वाले जल क्षेत्र में मछली पकड़ने से प्रतिबंधित कर दिया**।

वर्तमान विवाद और सुरक्षा चिंताएं

- **मछुआरों की आजीविका:** तमिलनाडु के मछुआरे पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे हैं। भारतीय सीमा में मछलियों की कमी के कारण वे अक्सर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार कर जाते हैं, जिसके बाद **श्रीलंकाई नौसेना द्वारा उन्हें अवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है**।

- **न्यायालय का रुख:** भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के खिलाफ याचिकाएं (वर्ष 2008 से लंबित) चल रही हैं। हालिया सुनवाई में बेंच ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वे **भारतीय मछुआरों को संवेदनशील बनाएं** ताकि वे श्रीलंकाई क्षेत्रीय जल में प्रवेश न करें।

भारत में लाइटहाउस पर्यटन और आधुनिकीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा देश की **11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा** पर स्थित ऐतिहासिक लाइटहाउसों को प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। देश में लाइटहाउस पर्यटन में आने वाले पर्यटकों की संख्या **वर्ष 2014 के 4 लाख से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 18.63 लाख** हो गई है।



प्रमुख बिंदु और विकासात्मक पहल

- **नोडल एजेंसी:** यह पूरा आधुनिकीकरण और विकास कार्य पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत **डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइटहाउसेज एंड लाइटशिप्स (DGLL)** द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- **पर्यटन हब:** देश भर के **75 ऐतिहासिक लाइटहाउसों** को प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ संग्रहालय, एम्फीथिएटर और बच्चों के पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
- **डिजिटल टिकटिंग:** पर्यटकों की सुविधा के लिए DGLL द्वारा एक एकीकृत **डिजिटल टिकटिंग पोर्टल** की शुरुआत की गई है।

प्रमुख तकनीकी और हरित पहल

- **100% सौर ऊर्जा संचालित:** देश के सभी लाइटहाउस अब पूरी तरह से **सौर ऊर्जा** चालित बुनियादी ढांचे में परिवर्तित हो चुके हैं, जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल बन गए हैं।
- **स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS):** तटीय सुरक्षा और जहाजों की सुगम आवाजाही के लिए देश के समुद्र तटों पर **87 ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) शोर स्टेशन** स्थापित किए गए हैं।
- **SOLAS नियमों का अनुपालन:** यह उन्नत प्रणाली **'समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन' (SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea)** के नियमों के तहत जहाजों और तट के बीच डेटा ब्रॉडकास्ट सुनिश्चित करती है।

प्रमुख भौगोलिक अवस्थिति और संग्रहालय

- **महत्वपूर्ण लाइटहाउस स्थल:**
  - मांडवी और द्वारका (गुजरात),
  - कापू (कर्नाटक),
  - पवन लाइटहाउस (तमिलनाडु) और
  - विझिनजम (केरल)।

लाइटहाउस संग्रहालय: समुद्री इतिहास को संजोने के लिए **चेन्नई, महाबलीपुरम, अलेप्पी, कन्नूर, मुत्तोम, द्वारका और गोपनाथ** में विशेष लाइटहाउस संग्रहालय स्थापित किए गए हैं।

शिल्प समागम मेला 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **कर्नाटक के मैसूर स्थित मैसूर दशहरा एग्जिबिशन ग्राउंड में 11 से 19 अक्टूबर 2026 तक 'शिल्प समागम मेला 2026' का आयोजन किया गया।** इस मेले में देश के 12 राज्यों के कारीगरों के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई।



आयोजनकर्ता और नोडल मंत्रालय

- **नोडल मंत्रालय:** यह मेला भारत सरकार के **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा आयोजित किया गया।
- **सहयोगी राष्ट्रीय निगम:** इस पहल को मंत्रालय के अधीन काम करने वाले तीन प्रमुख वित्तीय निगमों से सहायता प्राप्त कारीगरों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया:
  1. **NSFDC:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
  2. **NBCFDC:** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

3. **NSKFDC:** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

उद्देश्य और लक्षित समूह

- **लक्षित लाभार्थी:** इस मेले का मुख्य उद्देश्य **अनुसूचित जातियों (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सफाई कर्मचारियों** के कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए काम करना है।
- **बाजार तक पहुँच:** इन लक्षित और हाशिए के समूहों से जुड़े कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए एक बड़ा **विपणन मंच** प्रदान करना।
- **कौशल और रोजगार:** पारंपरिक शिल्प कौशल का संवर्धन करना और वंचित समुदायों के लिए स्थायी स्वरोजगार व वित्तीय सशक्तिकरण के अवसर पैदा करना।

ब्लूमबर्ग की भारत में विस्तार योजनाएं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक वित्तीय डेटा और मीडिया दिग्गज 'ब्लूमबर्ग' की भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजनाओं का स्वागत किया है।** ब्लूमबर्ग के संस्थापक माइक ब्लूमबर्ग ने भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक वृद्धि और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ते कदमों की सराहना की है।



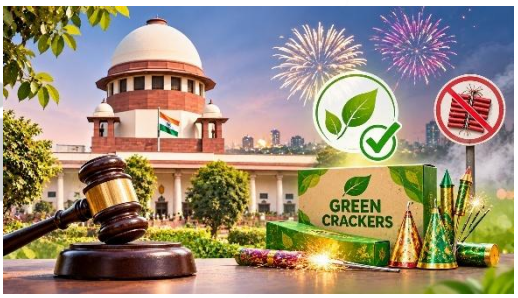
प्रमुख बिंदु और रणनीतिक संदर्भ

- **30 वर्ष पूरे:** ब्लूमबर्ग ने भारत में अपने परिचालन और जुड़ाव के **30 सफल वर्ष पूरे** कर लिए हैं।
- **विस्तार का उद्देश्य:** इस विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था, घरेलू वित्तीय बाजारों और यहाँ के लोगों के साथ ब्लूमबर्ग के जुड़ाव को और अधिक मजबूत करना है।
- **वैश्विक मान्यता:** माइक ब्लूमबर्ग ने वैश्विक मंच पर भारत की विकास गाथा और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में उपलब्ध अपार अवसरों को रेखांकित किया है।

ग्रीन क्रैकर्स और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया है।** कोर्ट ने पर्यावरण और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाते हुए **वैज्ञानिक संस्थान CSIR-NEERI की रिपोर्ट को स्वीकार किया** और कड़े मानकों के साथ 'नेक्स्ट-जेनरेशन जॉइंट ग्रीन क्रैकर्स' के निर्माण और सीमित उपयोग को मंजूरी दे दी है।



ऐतिहासिक कानूनी संदर्भ: अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ (2018) मामला

- **पृष्ठभूमि:** यह याचिका 3 छोटे बच्चों की ओर से दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दायर की गई थी।
- **न्यायालय का मूल रुख:** कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध के बजाय **केवल 'ग्रीन पटाखों' के निर्माण और बिक्री की अनुमति** दी थी।
- **रसायनों पर रोक:** पटाखों में **बेरियम साल्ट** जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी रसायनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।
- **ई-कॉमर्स पर रोक:** ऑनलाइन वेबसाइटों (Flipkart, Amazon आदि) द्वारा पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई।

30 सितंबर 2026 की ताजा सुनवाई और कड़े मानक

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी त्योहारों (दीपावली आदि) के मद्देनजर निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

- **उत्पादन अधिकार:** केवल **लाइसेंस प्राप्त निर्माता** ही CSIR-NEERI द्वारा प्रमाणित फॉर्मूले के आधार पर इन ग्रीन पटाखों का उत्पादन कर सकेंगे।
- **ध्वनि सीमा:** पटाखों के शोर की अधिकतम सीमा **125 dB(AI) / 145 dB(C) Peak** तय की गई है।
- **30% कम उत्सर्जन:** पारंपरिक पटाखों की तुलना में ये नए ग्रीन पटाखे **30% कम गैसीय उत्सर्जन** करते हैं, और इनमें ठोस कचरे के उत्पादन में भी भारी कमी (4% से 32% तक) आई है।
- **समय-सीमा:** त्योहारों के दिन पटाखों को 24 घंटे चलाने की अनुमति नहीं होगी। दीपावली पर इन्हें फोड़ने के लिए **केवल 2 घंटे (रात 8 बजे से 10 बजे तक)** की समय-सीमा तय की गई है।

नोडल एजेंसी: CSIR-NEERI के बारे में

- **NEERI:** राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (National Environmental Engineering Research Institute)
- **अवस्थिति:** यह **नागपुर, महाराष्ट्र** में स्थित है।
- **मंत्रालय:** यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) का एक हिस्सा है, जो **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

नुआखाई महोत्सव और 'सेवा सम्मान पर्व'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर 2026 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में नुआखाई महोत्सव के अवसर पर आयोजित 'सेवा सम्मान पर्व' और 'युवा प्रबोधन' कार्यक्रम में शामिल हुईं।**



नुआखाई महोत्सव के बारे में

- **प्रकृति और महत्व:** यह मुख्य रूप से एक **कृषि आधारित फसल उत्सव** है।
- **शाब्दिक अर्थ:** 'नुआ' का अर्थ होता है **नया** और 'खाई' का अर्थ होता है **खाना**। यह नए कटे हुए चावल/अन्न के स्वागत और उसके उपभोग का प्रतीक है।
- **भौगोलिक विस्तार:** यह मूल रूप से **पश्चिमी ओडिशा** का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक त्योहार है, लेकिन ओडिशा से सटे **छत्तीसगढ़** (जैसे रायपुर और बस्तर संभाग) और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसे पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
- **समय:** यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त-सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है।

7वां 'एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 2026'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **21 से 23 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के 'भारत मंडपम' में तीन दिवसीय 7वें 'एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 2026' का आयोजन किया गया।** इस सम्मेलन का मुख्य फोकस राज्य नेतृत्व, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी, मिश्रित वित्तपोषण तंत्र और कृषि-सौर प्रौद्योगिकियों के विस्तार पर रहा।



आयोजनकर्ता और विषय

- **मुख्य आयोजक:** भारत सरकार का **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**।
- **सहयोगी संस्थाएं:** यह सम्मेलन **जर्मनी के पर्यावरण, जलवायु कार्रवाई, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय** तथा 'कोनेक्सियो-पीएसई' के सहयोग से आयोजित किया गया।
- **विषय (Theme):** इस वर्ष के सम्मेलन की थीम **"Powering the Global South" (ग्लोबल साउथ को ऊर्जा प्रदान करना)** है।

एग्रीवोल्टाइक्स क्या है?

यह एक अभिनव तकनीक है जिसमें **एक ही भूमि पर एक साथ कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन** दोनों कार्य किए जाते हैं। फसलों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जिससे भूमि का दोहरा उपयोग होता है, पानी के वाष्पीकरण में कमी आती है और किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलती है।

भारत की क्षमता और वर्तमान स्थिति

- **कुल क्षमता:** भारत में एग्रीवोल्टाइक्स की अनुमानित क्षमता **3,000 GW से लेकर लगभग 14,000 GW** के बीच है।
- **उपयुक्त भूमि:** GIS-आधारित राष्ट्रीय स्क्रीनिंग के अनुसार, देश में **47.35 मिलियन हेक्टेयर** "प्रतिबंधित कृषि भूमि" AgriPV के लिए उपयुक्त पाई गई है।
- **आय में वृद्धि:** इस तकनीक से किसानों की वार्षिक आय लगभग **₹60,000 प्रति एकड़ से बढ़कर ₹1 लाख प्रति एकड़ से अधिक** हो सकती है।
- **फसल अनुकूलता:** फल, सब्जियां, मसाले और औषधीय पौधे इसके तहत खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
- **शीर्ष राज्य: महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश** मिलकर भारत की कुल एग्रीवोल्टाइक्स क्षमता का लगभग **50%** हिस्सा रखते हैं।
- **वर्तमान स्थिति (अगस्त 2025 तक):** भारत में **37.54 मेगावाट** क्षमता की 36 परिचालन परियोजनाएं और 10 पायलट परियोजनाएं चल रही हैं।

प्रमुख सरकारी और संस्थागत पहलें

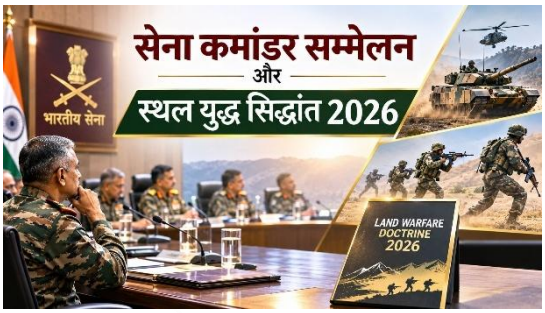
- **पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना:** फरवरी 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र का सौरीकरण करना, डीजल पर निर्भरता कम करना और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- **एग्रीवोल्टाइक्स उत्कृष्टता केंद्र:** राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) ने मिलकर इसकी स्थापना की है। इसने IARI में 100 किलोवाट का पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया है।

- **इंडिया एग्रीवोल्टाइक्स अलायंस:** वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया यह एक बहु-हितधारक मंच है, जिसे नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जा रहा है।

सेना कमांडर सम्मेलन और स्थल युद्ध सिद्धांत 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 'सेना कमांडर सम्मेलन' के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के नवीनतम रणनीतिक मार्गदर्शक दस्तावेज **'लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2026' (Land Warfare Doctrine 2026)** को आधिकारिक रूप से जारी किया है।



सेना कमांडर सम्मेलन क्या है?

- **सर्वोच्च मंच:** यह भारतीय सेना का एक सर्वोच्च संस्थागत मंच है।
- **अवधि:** यह एक **द्विवार्षिक** आयोजित होने वाला सम्मेलन है।
- **अध्यक्षता:** इसकी अध्यक्षता **थल सेनाध्यक्ष (Chief of the Army Staff - COAS)** करते हैं, जिसमें सभी थल सेना कमांडर और शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल होते हैं।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - भारत की सीमाओं (विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान सीमाओं) की सुरक्षा और परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा करना।
  - सेना के आधुनिकीकरण, नीतिगत फैसलों और भावी सुरक्षा चुनौतियों पर रणनीतिक विचार-विमर्श करना।

स्थल युद्ध सिद्धांत 2026 (Land Warfare Doctrine 2026)

यह दस्तावेज तय करता है कि भारतीय सेना भविष्य के युद्धों और बदलते युद्ध-क्षेत्र में किस प्रकार मुकाबला करेगी। इसके 4 प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं:

- **मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस:** यह सिद्धांत केवल पारंपरिक ज़मीन पर ही नहीं, बल्कि **जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम** को मिलाकर एक एकीकृत युद्ध लड़ने पर जोर देता है।
- **आधुनिक तकनीक का एकीकरण:** युद्ध नीतियों में **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)**, ड्रोन सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स और सटीक हमला करने वाले अत्याधुनिक हथियारों का समावेश करना।
- **मानव-रहित प्रणालियों का समन्वय:** परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए मानव सैनिकों और रोबोटिक/ड्रोन प्रणालियों के संयुक्त व समन्वित उपयोग को बढ़ावा देना।
- **आत्मनिर्भरता:** 'मेक इन इंडिया' के जरिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देकर लॉजिस्टिक्स और सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना।

तुम्मिदिहट्टी बैराज विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच लंबे समय से लंबित 'तुम्मिदिहट्टी बैराज' परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए मुंबई में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है।** तेलंगाना सरकार बैराज के प्रस्तावित पूर्ण जलाशय स्तर की ऊंचाई को 148 मीटर से बढ़ाकर 150-152 मीटर करने के लिए महाराष्ट्र की सहमति चाहती है।



परियोजना की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं

- **अवस्थिति:** यह बैराज **तेलंगाना और महाराष्ट्र की अंतर-राज्यीय सीमा** पर तुम्मिदिहट्टी नामक स्थान पर प्रस्तावित है।
- **संबद्ध नदी:** यह बैराज **प्राणहिता नदी** पर बनाया जा रहा है।
- **मूल योजना:** यह मूल रूप से वर्ष 2007 में परिकल्पित **प्राणहिता-चेवेल्ला लिफ्ट सिंचाई परियोजना** का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पानी को मोड़ना और येल्लमपल्ली परियोजना तक पहुंचाना है।

प्राणहिता नदी के बारे में

- **उद्गम/संगम:** प्राणहिता नदी किसी एक स्रोत से नहीं निकलती, बल्कि यह **वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा** नदियों के संयुक्त संगम से बनती है।
- **गोदावरी की सहायक नदी:** यह **गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी** है, जो गोदावरी के कुल जल निकासी बेसिन का लगभग 34% हिस्सा कवर करती है।
- **प्रवाह क्षेत्र:** यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों से होकर बहती है।

मुख्य विवाद और पृष्ठभूमि

- **2016 का समझौता:** वर्ष 2016 में तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें बैराज की ऊंचाई **148 मीटर FRL** तय की गई थी। इसके बाद तत्कालीन सरकार का ध्यान कालेश्वरम परियोजना पर केंद्रित हो गया था।
- **जलमग्न भूमि का मुद्दा:** तेलंगाना की वर्तमान सरकार का तर्क है कि यदि ऊंचाई को 152 मीटर FRL किया जाता है, तो केवल 2,300 एकड़ भूमि जलमग्न होगी। यदि महाराष्ट्र आपत्ति जताता है, तो तेलंगाना इसे न्यूनतम 150 मीटर FRL करने पर भी विचार करने को तैयार है ताकि 1,000 एकड़ से कम भूमि जलमग्न हो और महाराष्ट्र की मंजूरी मिल सके।

भारत का पहला 'एआई × फूड टेक हैकाथॉन' - हैक द फोर्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली (NIFTEM-K) ने भारत के पहले 'एआई × फूड टेक हैकाथॉन' जिसका नाम 'हैक द फोर्क' है, का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।** यह 24 घंटे तक चलने वाला देश का अपनी तरह का पहला अनूठा हैकाथॉन था, जो 24 से 25 अक्टूबर 2026 तक संचालित हुआ।



हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य

- **एआई का अनुप्रयोग:** इसका मुख्य उद्देश्य **वैकल्पिक प्रोटीन उद्योग** की वास्तविक और व्यावहारिक चुनौतियों को हल करने में **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** का सदुपयोग करना था।
- **नवाचार को बढ़ावा:** भाग लेने वाली टीमों ने खाद्य सुरक्षा, तकनीकी बाधाओं और विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए जूरी (विशेषज्ञों) के सामने अपने अत्याधुनिक और नवीन डिजिटल समाधान प्रस्तुत किए।
- **प्रमुख व्यक्तित्व:** इस राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन का उद्घाटन 'हैक द फोर्क' की निदेशक सुश्री ऐलिस पीरी द्वारा किया गया था।

नोडल संस्थान: NIFTEM-K के बारे में

- **पूरा नाम:** राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान ।
- **अवस्थिति:** यह **कुंडली, हरियाणा** में स्थित है।
- **मंत्रालय:** यह **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है।
- **वैधानिक दर्जा:** इसे संसद के अधिनियम के माध्यम से **राष्ट्रीय महत्व का संस्थान** घोषित किया गया है।

आरबीआई का नया डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवनिर्मित अत्याधुनिक डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया है।**



मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य

- **अवस्थिति:** यह अत्याधुनिक परिसर **भुवनेश्वर, ओडिशा** में स्थापित किया गया है।
- **सुरक्षित वित्तीय प्रणाली:** इस नई सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य केंद्रीय बैंक (RBI) और देश की समग्र बैंकिंग प्रणाली की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना तथा वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखना है।
- **साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण:** संस्थान बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवरों को आधुनिक साइबर खतरों से निपटने, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- **NOTE:** आरबीआई के वर्तमान मुख्य डेटा सेंटर **महाराष्ट्र (नवी मुंबई)** में स्थित हैं।

राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 24 से 25 अक्टूबर 2026 तक **ओडिशा के भुवनेश्वर** में दो दिवसीय **'राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026'** का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' की दिशा में शहरी प्रशासन, सुदृढ़ योजना और सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक सुझाव और रूपरेखा तैयार करना था

आयोजनकर्ता और नोडल मंत्रालय

- **नोडल मंत्रालय:** यह भारत सरकार के **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** द्वारा आयोजित किया जाता है।
- **मुख्य प्रायोजक:** हुडको और एनबीसीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी संस्थाएं इसकी मुख्य प्रायोजक हैं।
- **प्रकृति:** यह एक वार्षिक मंच है। इसका पहला संस्करण (2025 का सम्मेलन) नई दिल्ली के 'यशोभूमि' में आयोजित किया गया था।



राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (NIUA) के बारे में

- **स्थापना:** इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी।
- **प्रकृति:** यह शहरी क्षेत्र में अनुसंधान, क्षमता निर्माण और नीतिगत परामर्श प्रदान करने वाला भारत का एक अग्रणी स्वायत्त संस्थान है।
- **संबद्धता:** यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

लद्दाख: भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश

चर्चा में क्यों?

25 अक्टूबर 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आधिकारिक तौर पर लद्दाख को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर इतिहास रच दिया है। सिक्किम (जो 2016 में देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था) के बाद, यह गौरव हासिल करने वाला लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि के मुख्य कारक

- **रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध:** लद्दाख प्रशासन ने जुलाई 2026 में एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिए रासायनिकऔर सिंथेटिक उर्वरकों/कीटनाशकों की खरीद, बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।
- **दंड का प्रावधान:** नियमों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम ₹10,000 के जुर्माने का कानूनी प्रावधान किया गया।
- **व्यापक कवरेज:** कृषि विभाग के प्रयासों से लद्दाख के **207 राजस्व गांवों** को पूरी तरह से जैविक प्रमाणीकरण के दायरे में लाया जा चुका है।



लद्दाख की अनूठी भौगोलिक एवं कृषि स्थिति

- **शीत मरुस्थल (Cold Desert):** लद्दाख एक उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल है, जहाँ का नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और पानी के सीमित स्रोत रासायनिक खेती के दुष्परिणामों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं।
- **प्रमुख पारंपरिक और उच्च मूल्य वाली फसलें:** यहाँ पारंपरिक रूप से **जौ (Barley), एक प्रकार का अनाज (Buckwheat), मटर** उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ की दो प्रमुख उच्च-मूल्य वाली नकदी फसलें हैं:

1. **खुबानी (Apricot)**
2. **सीबकथॉर्न (Seabuckthorn)** - इसे 'लद्दाख का गोल्ड' भी कहा जाता है और इसे हाल ही में जीआई (GI) टैग दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **6 से 8 जनवरी 2026 तक केरल के एर्नाकुलम (कोच्चि) स्थित बोल्गाटी पैलेस में तीन दिवसीय 'अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन 2026' का आयोजन किया गया।**

आयोजनकर्ता

- **आयोजनकर्ता:** इस विशिष्ट सम्मेलन का आयोजन **मुजिरिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और पर्यटन विभाग, केरल सरकार** द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
- **नोट:**
  - फरवरी 2026 में ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम (AISEF) द्वारा आयोजित होने वाला 'अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन' (एक व्यापारिक और खाद्य सुरक्षा केंद्रित मंच है।
  - जबकि जनवरी 2026 में आयोजित यह **'स्पाइस रूट्स कॉन्फ्रेंस' मुख्य रूप से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत** को समर्पित है।



'मसाला मार्ग' (Spice Route) का ऐतिहासिक संदर्भ

- **प्राचीन समुद्री नेटवर्क:** इसे 'समुद्री रेशम मार्ग' (Maritime Silk Road) के नाम से भी जाना जाता था। यह प्राचीन नेटवर्क पूर्व के देशों (विशेषकर भारत के मालाबार तट) को पश्चिम (यूरोप, पूर्वोत्तर अफ्रीका और भूमध्यसागरीय देशों) से जोड़ता था।
- **मुजिरिस बंदरगाह:** केरल का प्राचीन मुजिरिस बंदरगाह इस मार्ग का मुख्य केंद्र बिंदु था, जहां से सदियों पहले फोनीशियन, मिस्रवासी, यूनानी, रोमन और अरब लोग काली मिर्च (ब्लैक गोल्ड), इलायची, दालचीनी और अन्य मसालों का व्यापार करने आते थे।

मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है?

- **केरल पर्यटन की पहल:** यह भारत की सबसे बड़ी संरक्षण और विरासत बहाली परियोजनाओं में से एक है।
- **उद्देश्य:** कोच्चि के उत्तर में स्थित मुजिरिस क्षेत्र के 2000 वर्ष से अधिक पुराने ऐतिहासिक स्मारकों, प्राचीन बंदरगाह स्थलों, किलों और पूजा स्थलों को संरक्षित कर वैश्विक सांस्कृतिक पर्यटन मानचित्र पर लाना।

ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क और एआई हब

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने **ग्रेटर नोएडा में एक अत्याधुनिक रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है**। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम **'प्रगति' पार्क** रखा गया है।



'प्रगति' (PRAGATI) पार्क: मुख्य विशेषताएं

- **पूरा नाम:** Platform for Robotics and AI Growth Through Technology and Innovation (PRAGATI)
- **भौगोलिक विस्तार:** यह पार्क ग्रेटर नोएडा में **69.52 एकड़** भूमि पर विस्तृत होगा।
- **आर्थिक प्रभाव:** इस परियोजना से राज्य की अर्थव्यवस्था में सालाना **₹2,000 करोड़** जुड़ने का अनुमान है।
- **रोजगार सृजन:** इसके माध्यम से क्षेत्र में **1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों** के उत्पन्न होने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International News & I.R)

कार्डिफ समझौता ज्ञापन (Cardiff MoU) 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सितंबर 2026 में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की क्षेत्रीय सरकारों के बीच 'कार्डिफ समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किए गए हैं**। यह समझौता यूके (UK) की केंद्र सरकार (वेस्टमिंस्टर) से अधिक स्वायत्तता, आत्मनिर्णय और संवैधानिक परिवर्तन की मांग को लेकर हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज है।



मुख्य विशेषताएं एवं हस्ताक्षरकर्ता

- **हस्ताक्षरकर्ता राजनीतिक दल:** इस पर स्कॉटलैंड (SNP - स्कॉटिश नेशनल पार्टी), वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के शीर्ष नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं।
- **दस्तावेज की प्रकृति:** यह एक **गैर-बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा** है, न कि कोई औपचारिक या कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि।
- **मुख्य मांगें:**
  - **वेस्टमिंस्टर (UK केंद्र सरकार) पर दबाव:** केंद्र सरकार क्षेत्रीय शासनादेशों का सम्मान करे और स्वायत्तता की दिशा में संवैधानिक बदलावों की सुविधा प्रदान करे।
  - **ब्रेक्सिट का विरोध:** इन तीनों क्षेत्रों ने ब्रेक्सिट के बाद यूके सरकार के केंद्रीकरण दृष्टिकोण (जैसे- 'यूके आंतरिक बाजार अधिनियम 2020') को खारिज कर दिया है और **यूरोपीय संघ (EU) के साथ करीबी आर्थिक व राजनीतिक संबंधों** की मांग की है।

अन्य बिंदु

- **इंग्लैंड:** यह एक अकेला देश है, जो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है।
- **ग्रेट ब्रिटेन:** यह केवल एक **भौगोलिक द्वीप** का नाम है, जिसके तहत 3 देश आते हैं: **इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स**।
- **यूनाइटेड किंगडम / UK:** यह 4 देशों का एक **राजनीतिक संघ** है।
  - UK = Great Britain (England + Scotland + Wales) + Northern Ireland

फ्लाईदुबई विमान घटना 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **दुबई से तेल अवीव (इजराइल) जा रहे 'फ्लाईदुबई' के एक यात्री विमान (फ्लाइट FZ1073) में उड़ान के दौरान एक गंभीर हिंसक घटना सामने आई है।** विमान के सह-पायलट (Co-pilot) ने मुख्य पायलट पर अचानक चाकू से हमला कर दिया और विमान को क्रैश करने का प्रयास किया।



घटना के मुख्य बिंदु

- **भारतीय पायलट की बहादुरी:** इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने विमान के **भारतीय मुख्य पायलट स्मित माछीछार** की असाधारण बहादुरी की सराहना की है।
- **सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग:** घटना के समय विमान जॉर्डन के हवाई क्षेत्र के ऊपर था और अनियंत्रित होकर महज एक मिनट में लगभग 17,000 फीट नीचे गिर गया था। स्थिति को संभालते हुए विमान की **सऊदी अरब में सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग** कराई गई।
- **यात्री विवरण:** विमान में सवार कुल 174 यात्रियों में से अधिकांश (166 यात्री) इजराइली नागरिक थे, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं।

भारत के दो बड़े विमान अपहरण

1. 1971 का गंगा अपहरण (Ganga Hijacking)

- **घटना:** 30 जनवरी 1971 को इंडियन एयरलाइंस के 'गंगा' नामक एक फॉकर एफ़27 विमान को श्रीनगर से जम्मू की उड़ान के दौरान अपहृत कर लिया गया था।
- **अपहर्ता:** नेशनल लिबरेशन फ्रंट (NLF - जो बाद में JKLF बना) के दो कश्मीरी उग्रवादियों ने पिस्तौल और खिलौने वाले बम के दम पर इसे अगवा किया था।
- **परिणाम:** विमान को **लाहौर (पाकिस्तान)** ले जाया गया। यात्रियों को सुरक्षित छोड़ दिया गया, लेकिन अपहर्ताओं ने विमान को लाहौर हवाई अड्डे पर ही बम से उड़ा दिया।

1999 का कंधार अपहरण (IC 814 Hijacking)

- **घटना:** 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 (एयरबस ए300) ने काठमांडू (नेपाल) से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, जिसे भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही अपहृत कर लिया गया।
- **मार्ग:** विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई ले जाया गया, जहाँ ईंधन भरने के बाद अंततः इसे **कंधार (अफगानिस्तान)** में लैंड कराया गया। उस समय कंधार पर तालिबान का नियंत्रण था।
- **अपहर्ता:** हरकत-उल-मुजाहिदीन (HuM) नामक आतंकवादी संगठन के 5 पाकिस्तानी अपहर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया था।
- **परिणाम:** संकट को समाप्त करने और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए भारत सरकार को तीन खूंखार आतंकवादियों—**मसूद अजहर** (जिसने बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाया), अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को रिहा करना पड़ा था।

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के भीतर घुसकर 'सटीक हवाई हमले' किए हैं।** पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय के अनुसार, इन सुयोजित हमलों में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीटीपी (TTP) के कम से कम 22 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के तालिबान शासन का दावा है कि इस हमले में 9 अफगान नागरिक (महिलाएं और बच्चे) मारे गए हैं।



सीमा पार हमलों के मुख्य बिंदु

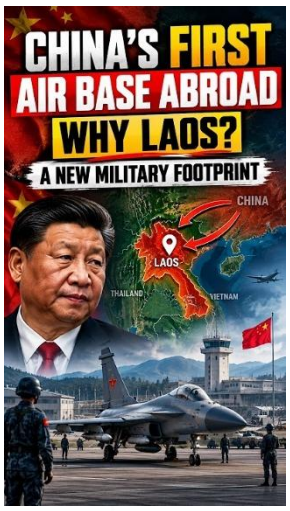
- **लक्षित संगठन:** पाकिस्तान ने मुख्य रूप से अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाहगाहों में छिपे **तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP)** के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने कंधार में अल-कायदा (AQIS) और बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे समूहों की मौजूदगी का भी दावा किया है।
- **प्रमुख भौगोलिक स्थल:** यह हवाई हमला अफगानिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित **हेलमंद प्रांत** और **कंधार** क्षेत्र में दो स्थानों पर केंद्रित था।

- **विवाद की पृष्ठभूमि:** दोनों देशों के बीच सीमा पार घुसपैठ, उग्रवादियों को पनाह देने के आरोपों और 'डूरंड रेखा' की वैधता को लेकर लंबे समय से गंभीर गतिरोध जारी है।

महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य

- **डूरंड रेखा:** यह **पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2,640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा** है। इसे 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर के बीच एक समझौते के तहत खींचा गया था। अफगानिस्तान और वहां के पश्तून समुदाय ऐतिहासिक रूप से इस सीमा को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं, जो दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य जड़ है।
- **हेलमंद प्रांत:** यह अफगानिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है। भौगोलिक रूप से यह **अफीम/पोस्ता (Opium) की खेती** का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र रहा है।
- **गोल्डन क्रीसेंट:** यह दक्षिण एशिया में अवैध अफीम व्यापार का मुख्य नेटवर्क है, जिसमें तीन देश शामिल हैं: **अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान**। आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।

लाओस में चीन का पहला विदेशी वायु सेना बेस



चर्चा में क्यों?

हाल ही में **चीन ने लाओस में अपना पहला विदेशी वायु सेना बेस खोलकर दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने सैन्य पदचिन्हों का विस्तार किया है**। लाओस की राजधानी वियनतियन के उत्तर में स्थित 'बान केउन' एयरफील्ड में स्थापित यह **'संयुक्त उड़ान प्रशिक्षण और सहायता केंद्र'** विदेशों में चीन का पहला सक्रिय हवाई सैन्य ठिकाना है।

बेस की मुख्य विशेषताएं

- **संयुक्त सुविधा:** चीन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह एक संयुक्त सुविधा है जिसका उद्देश्य लाओस वायु सेना के पायलटों को प्रशिक्षित करना है। इसे दोनों पक्षों द्वारा सामान्य परिचालन के लिए बनाए रखा जाएगा।
- **रणनीतिक बदलाव:** अब तक विदेशों में चीन के सैन्य ठिकाने मुख्य रूप से नौसेना तक सीमित थे (जैसे जिबूती में)। यह पहला मौका है जब चीन ने अपनी सीमाओं से परे वायु सेना बेस का संचालन शुरू किया है।

लाओस दक्षिण-पूर्व एशिया का एकमात्र पूर्णतः भू-आबद्ध देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया, पश्चिम में थाईलैंड और उत्तर-पश्चिम में म्यांमार से लगती हैं।

भारत-स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय समझौते (2026)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत और स्विट्जरलैंड ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, प्रवासन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं**। यह बैठक स्विस राष्ट्रपति **गी पार्मेलिन** की तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान आयोजित की गई।



हस्ताक्षरित समझौतों के मुख्य बिंदु

दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों (MoU) और आशय पत्रों (LoI) के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति बनी है:

- **रक्षा और परमाणु सहयोग:** दोनों देशों ने सैन्य आदान-प्रदान, रक्षा सह-उत्पादन और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के अवसरों की पहचान की है।
- **प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी:**
  - इसका उद्देश्य प्रवासन सहयोग को मजबूत करना और मानव तस्करी व अनियमित प्रवासन को रोकना है।
  - इसके तहत पेशेवरों और छात्रों के लिए **5 वर्ष तक की अवधि के लिए मल्टीपल-एंट्री वीज़ा** प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक यात्रा पर 6 महीने तक रुकने की अनुमति होगी।
  - इसके अलावा, **1 वर्ष के नवीकरणीय छात्र परमिट** की भी व्यवस्था की गई है।
- **युवा पेशेवरों का आदान-प्रदान:** इसके तहत युवा पेशेवरों को अपने कौशल और भाषाई दक्षता को बढ़ाने के लिए दूसरे देश में अस्थायी रोजगार प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।
- **बुनियादी ढांचा और निवेश:** पीएम मोदी ने स्विस बुनियादी ढांचा कंपनियों को भारत में क्षमता निर्माण, डिजाइनिंग और विनिर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। दोनों देश निवेश को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक **'निवेश संरक्षण समझौते'** को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: TEPA और EFTA

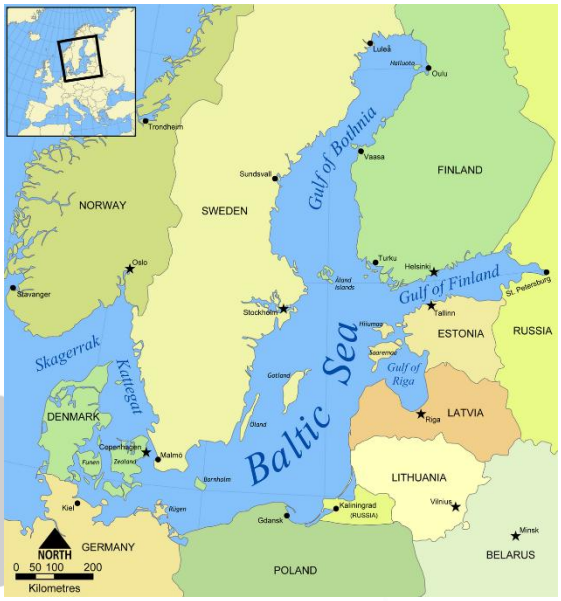
- **TEPA (व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता):** यह भारत और EFTA देशों के बीच हस्ताक्षरित एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है, जो आधिकारिक तौर पर **1 अक्टूबर 2025** से प्रभावी हुआ था।
- **EFTA (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ):** यह यूरोप के चार गैर-यूरोपीय संघ (Non-EU) देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। **शामिल 4 देश: स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन।**

कैलिनिनग्राद विवाद और रूस-नाटो तनाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **कैलिनिनग्राद रूस और नाटो (NATO) के बीच एक बड़ा भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट बनकर उभरा है।** रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाल्टिक सागर क्षेत्र में नाटो की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और कैलिनिनग्राद को अलग-थलग करने के प्रयासों के खिलाफ पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी जारी की है।

कैलिनिनग्राद की भौगोलिक स्थिति



- **रूसी एन्क्लेव:** कैलिनिनग्राद रूस का एक संप्रभु क्षेत्र है, लेकिन यह मुख्य भूमि रूस से भौगोलिक रूप से पूरी तरह अलग है।
- **अवस्थिति:** यह **बाल्टिक सागर** के तट पर स्थित है और पूरी तरह से नाटो सदस्य देशों—दक्षिण में **पोलैंड** और उत्तर व पूर्व में **लिथुआनिया** से घिरा हुआ है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यह जर्मनी का हिस्सा था और इसे **कैनिंग्सबर्ग** कहा जाता था, जो पूर्वी प्रशिया की राजधानी थी।
  - वर्ष 1945 में सोवियत लाल सेना ने इस पर नियंत्रण कर लिया और 1946 में इसका नाम बदलकर कैलिनिनग्राद कर दिया गया।
  - 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह क्षेत्र एक रूसी एन्क्लेव बन गया।

रणनीतिक महत्व और 'सुवाल्की गैप'

- **सैन्य गढ़:** यह क्षेत्र रूस के लिए बाल्टिक सागर में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति है। रूस ने यहाँ परमाणु-सक्षम **इस्कंदर मिसाइलें (Iskander Missiles)**, वायु रक्षा प्रणालियाँ और तटीय मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। यह रूस के 'बाल्टिक फ्लीट' (Baltic Fleet) का मुख्यालय भी है।
- **सुवाल्की गैप:** यह पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित लगभग **104 किलोमीटर लंबी एक संकीर्ण पट्टी** है।
  - यह पट्टी पश्चिम में रूसी एन्क्लेव **कैलिनिनग्राद** को पूर्व में रूस के करीबी सहयोगी देश **बेलारूस** से अलग करती है।
  - रणनीतिक रूप से, यह नाटो का सबसे कमजोर बिंदु माना जाता है क्योंकि यह नाटो के तीन बाल्टिक देशों (एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया) को शेष नाटो यूरोप से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी मार्ग है। युद्ध की स्थिति में यदि रूस इस गैप पर नियंत्रण कर लेता है, तो बाल्टिक देश नाटो से पूरी तरह कट जाएंगे।

वर्तमान सुरक्षा चिंताएं

- **बाल्टिक सागर का 'नाटो झील' में बदलना:** वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद **फिनलैंड और स्वीडन** के नाटो में शामिल होने से बाल्टिक सागर की रणनीतिक स्थिति बदल गई है। अब रूस के अलावा बाल्टिक सागर को घेरने वाले लगभग सभी देश नाटो के सदस्य हैं।

अमेरिका द्वारा क्यूबा की ऊर्जा एवं ईंधन नाकाबंदी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **अक्टूबर 2026 के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अमेरिका द्वारा क्यूबा पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए 34वीं बार एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया है। जनवरी 2026 से अमेरिकी प्रशासन ने क्यूबा के खिलाफ एक बेहद कड़ा 'ईंधन एवं ऊर्जा नाकाबंदी' लागू कर रखा है।**

2026 की ऊर्जा नाकाबंदी:

- **ऊर्जा संकट और कारण:** क्यूबा मुख्य रूप से वेनेजुएला और मैक्सिको से होने वाले तेल आयात पर निर्भर है। वर्ष 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद आपूर्ति ठप हो गई।
- **टैंकरों को रोकना:** अमेरिकी प्रशासन ने फरवरी 2026 से क्यूबा जाने वाले अंतरराष्ट्रीय तेल टैंकरों (जैसे मैक्सिको की सरकारी कंपनी पेमेक्स - Pemex) को रोकना और उन पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी देना शुरू कर दिया।

- **उद्देश्य:** वाशिंगटन का मुख्य रणनीतिक लक्ष्य आर्थिक और ऊर्जा दबाव के जरिए क्यूबा में राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव (Regime Change) लाना है।
- **जमीनी प्रभाव:** ईंधन की इस गंभीर नाकाबंदी के कारण क्यूबा का राष्ट्रीय ग्रिड ध्वस्त हो गया है और देश इतिहास के सबसे बड़े **टोटल ब्लैकआउट** का सामना कर रहा है, जिससे अस्पतालों की आवश्यक सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) 2026 में मतदान:

- **भारत का रुख:** भारत ने इस वर्ष भी **लगातार 34वें वर्ष क्यूबा के समर्थन में और अमेरिकी नाकाबंदी के खिलाफ मतदान किया है।** भारत ऐतिहासिक रूप से विकासशील देशों की संप्रभुता का पक्षधर रहा है।
- **प्रस्ताव का परिणाम:** प्रस्ताव के पक्ष में **130 वोट** पड़े, जबकि **17 देशों ने इसके विरोध में (अमेरिका के पक्ष में) मतदान किया** और **25 देश तटस्थ रहे।**

ऐतिहासिक संदर्भ: क्यूबा मिसाइल संकट (1962)

- **समय और नेता:** अक्टूबर 1962 में 13 दिनों तक चला यह संकट शीत युद्ध (Cold War) का चरम बिंदु था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी, सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव और क्यूबा के फिदेल कास्त्रो शामिल थे।
- **मूल कारण:** सोवियत संघ (USSR) द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की गुप्त तैनाती, जो सीधे अमेरिका पर हमला करने में सक्षम थीं।



क्यूबा की भौगोलिक अवस्थिति

- क्यूबा **कैरिबियन सागर** में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, जो उत्तर में मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मिलन स्थल पर है।
- यह अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से **फ्लोरिडा जलडमरूमध्य** द्वारा अलग होता है और इसकी दूरी मात्र 140-150 किमी है।
- क्यूबा के दक्षिण-पूर्व में स्थित **ग्वांतनामो बे** ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी नौसेना के नियंत्रण (लीज़) में रहा है और एक बड़ा भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट है।

तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 'तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' का सफल आयोजन किया गया।** इस बैठक में दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को **'हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी'** में बदलने पर सहमति व्यक्त की।



नॉर्डिक देश क्या हैं?

- **भौगोलिक परिचय:** यह उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र का एक विशिष्ट भौगोलिक व सांस्कृतिक क्षेत्र है।
- **शामिल 5 देश:** इस समूह के अंतर्गत कुल 5 देश शामिल हैं: **डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन।**
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था।

शिखर सम्मेलन 2026 के 8 प्रमुख परिणाम

1. **हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार साझेदारी:** यह भविष्य में टिकाऊ तकनीकों, हरित रोजगार के सृजन, जलवायु परिवर्तन शमन और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
2. **भारत-EFTA TEPA का प्रभाव:** हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) नॉर्डिक देशों के साथ मूल्य श्रृंखलाओं को एकीकृत करने और रोजगार सृजन में "नए स्वर्ण युग" की शुरुआत करेगा।
3. **जलवायु कार्रवाई:** इसके तहत नॉर्डिक नवाचारों को भारत-नेतृत्व वाले **'मिशन लाइफ'** के अनुरूप बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा और निम्न-उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए अनुवादित किया जाएगा।
4. **आर्कटिक सहयोग:** ध्रुवीय अनुसंधान में संयुक्त पहलों से भारत के मानसून पैटर्न, पर्यावरण संतुलन और सबसे महत्वपूर्ण **कृषि उत्पादकता की सुरक्षा** सुनिश्चित होगी।
5. **STEM और 6G अनुसंधान:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें **6G सहित अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों** पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

6. **सामुद्रिक अर्थव्यवस्था (Blue Economy):** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, सतत पोत पुनर्चक्रण गतिविधियों और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
7. **प्रतिभा की गतिशीलता:** भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को वैश्विक शिक्षण वातावरण से जोड़ना तथा पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाना।
8. **रक्षा उत्पादन में सहयोग:** भारतीय रक्षा औद्योगिक गलियारों में नॉर्डिक रक्षा फर्मों को **100 प्रतिशत एफडीआई (FDI)** के तहत निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसर प्रदान करना।

यूएस ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से आईटी फर्मों का निलंबन

चर्चा में क्यों?



हाल ही में **अमेरिकी प्रशासन ने माइक्रोसॉफ्ट, एडोब सहित दुनिया की कई दिग्गज आईटी कंपनियों को 'स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम' (Permanent Labour Certification - PERM) यानी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया से निलंबित कर दिया है** । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस द्वारा की गई इस बड़ी घोषणा का मुख्य कारण इन कंपनियों द्वारा **H-1B वीजा कार्यक्रम का कथित दुरुपयोग** और अमेरिकी नागरिकों के बजाय विदेशी कामगारों को प्राथमिकता देना बताया गया है।

प्रमुख बिंदु और प्रभावित कंपनियाँ

- **निलंबन का दायरा:** घोषणा के अनुसार, इन ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के **किसी भी नए या लंबित स्थायी श्रम प्रमाणन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा**।
- **प्रभावित दिग्गज आईटी फर्में:** इसमें वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ-साथ भारत की और भारत में बड़े पैमाने पर काम करने वाली शीर्ष आउटसोर्सिंग फर्में शामिल हैं:
  - **माइक्रोसॉफ्ट और एडोब**
  - **टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी**।
- **विश्वविद्यालयों पर जांच:** अध्ययन विनिमय के लिए एक अलग वीजा कार्यक्रम के तहत **येल, स्टैनफोर्ड और एमआईटी (MIT) सहित 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों** के खिलाफ भी जांच शुरू की जाएगी।

लगाए गए मुख्य आरोप

- **अमेरिकी कामगारों की छंटनी:** कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने हजारों अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला और उनकी जगह सस्ते विदेशी H-1B वीजा धारकों को नियुक्त किया। उदाहरण के लिए, माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगाया गया कि उसने 6,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी कर 6,300 H-1B धारकों को शामिल किया।
- **वीजा का नवीनीकरण बनाम नई नियुक्ति:** कंपनियों द्वारा दर्ज कराए गए H-1B आवेदनों में से लगभग 80% का उपयोग नए स्टाफ को काम पर रखने के बजाय मौजूदा कर्मचारियों के वीजा स्टेटस को बढ़ाने या बदलने के लिए किया जा रहा था।

भारतीय आईटी पेशेवरों पर इसका प्रभाव

- **ग्रीन कार्ड में अत्यधिक देरी:** वर्तमान में अमेरिका में वैध कार्य वीजा पर मौजूद विदेशी कामगारों में से **लगभग 79% भारतीय नागरिक हैं**। इस निलंबन के कारण भारतीय पेशेवरों के लिए स्थायी निवास प्राप्त करने की राह में अनिश्चितता और भारी देरी पैदा होगी।
- **रोजगार पर तत्काल असर नहीं:** इस कदम से कर्मचारियों के **मौजूदा वैध H-1B वीजा या उनकी नौकरियों पर तत्काल कोई संकट नहीं आएगा**, लेकिन यह भविष्य में रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के प्रायोजन को पूरी तरह बाधित कर देगा।

PERM प्रोग्राम और H-1B वीजा में अंतर

- **PERM प्रोग्राम (Permanent Labour Certification):** यह अमेरिकी श्रम विभाग (DOL) द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कोई अमेरिकी नियोक्ता किसी विदेशी नागरिक को स्थायी रूप से अमेरिका में काम करने (यानी ग्रीन कार्ड दिलाने) के लिए प्रायोजित करता है। इसके लिए नियोक्ता को प्रमाणित करना होता है कि उस पद के लिए कोई योग्य अमेरिकी नागरिक उपलब्ध नहीं है।
- **H-1B वीजा:** यह एक **अस्थायी कार्य वीजा** है, जो अमेरिकी कंपनियों को तकनीकी या विशिष्ट विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में विदेशी पेशेवरों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है। इसके अनुमोदन का एक बड़ा हिस्सा (लगभग तीन-चौथाई) भारतीय कामगारों को जाता है।

BIMSTEC द्वारा आतंकवाद पर 'दिल्ली घोषणापत्र' स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

Result Mitra

भारत की मेजबानी में आयोजित **बिम्सटेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली ऐतिहासिक बैठक** में सदस्य देशों ने कट्टरपंथ, हिंसक उग्रवाद और आतंकवादी भर्ती से निपटने के लिए सर्वसम्मति से **'दिल्ली घोषणापत्र'** को स्वीकार किया है।



'दिल्ली घोषणापत्र' के मुख्य बिंदु

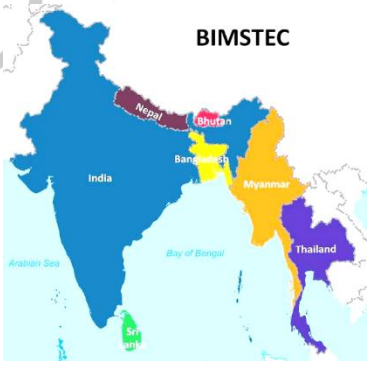
- **तकनीकी दुरुपयोग पर रोक:** आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे- एन्क्रिप्टेड संचार, ड्रोन, क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब) के दुरुपयोग को रोकने का संकल्प लिया गया।
- **टेरर फाइनेंसिंग पर लगाम:** अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों के अनुरूप आतंकी वित्तपोषण के स्रोतों को पूरी तरह समाप्त करने पर सहमति बनी।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का कार्यान्वयन:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों, विशेष रूप से **1267 प्रतिबंध समिति** के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई गई।
- **अपराधियों को पनाह न देना:** घोषणापत्र में साफ किया गया कि कोई भी सदस्य देश अपराधियों या आतंकवादियों को शरण नहीं देगा और अपराधियों के प्रत्यर्पण (Extradition) को मजबूत किया जाएगा।

सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बैठक में पांच मुख्य स्तंभों को रेखांकित किया गया:

1. **मादक पदार्थ नियंत्रण**
2. **आतंकवाद विरोधी और कानूनी सहयोग**
3. **भगोड़े अपराधियों की स्वदेश वापसी**
4. **साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध जांच**
5. **संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण**

बिम्सटेक (BIMSTEC) के बारे में



- **पूरा नाम:** बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
- **गठन:** इसकी स्थापना **1997 में बैंकॉक घोषणा** के माध्यम से हुई थी।
- **मुख्यालय:** इसका स्थायी सचिवालय **ढाका, बांग्लादेश** में स्थित है।
- **सदस्य देश:** इसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के **7 देश** शामिल हैं— भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड।
- **महत्व:** यह संगठन दक्षिण एशिया (SAARC) और दक्षिण-पूर्वी एशिया (ASEAN) के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है।

हंगरी ने कानून से 'एंटी-LGBTQ' प्रावधानों को हटाया

चर्चा में क्यों?



हंगरी के सांसदों ने एक नए विधेयक को पारित कर **2021 के "बाल संरक्षण" कानून से एंटी-LGBTQ प्रावधानों को हटाने** के पक्ष में मतदान किया है। यह कदम देश के नए प्रो-ईयू प्रधानमंत्री पीटर मग्यार के सत्ता में आने के बाद पूर्व राष्ट्रवादी नेता विक्टर ओर्बन के कार्यकाल के फैसलों को पलटने वाला पहला बड़ा बदलाव है।

मुख्य बिंदु

- **विधेयक का पारित होना:** हंगरी की संसद में इस संशोधन विधेयक को **139 मतों के पक्ष में और 51 मतों के विरोध में** पारित किया गया, जिसे संसद में शासी 'तिस्ज़ा पार्टी' के दो-तिहाई बहुमत के कारण आसानी से मंजूरी मिल गई।
- **कानून में बदलाव:** पुराने कानून के तहत बच्चों के लिए सुलभ सामग्री में यौन और लैंगिक विविधता के "चित्रण" या "प्रचार" पर पूरी तरह प्रतिबंध था। नए कानून के तहत अब इस प्रतिबंध को हटाकर केवल ऐसी सामग्रियों से बच्चों (18 वर्ष से कम) की रक्षा करने की बात कही गई है जो उनके शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक या नैतिक विकास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं।

हंगरी के बारे में

- **भौगोलिक स्थिति:** यह मध्य यूरोप में स्थित एक **लैंडलॉक्ड (भू-आबद्ध)** देश है।
- **सीमावर्ती देश:** इसकी सीमाएं उत्तर में स्लोवाकिया, उत्तर-पूर्व में यूक्रेन, पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया, दक्षिण-पश्चिम में क्रोएशिया और स्लोवेनिया तथा पश्चिम में ऑस्ट्रिया से लगती हैं।
- **राजधानी:** बुडापेस्, जो प्रसिद्ध **डेन्यूब नदी** के किनारे स्थित है।
- **वैश्विक संबद्धता:** यह देश **यूरोपीय संघ** (EU) और **नाटो** (NATO) दोनों का एक प्रमुख सदस्य है।



LGBTQ+ के बारे में

- **पूरा नाम:** यह समुदाय **Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer** और अन्य (+ लैंगिक व यौन विविधताओं) को प्रदर्शित करता है।
- **अर्थ:**
  - **L, G, B:** यह व्यक्ति के **यौन रुझान** को दर्शाता है, यानी कोई व्यक्ति किस लिंग के प्रति आकर्षित होता है।
  - **T:** यह **जेंडर पहचान** से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति की आंतरिक जेंडर पहचान उसके जन्म के समय निर्धारित लिंग से अलग होती है।
  - **Q:** यह उन लोगों के लिए है जो पारंपरिक श्रेणियों में फिट नहीं होते या अपनी लैंगिकता की खोज कर रहे हैं।

चीन-उत्तर कोरिया पुल एक दशक की देरी के बाद खुलेगा

चर्चा में क्यों?

चीन और उत्तर कोरिया को जोड़ने वाला एक नया रणनीतिक पुल एक दशक से अधिक की देरी के बाद आखिरकार इस गुरुवार को खुलने जा रहा है। **'न्यू यालू रिवर ब्रिज'** का यह उद्घाटन दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते और घनिष्ठ होते द्विपक्षीय संबंधों के एक नवीनतम संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्य बिंदु



- **पुल की संरचना और कनेक्टिविटी:** यह **4-लेन वाला और 3 किलोमीटर लंबा** पुल है, जो उत्तर-पूर्वी चीनी शहर **डैंडॉन्ग** को उत्तर कोरिया के शहर **सिनुइजू** से सीधे जोड़ता है।
- **देरी का कारण:** इस पुल का निर्माण कार्य काफी पहले पूरा हो चुका था और इसे वर्ष 2014 में ही चालू किया जाना था। हालांकि, उत्तर कोरिया द्वारा अपनी सीमा की तरफ आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित न करने के कारण इसमें एक दशक से अधिक का विलंब हुआ।
- **भू-राजनीतिक संदर्भ:** इस पुल का उद्घाटन ऐसे समय में हो रहा है जब लगभग एक महीने पहले ही उत्तर कोरिया और रूस ने भी अपने संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के तहत **तुमेन नदी** पर 1 किलोमीटर लंबे सड़क पुल को खोला था।

यालू नदी के बारे में

- **भौगोलिक सीमा:** यह नदी **चीन (पूर्वोत्तर क्षेत्र) और उत्तर कोरिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा** का निर्माण करती है।
- **उद्गम और अंत:** यह चांगबाई पर्वत से निकलती है और दक्षिण की ओर बहते हुए **कोरिया की खाड़ी** में गिरती है।
- **ऐतिहासिक महत्व:** भू-राजनीतिक रूप से यह नदी अत्यधिक संवेदनशील है और यह 1950-1953 के कोरियाई युद्ध के दौरान रणनीतिक संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र रही थी।

ग्रीनलैंड में तेल और खनिज अन्वेषण पर विवाद

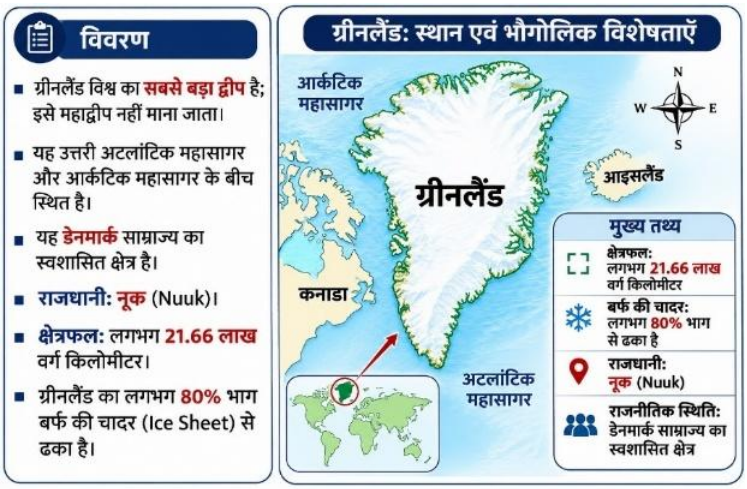
चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड में **व्यापक स्तर पर तेल, गैस और खनिज अन्वेषण शुरू होने जा रहा है।** हालांकि, विशेषज्ञों और वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रीनलैंड की स्वायत्त स्थिति, अत्यधिक कठोर जलवायु और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई दे रही है।

मुख्य बिंदु

- **ग्रीनलैंड की प्रशासनिक स्थिति:** ग्रीनलैंड **डेनमार्क का एक स्वशासी क्षेत्र** है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने ट्रंप के इस दावे पर तुरंत कोई आधिकारिक सहमति नहीं जताई है।

- **त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता:** यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं के साथ आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देता, लेकिन रणनीतिक क्षेत्रों में गैर-नाटो देशों के निवेश पर कुछ सीमाएं जरूर लगाता है।
- **प्राकृतिक संसाधन और चुनौतियां:** अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रीनलैंड में तेल, प्राकृतिक गैस और **दुर्लभ पृथ्वी खनिजों (Rare Earth Minerals)** के विशाल भंडार हैं।



अन्वेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं

- **कठोर जलवायु:** द्वीप का अधिकांश हिस्सा और अपतटीय (Offshore) क्षेत्र मोटी आर्कटिक बर्फ की परतों से ढका हुआ है, जिससे खनन अत्यधिक कठिन और खर्चीला हो जाता है।
- **बुनियादी ढांचे का अभाव:** गहरे सुदूर क्षेत्रों में परिवहन, बिजली और आधुनिक विनिर्माण इकाइयों की भारी कमी है।
- **चीन का प्रभुत्व:** वर्तमान में वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का दबदबा है। अमेरिका इस चोकहोल्ड को तोड़ना चाहता है, लेकिन ग्रीनलैंड में खनन शुरू करना एक दीर्घकालिक और बेहद जटिल प्रक्रिया है।

ग्रीनलैंड के बारे में

- **भौगोलिक स्थिति:** यह **विश्व का सबसे बड़ा द्वीप** है, जो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है।
- **भू-आकृति:** इसका लगभग 80% भाग स्थायी बर्फ की चादर (Ice sheet) से ढका हुआ है।
- **राजनीतिक संबंध:** यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से यूरोप (डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा) से निकटता से जुड़ा हुआ है।

टिग्रे संघर्ष से इथियोपिया-इरीट्रिया युद्ध की आशंकाएं तेज

चर्चा में क्यों?

इथियोपिया के **टिग्रे** क्षेत्र में संघीय सरकार और **टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF)** के बीच फिर से संघर्ष भड़क उठा है। नवंबर 2022 के प्रिटोरिया शांति समझौते के विफल होने और विद्रोही बलों द्वारा प्रांतीय राजधानी मिकैले पर पुनः नियंत्रण करने से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा पैदा हो गया है।

मुख्य बिंदु और संघर्ष के कारण



- **शांति समझौते का पतन:** नवंबर 2022 में अफ्रीकी संघ की मध्यस्थता में हुए प्रिटोरिया समझौते के बावजूद राजनीतिक शक्ति और सशस्त्र समूहों के पूर्ण विसर्जन जैसे मुद्दों का समाधान न होने से यह संघर्ष दोबारा शुरू हुआ।
- **इरीट्रियाई सीमा पर तनाव:** वर्ष 2020-2022 के युद्ध में इरीट्रियाई सेना ने इथियोपियाई सरकार का साथ दिया था। वर्तमान में टिग्रे क्षेत्र के भीतर इरीट्रियाई बलों की कथित घुसपैठ और सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के जमावड़े से 1998-2000 के ऐतिहासिक युद्ध जैसे हालात दोबारा बन रहे हैं।
- **लाल सागर तक पहुंच की होड़:** वर्ष 1993 में इरीट्रिया के अलग होने के बाद इथियोपिया एक भू-आबद्ध (Landlocked) देश बन गया था। इथियोपिया द्वारा समुद्र (लाल सागर) तक पहुंच बनाने के आक्रामक प्रयासों को इरीट्रिया अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है।

टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) क्या है?

- **पृष्ठभूमि:** यह इथियोपिया का एक वामपंथी नस्लीय-राष्ट्रवादी अर्धसैनिक समूह और राजनीतिक दल है।
- **ऐतिहासिक प्रभाव:** वर्ष 1991 से 2018 तक इथियोपिया के सत्ताधारी राजनीतिक गठबंधन में TPLF का एकछत्र दबदबा था।
- **विवाद की शुरुआत:** 2018 में जब अबी अहमद प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सत्ता के केंद्रीकरण का प्रयास किया और TPLF को दरकिनार कर दिया। इसके बाद 2020 में टिग्रे में कराए गए अवैध क्षेत्रीय चुनावों के बाद यह राजनीतिक टकराव पूर्ण सैन्य संघर्ष में बदल गया।

हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में

- यह उत्तर-पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो **इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया** और **इथियोपिया** देशों को कवर करता है।

अल्बर्टा जनमत संग्रह

चर्चा में क्यों?

कनाडा के तेल समृद्ध प्रांत **अल्बर्टा में अलगाव के मुद्दे पर हुए जनमत संग्रह** के नतीजे आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के खिलाफ छेड़े गए व्यापार युद्ध और कनाडा को विभाजित करने की आशंकाओं के बीच, इस जनमत संग्रह ने कनाडा की संप्रभुता के लिए एक बड़ी परीक्षा पेश की थी।



जनमत संग्रह के परिणाम

- **कनाडा के पक्ष में जनादेश:** अल्बर्टा के **लगभग 75% लोगों ने कनाडा के साथ बने रहने के पक्ष में वोट दिया**, जिससे अलगाववादी (Separatist) प्रस्ताव खारिज हो गया और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बड़ी राजनीतिक राहत मिली।
- **असंतोष का कारण:** अल्बर्टा कनाडा के **80% से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन** करता है। यहाँ के निवासियों में केंद्र सरकार की पर्यावरण नीतियों और तेल निष्कर्षण पर पाबंदियों के कारण आर्थिक नुकसान को लेकर असंतोष था।
- **अमेरिकी 'MAGA' का प्रभाव:** अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आंदोलन ने अल्बर्टा के रूढ़िवादी नेताओं को स्वायत्तता और तेल संसाधनों पर खुद अधिकार जमाने के लिए प्रेरित किया था। हार के बावजूद, अलगाववादी नेता जेफ राठ का कहना है कि उन्हें मिले 30% वोट आंदोलन की मजबूती को दर्शाते हैं।

अल्बर्टा के बारे में

- **भौगोलिक स्थिति:** यह पश्चिमी कनाडा में स्थित तीन प्रेयरी प्रांतों में से एक है, जो पूरी तरह से भू-आबद्ध (Landlocked) है। इसकी राजधानी **एडमॉन्टन** है।
- **सीमाएं:** इसके पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया, पूर्व में सास्काचेवान, उत्तर में नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज़ और दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका (मोंटाना राज्य) स्थित है।
- **ऊर्जा केंद्र:** अल्बर्टा को कनाडा का **'ऊर्जा प्रांत'** कहा जाता है। यह कनाडा के कुल कच्चे तेल उत्पादन का **80% से अधिक** योगदान देता है।
- **प्राकृतिक संसाधन:** यह दुनिया के चौथा सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार (वेनेजुएला, सऊदी अरब और ईरान के बाद) वाले क्षेत्रों में शामिल है।

फ्रांस में हिंसक विरोध प्रदर्शन और नागरिक अशांति

चर्चा में क्यों?

बढ़ती जीवन लागत और स्कूलों की खराब स्थिति के खिलाफ फ्रांस में हो रहे छात्र प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद **कम से कम 1,800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।** इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़पें, बड़े पैमाने पर लूटपाट और लिमोजेस के ऐतिहासिक 19वीं सदी के सिटी हॉल सहित सार्वजनिक इमारतों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं।

विरोध प्रदर्शन के प्रमुख पहलू



- **आर्थिक कारण:** देश भर में करीब 5.5 लाख से अधिक लोग बढ़ती महंगाई, जीवन यापन के ऊंचे खर्च और जर्जर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं।
- **सरकार का रुख:** राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को मौलिक बताते हुए "अनियंत्रित हिंसा और लूटपाट" की कड़े शब्दों में निंदा की है। हिंसा के लिए **"कट्टर वामपंथी समूहों" (Radical Far-Left Groups)** को जिम्मेदार ठहराया है।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** सुदूर-दक्षिणपंथी (Far-Right) नेता मरीन ले पेन ने इस हिंसा के लिए वामपंथी दलों को घेरा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अशांति को प्रवासन (Immigration) से जोड़ा है।
- **आर्थिक प्रभाव व उपाय:** व्यावसायिक संपत्तियों को पहुंचे बड़े नुकसान को देखते हुए पेरिस प्रशासन ने प्रभावित व्यापारियों की सहायता और क्षति के आकलन के लिए एक **'आपातकालीन इकाई' (Emergency Unit)** का गठन किया है।

फ्रांस के बारे में

- **भौगोलिक स्थिति:** यह पश्चिमी यूरोप में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है, जिसकी सीमाएं बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोनाको, अंडोरा और स्पेन से लगती हैं।
- **जल निकाय:** यह उत्तर में इंग्लिश चैनल, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है।

- **राजनीतिक व्यवस्था:** फ्रांस में अर्ध-अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का स्थायी सदस्य (P5) होने के साथ-साथ परमाणु संपन्न राष्ट्र और यूरोपीय संघ (EU) का एक प्रमुख संस्थापक सदस्य है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2026

चर्चा में क्यों?

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तहत दो अत्यंत महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है:



1. **शासनाध्यक्षों की परिषद (CHG) की 25वीं बैठक:** ताजिकिस्तान की राजधानी **दुशांबे** में आयोजित इस बैठक को भारत के रक्षा मंत्री **राजनाथ सिंह** ने संबोधित किया।
2. **राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (CHS) की 26वीं बैठक:** किर्गिज़ गणराज्य की राजधानी **बिश्केक** में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** ने हिस्सा लिया और सदस्य देशों को संबोधित किया।

राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (CHS) की 26वीं बैठक के मुख्य बिंदु

- **किर्गिज़ अध्यक्षता की परिणति:** सितंबर 2026 में आयोजित यह बैठक किर्गिज़ गणराज्य की अध्यक्षता के तहत संपन्न हुई, जिसका आदर्श वाक्य **"एससीओ के 25 वर्ष: सतत शांति, विकास और समृद्धि के लिए एक साथ"** था।
- **अगली अध्यक्षता (2026–2027):** आगामी वर्ष के लिए SCO की कमान **इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान** को सौंपी गई है, जिसका विषय **"दृष्टि को क्रिया में बदलना: कनेक्टिविटी, नवाचार और साझा समृद्धि"** तय किया गया है।

शासनाध्यक्षों की परिषद (CHG) की 25वीं बैठक के मुख्य बिंदु

- **आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस:** भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद का किसी भी रूप में औचित्य नहीं हो सकता।
- **दोहरे मानदंडों का विरोध:** रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि आतंकवाद से निपटने में अपनाए जाने वाले दोहरे मानदंड क्षेत्रीय सुरक्षा से गंभीर समझौता करते हैं।
- **एससीओ सांस्कृतिक संवाद मंच की मेजबानी:** भारत ने घोषणा की कि वह वर्ष 2026 के अंत तक **पहले एससीओ सांस्कृतिक संवाद मंच** की मेजबानी करेगा। यह पहल मूल रूप से भारत द्वारा 2025 के तियानजिन शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित थी।
- **आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी:** मध्य एशिया को व्यापक बाजारों से जोड़ने के लिए **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा** (INSTC) और ईरान के **चाबहार बंदरगाह** के महत्व को रेखांकित किया गया। साथ ही वर्ष 2026-2030 की अवधि के लिए बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग की कार्ययोजना का समर्थन किया गया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में

- **प्रकृति:** यह एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी घोषणा **वर्ष 2001 में शंघाई (चीन)** में की गई थी।
- **मुख्यालय:** इसका स्थायी सचिवालय **बीजिंग, चीन** में स्थित है।
- **संरचना (मुख्य निकाय):**
  - **राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (CHS):** यह एससीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
  - **शासनाध्यक्षों की परिषद (CHG):** यह आर्थिक, व्यापारिक और बजट से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेती है।
- **भारत की सदस्यता:** भारत और पाकिस्तान **वर्ष 2017** में अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान इसके पूर्णकालिक सदस्य बने थे।

तुर्किये, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कतर के बीच रक्षा समझौता

चर्चा में क्यों?



तुर्किये, कतर, पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दोहा में **'बद्र समझौता ज्ञापन'** पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रणनीतिक समझौता मुस्लिम बहुल देशों के बीच एक नया सैन्य और रक्षा औद्योगिक ब्लॉक उभरने का संकेत देता है।

समझौते के मुख्य बिंदु

- **बद्र समझौता (Badr MoU):** तुर्की रक्षा मंत्रालय के अनुसार, चारों देशों ने आपसी रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से कतर की राजधानी दोहा में इस समझौते को अंतिम रूप दिया है।
- **रक्षा औद्योगिक एकीकरण:** इस पहल का मुख्य उद्देश्य चारों देशों की अनूठी सैन्य उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठाना है। यह रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाएगा और मित्र देशों की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।

- **तुर्किये की बढ़ती भूमिका:** नाटो (NATO) में दूसरी सबसे बड़ी सेना और मजबूत रक्षा उद्योग रखने वाला तुर्किये इस ब्लॉक का नेतृत्व कर रहा है। तुर्किये पहले से ही कतर में अपने सैन्य बेस के माध्यम से खाड़ी देशों की सुरक्षा मजबूत करने में मदद कर रहा है।

भारत के लिए भू-राजनीतिक निहितार्थ

- **पाकिस्तान-तुर्किये गठजोड़:** पाकिस्तान और तुर्किये के बीच बढ़ता रक्षा व तकनीकी सहयोग (जैसे उन्नत ड्रोन और सैन्य हार्डवेयर) भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है, क्योंकि तुर्किये कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का परोक्ष समर्थन करता रहा है।
- **इंडोनेशिया का रुख:** आसियान (ASEAN) क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार इंडोनेशिया इस ब्लॉक में शामिल है, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति के दृष्टिकोण से काफी अहम है।

भारत-पोलैंड द्विपक्षीय वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव को कम करने पर विस्तृत चर्चा हुई। पोलिश पीएम ने भारत और पोलैंड के बीच किसी भी **"हितों के टकराव"** से इनकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को **"आशा की किरण"** बताया।

बैठक के मुख्य बिंदु



- **यूक्रेन युद्ध पर चार-सूत्रीय प्रस्ताव:** भारत ने रूस और यूक्रेन के साथ एक गुप्त चार-सूत्रीय प्रस्ताव साझा किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों पर हमलों को रोकना, ब्लैक सी के रास्ते सुरक्षित खाद्यान्न और ऊर्जा निर्यात सुनिश्चित करना तथा नाविकों की सुरक्षा करना है।
- **व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य:** दोनों देशों ने वर्तमान **$6 बिलियन** के द्विपक्षीय व्यापार को **वर्ष 2030 तक दोगुना** करने का लक्ष्य रखा है। दिसंबर में होने वाले भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (India-EU FTA) से इसे बल मिलेगा।
- **बहुपक्षीय और रक्षा सहयोग:** पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है और खुद G-20 में शामिल होने की इच्छा जताई है। दोनों देशों ने सुरक्षा व रक्षा हार्डवेयर के लिए एक **'रक्षा उद्योग संवाद'** की घोषणा भी की है।

पोलैंड की भौगोलिक स्थिति

- **अवस्थिति:** यह मध्य यूरोप में स्थित एक प्रमुख देश है।
- **सीमावर्ती देश:** इसकी सीमाएं उत्तर-पूर्व में लिथुआनिया और रूस (कैलिनिनग्राद क्षेत्र), पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन, दक्षिण में स्लोवाकिया और चेक गणराज्य तथा पश्चिम में जर्मनी से लगती हैं।
- **समुद्री सीमा:** इसके उत्तर में **बाल्टिक सागर** स्थित है, जो व्यापार और रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **राजधानी:** वारसॉ।

12वां ब्रिक्स संसदीय मंच दिल्ली में आयोजित

चर्चा में क्यों?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में, **12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का दो दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है।**

बैठक के मुख्य बिंदु



- **प्रतिभागी:** इस सम्मेलन में ब्रिक्स और उसके भागीदार देशों के पीठासीन अधिकारियों, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की।
- **विषय (Theme):** जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को बढ़ावा देना (**Fostering parliaments for people-centric development**)
- **प्रमुख चर्चा के विषय:** बैठक के दौरान संस्थागत लचीलापन, नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक शासन में सुधार और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर मंथन किया गया।
- **भागीदारी में अपवाद:** अधिकांश प्रतिभागी देशों ने इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हालांकि **सऊदी अरब और इथियोपिया** ने इसमें शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की।

ब्रिक्स (BRICS) के बारे में

- **प्रकृति:** यह विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समूह है।

- **गठन और पहला शिखर सम्मेलन:** वर्ष 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ और औपचारिक रूप से इसकी स्थापना हुई। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह **BRICS** बन गया।
- **वर्तमान सदस्य देश (11 देश):** ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इंडोनेशिया।

फ्रांस और यूके का पहला संयुक्त परमाणु हवाई हमला सिमुलेशन

चर्चा में क्यों?

फ्रांसीसी और ब्रिटिश वायु सेनाओं ने इतिहास में पहली बार एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, जिसमें **परमाणु हमले का सिमुलेशन (सिम्युलेटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक)** किया गया।



अभ्यास के मुख्य बिंदु और सामरिक महत्व

- **अभ्यास का नाम और क्षेत्र:** इस संयुक्त युद्धाभ्यास को **'रमी' (Rummy)** कोडनेम दिया गया था। यह अभ्यास **भूमध्य सागर** के ऊपर आयोजित किया गया।
- **शामिल लड़ाकू विमान:** उत्तर-पूर्वी फ्रांस के एक हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद, फ्रांसीसी **राफेल** लड़ाकू विमानों ने ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स (RAF) के **टाइफून** लड़ाकू विमानों के संरक्षण में इस सिम्युलेटेड परमाणु हमले को अंजाम दिया।
- **परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं:** रक्षा मंत्रालयों ने स्पष्ट किया कि इस अभ्यास में किसी भी वास्तविक परमाणु हथियार का उपयोग नहीं किया गया था; इसका उद्देश्य केवल दोनों सेनाओं के बीच परिचालन समन्वय को मजबूत करना था।
- **यूरोपीय सुरक्षा और नाटो (NATO) को संदेश:** ब्रेक्सिट के बाद फ्रांस यूरोपीय संघ (EU) की एकमात्र परमाणु शक्ति है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री कैथरीन वॉट्रिन और ब्रिटिश रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने इस अभ्यास को ब्रिटेन-फ्रांस रक्षा सहयोग में एक "नया अध्याय" और नाटो की विश्वसनीय निवारक क्षमता को सुदृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

भूमध्य सागर की भौगोलिक स्थिति

- **अवस्थिति:** यह अटलांटिक महासागर से जुड़ा एक सागर है, जो उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है।
- **रणनीतिक जलमार्ग:** यह पश्चिम में **जिब्राल्टर जलडमरूमध्य** द्वारा अटलांटिक महासागर से और दक्षिण-पूर्व में **स्वेज नहर** के माध्यम से लाल सागर से जुड़ता है।

13वीं एडीएमएम-प्लस (ADMM-Plus) बैठक

चर्चा में क्यों?

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेबू, फिलीपींस में आयोजित **13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus)** में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बैठक के दौरान वे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को संबोधित करेंगे।



बैठक के मुख्य बिंदु

- **आयोजन और अध्यक्षता:** यह बैठक फिलीपींस की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बैठक के हाशिये पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अन्य देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।
- **ADMM-Plus क्या है:** यह रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर संवाद एवं सहयोग के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय मंच है। इसमें **11 आसियान सदस्य देश** और **आठ संवाद भागीदार** शामिल हैं।
- **आठ संवाद भागीदार:** भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका (US), चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
- **भारत की भूमिका:** भारत वर्तमान में 2024-2027 चक्र के लिए मलेशिया के साथ मिलकर **आतंकवाद विरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह (Experts Working Group on Counter-Terrorism)** की सह-अध्यक्षता कर रहा है।

आसियान (ASEAN) के बारे में

- **पूरा नाम:** एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन)।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना **वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा** के माध्यम से हुई थी।
- **मुख्यालय:** इसका सचिवालय **जकार्ता, इंडोनेशिया** में स्थित है।

- **महत्व:** भारत के लिए आसियान उसकी **'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'** और **हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण** का एक केंद्रीय स्तंभ है।

लूला डी सिल्वा चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए

चर्चा में क्यों?

वामपंथी नेता **लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा** ने सुदूर-दक्षिणपंथी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराकर **चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है**। लूला ने रिकॉर्ड **64 मिलियन वोट** हासिल किए, जो ब्राजील के इतिहास में सबसे बड़ी चुनावी जीत है।



मुख्य बिंदु

- **नाटकीय वापसी:** चुनाव के पहले दौर में पीछे रहने के बाद लूला ने अंतिम दौर के मुकाबले में 40 लाख से अधिक मतों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
- **विदेशी हस्तक्षेप का विरोध:** अपनी जीत के बाद लूला ने कहा कि **"ब्राजील किसी का पिछवाड़ा नहीं है"**। उन्होंने बोल्सोनारो के पक्ष में कथित अमेरिकी हस्तक्षेप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुष्प्रचार को हराने की बात कहते हुए 'बिग टेक' कंपनियों को विनियमित करने का संकल्प लिया।
- **तकनीकी विवाद:** चुनाव के दौरान विवाद तब गहराया जब 'मेटा' (Meta) ने स्वीकार किया कि उसके एआई टूल ने लूला समर्थित विज्ञापनों को ब्लॉक किया था, जबकि विपक्षी अभियान को अनुमति दी गई थी।
- **प्रमुख प्राथमिकताएं:** 80 वर्षीय लूला ने देश की संप्रभुता की रक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय एआई प्रणाली विकसित करने का वादा किया है।

ब्राजील के बारे में

- **भौगोलिक स्थिति:** यह **दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश** है, जिसकी सीमाएं इक्वाडोर और चिली को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के अन्य सभी देशों से मिलती हैं।
- **अमेज़न बेसिन:** दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन और जैव विविधता का केंद्र 'अमेज़न' मुख्य रूप से ब्राजील में ही स्थित है।

रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन और रणनीतिक साझेदारी

चर्चा में क्यों?

रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित **तीसरे रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन** के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफ्रीकी देशों को पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ रूस का **"स्वाभाविक सहयोगी"** (Natural Allies) बताया है।

मुख्य बिंदु

- **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था:** राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा कि एक **बहुध्रुवीय विश्व** (Multipolar World) तेजी से एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता बन रहा है। उन्होंने कहा कि वह युग अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है जब कुछ देशों का एक संकीर्ण समूह (पश्चिमी देश) पूरे महाद्वीप का भाग्य तय करता था।
- **पश्चिमी 'नव-उपनिवेशवाद' की आलोचना:** रूस द्वारा अफ्रीका में पश्चिमी "नव-उपनिवेशवाद" (Neocolonialism) की तीखी आलोचना को साहेल क्षेत्र के देशों का व्यापक समर्थन मिला है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो जैसे देशों ने अपने पूर्व औपनिवेशिक शासक फ्रांस से दूरी बनाकर मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं।



- **सहयोग और समझौते:** आर्थिक मंच के इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में 48 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, जहां **कुल 33 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर** किए गए।
- **प्रमुख घोषणाएं:**
  - रूस ने अफ्रीकी देशों में अपनी कृषि उपज के भौगोलिक विस्तार को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।
  - अफ्रीकी महाद्वीप पर प्रभावी रूसी दवाओं और टीकों के स्थानीय उत्पादन की योजना की घोषणा की गई।
  - वर्ष 2020 की तुलना में रूस में पढ़ने वाले अफ्रीकी छात्रों की संख्या में **50% की वृद्धि** दर्ज की गई है।

साहेल क्षेत्र के बारे में

- **भौगोलिक स्थिति:** यह अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर के सहारा मरुस्थल और दक्षिण के सूडानियाई सवाना के बीच का एक संक्रमणकालीन अर्ध-शुष्क क्षेत्र है।

- **विस्तार:** यह अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला है, जिसमें मुख्य रूप से सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और सूडान जैसे देश शामिल हैं।

चीन द्वारा ताइवान के खिलाफ 'कॉग्निटिव वॉरफेयर'

चर्चा में क्यों?

ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने आरोप लगाया है कि चीन ताइवान के जनमानस को प्रभावित करने के लिए **'कॉग्निटिव वॉरफेयर' (संज्ञानात्मक युद्ध)** छेड़ रहा है। यह प्रतिक्रिया चीन द्वारा वर्ष 1945 में जापान द्वारा ताइवान को सौंपे जाने की वर्षगांठ पर जारी किए गए सैन्य दुष्प्रचार पोस्टरों और सैटेलाइट तस्वीरों के बाद आई है।



मुख्य बिंदु और विवाद के कारण

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** जापान ने वर्ष 1945 में ताइवान का नियंत्रण तत्कालीन 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' सरकार को सौंपा था। चीन की सेना (PLA) ने हाल ही में लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों वाले पोस्टर जारी कर इसे चीनी मुख्य भूमि में "पुनर्स्थापना का इतिहास" बताया है।
- **ताइवान का रुख:** ताइवान के रक्षा मंत्री के अनुसार, वर्तमान चीन (PRC) की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी, इसलिए 1945 के जापानी आत्मसमर्पण का उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने चीन की इस कार्रवाई को मनोवैज्ञानिक रूप से गुमराह करने की रणनीति बताया है।
- **किनमेन द्वीप:** ताइवान की सेना ने अक्टूबर 1949 में इन द्वीपों पर चीन के असफल आक्रमण को याद करते हुए सतर्कता बढ़ाने की अपील की है। चीनी तट के करीब स्थित ये द्वीप आज भी ताइवान के नियंत्रण में हैं।

कॉग्निटिव वॉरफेयर क्या है?

- **परिभाषा:** यह एक ऐसी युद्ध रणनीति है जिसमें हथियारों के बजाय **सूचना, दुष्प्रचार, साइबर मनोवैज्ञानिक रणनीतियों और सोशल मीडिया** का उपयोग करके जनभावनाओं, जनता के सोचने के तरीके और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित या नियंत्रित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष युद्ध लड़े किसी देश की जनता और सेना के मनोबल को तोड़ना और समाज में अविश्वास पैदा करना होता है।

भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि

चर्चा में क्यों?

भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक **30-वर्षीय गंगा जल साझाकरण संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है।** बांग्लादेश ने इस संधि के नवीनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन और नदी पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती ज़रूरतों को शामिल करते हुए एक नई व्यापक संधि के लिए भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।



संधि की पृष्ठभूमि और संरचना

- **हस्ताक्षर और अवधि:** इस ऐतिहासिक समझौते पर **12 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में** तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी वैधता 30 वर्षों (1996 से 2026) के लिए तय की गई थी।
- **फरक्का बैराज:** यह संधि पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज से **शुष्क मौसम (Lean Season: 1 जनवरी से 31 मई तक)** के दौरान गंगा नदी के पानी को दोनों देशों के बीच विभाजित करने का काम करती है।
- **जल बंटवारे का सूत्र:**
  - यदि फरक्का पर पानी का बहाव 75,000 क्यूसेक या उससे अधिक होता है, तो बांग्लादेश को **35,000 क्यूसेक पानी** मिलना अनिवार्य है और शेष पानी भारत अपने पास रखता है।
  - यदि बहाव 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच होता है, तो दोनों देश 50-50% पानी साझा करते हैं।

इस संधि का सामरिक महत्व

- **द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती:** इस संधि ने भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने जल विवाद को हल कर आपसी विश्वास और कूटनीतिक सहयोग को एक नया आयाम दिया।
- **कोलकाता पोर्ट की सुरक्षा:** भारत के लिए यह संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हुगली नदी में नौवहन बनाए रखने और कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाने के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
- **कृषि एवं पारिस्थितिकी:** बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में कृषि, पेयजल की उपलब्धता और **सुंदरवन के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र** को बनाए रखने में यह पानी बेहद मददगार साबित होता है।

वर्तमान चिंताएं और नई संधि की मांग

- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** बांग्लादेश का तर्क है कि पिछले तीन दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण नदी के जल स्तर और बहाव के पैटर्न में भारी बदलाव आया है, जिससे शुष्क मौसम में पानी की भारी किल्लत और फसल को नुकसान हो रहा है।
- **संस्थागत तंत्र की मांग:** बांग्लादेश अब एक ऐसा नया ढांचा चाहता है जो केवल मात्रा आधारित न होकर दोनों देशों की बदलती पारिस्थितिक और पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके।

इजरायल चुनाव: गठबंधन की चुनौतियां

चर्चा में क्यों?

इजरायल के हालिया संसदीय चुनावों में किसी भी गुट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से **गहरे राजनीतिक विभाजन और अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है।** 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) में सरकार बनाने के लिए आवश्यक 61 सीटों का आंकड़ा न तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गुट को मिला है और न ही गादी ईसेनकोट के विपक्षी गठबंधन को।



प्रमुख चुनावी परिणाम

- **नेतन्याहू (लिकुड पार्टी):** इनकी पार्टी ने **27 सीटें** और पूरे दक्षिणपंथी ब्लॉक ने कुल **53 सीटें** जीती हैं।
- **विपक्षी ब्लॉक:** गादी ईसेनकोट के नेतृत्व वाला विपक्ष भी बहुमत का आंकड़ा (61 सीटें) जुटाने में विफल रहा।
- **अरब पार्टियां:** 'जॉइंट लिस्ट' और 'रा'आम' ने मिलकर ऐतिहासिक **19 सीटें** हासिल की हैं, जो उनकी पिछली सीटों (10) से लगभग दोगुनी हैं।

सरकार गठन की मुख्य बाधाएं

- **राजनीतिक विखंडन:** वैचारिक मतभेदों के कारण गठबंधन की बातचीत लंबी खिंच सकती है, जिससे देश में दोबारा चुनाव होने की संभावना बढ़ गई है।
- **अरब दलों का बहिष्कार:** इजरायल की 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अरब दलों को नेतन्याहू और विपक्षी नेता ईसेनकोट दोनों ने ही राष्ट्रीय सुरक्षा व गाजा नीति पर मतभेदों के चलते गठबंधन से बाहर रखा है।
- **कार्यवाहक सरकार:** दोनों मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के बीच राष्ट्रीय एकता सरकार बनने के आसार बेहद कम हैं, जिससे कोई नया गठबंधन न बनने पर नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

कूटनीतिक और सामाजिक प्रभाव

- **विदेश नीति:** सत्ता परिवर्तन के बाद भी इजरायल की कोर सुरक्षा चिंताओं और गाजा संघर्ष की नीतियों में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, जिससे उसका अंतरराष्ट्रीय अलगाव (Isolation) जारी रह सकता है।
- **सामाजिक ध्रुवीकरण:** मुख्यधारा के दलों द्वारा अरब अल्पसंख्यकों की बढ़ती चुनावी ताकत को स्वीकार न करना देश के लोकतांत्रिक समावेश को कमजोर कर आंतरिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है।

राजव्यवस्था और शासन (Polity And Governance)

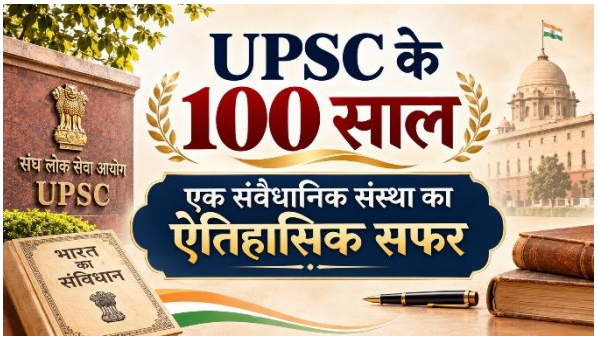
UPSC के 100 साल: एक संवैधानिक संस्था का ऐतिहासिक सफर

चर्चा में क्यों?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने **1 अक्टूबर 2026 को अपने गौरवशाली 100 साल पूरे कर लिए हैं।** 1 अक्टूबर 1926 को एक सलाहकारी संस्था के रूप में शुरू हुआ यह सफर आज देश की एक शीर्ष, निष्पक्ष और स्वतंत्र संवैधानिक भर्ती एजेंसी के रूप में स्थापित हो चुका है।

ऐतिहासिक विकासक्रम

- **शुरुआती कदम:** योग्यता आधारित नियुक्ति की शुरुआत वर्ष 1855 में लंदन में आयोजित भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा से हुई। **वर्ष 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर** पहले भारतीय बने जिन्होंने यह परीक्षा पास की।
- **भारत में परीक्षा और ली आयोग:** भारतीयों की मांग पर वर्ष 1922 में पहली बार ICS परीक्षा भारत (इलाहाबाद) में हुई। वर्ष 1924 में **ली आयोग** की सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को 'लोक सेवा आयोग' की स्थापना की गई। **सर रॉस बार्कर** इसके पहले अध्यक्ष बने।
- **संवैधानिक आधार:** 22 अगस्त 1949 को डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने संविधान सभा में इससे जुड़े प्रावधान पेश किए। संविधान के **भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323** के तहत आयोग को सुरक्षा, कार्य और वित्तीय स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक दर्जा मिला। वर्ष 1950 में इसका नाम बदलकर 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) किया गया।



परीक्षा प्रणाली में प्रमुख सुधार और बदलाव

- **तीन चरणीय परीक्षा (1979):** प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तीन चरणों वाली व्यवस्था शुरू हुई।
- **डिजिटल और तकनीकी सुधार:**
  - वर्ष 2011 में सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा (**CSAT**) जोड़ी गई, जिसे वर्ष 2015 में 33% अंकों के साथ केवल क्वालिफाइंग बनाया गया।
  - वर्ष 2025 में उम्मीदवारों के लिए **यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर** और साक्षात्कार बोर्ड के लिए 'यादृच्छिक (Random) चयन व्यवस्था' लागू की गई।
  - वर्ष 2026 में 30-चैनल हेल्पडेस्क की शुरुआत हुई और प्रारंभिक परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) जल्द जारी करने की व्यवस्था की गई।
- **पारदर्शिता और एआई (AI) का उपयोग:** वर्ष 2025-26 में NDA, CDS और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में **AI आधारित 'चेहरे की पहचान' (Facial Recognition)** से उम्मीदवारों का सत्यापन शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, डेटा जांच के माध्यम से अतिरिक्त प्रयासों का गलत दावा करने वाले 569 आवेदकों को खारिज किया गया।

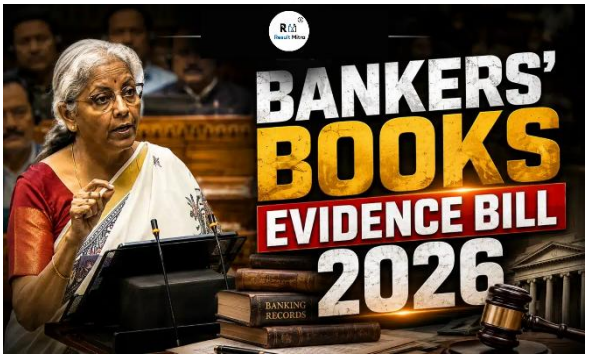
आयोग के बढ़ते कार्य और समावेशन

- **आवेदकों में भारी वृद्धि:** वर्ष 1950-51 में प्राप्त आवेदनों की संख्या 42,727 थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर **45,10,044** हो गई।
- **महिला भागीदारी में उछाल:** वर्ष 1952 में अनुशंसित उम्मीदवारों में केवल 3 महिलाएं थीं, जबकि वर्ष 2025 के 958 सफल उम्मीदवारों में **299 महिलाएं** शामिल थीं, जिन्होंने शीर्ष 25 रैंकों में से 11 स्थान हासिल किए।
- **वर्तमान नेतृत्व: डॉ. अजय कुमार 15 मई 2025 से UPSC के अध्यक्ष** पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में आयोग में आठ सदस्य हैं, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं।

द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा **'द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026'** को 3 अगस्त 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक ब्रिटिश कालीन **'बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891'** को निरस्त (Repeal) और प्रतिस्थापित करेगा, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में बैंक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के अनुरूप ढाला जा सके।



मूल अधिनियम (1891) का उद्देश्य

मूल कानून यह सुविधा देता है कि अदालती कार्यवाही के दौरान बैंकों को अपने मूल बही-खाते जमा करने की आवश्यकता नहीं होती; बल्कि उनकी प्रमाणित प्रतियां ही साक्ष्य के रूप में मान्य होती हैं।

विधेयक के मुख्य बिंदु

- **डिजिटल रिकॉर्ड को मंजूरी:** बैंक के **इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड** को कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य और वैध बनाया गया है, बशर्ते डेटा में कोई छेड़छाड़ या अनधिकृत बदलाव न हुआ हो।
- **गवाही के लिए विवश न करना:** यदि बैंक मामले में खुद एक पक्ष नहीं है, तो उसके अधिकारियों को मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने या गवाह के रूप में पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत केवल **"विशेष कारणों"** (जैसे प्रामाणिकता संदिग्ध होने या अदालती आदेश का पालन न करने) पर ही ऐसा आदेश दे सकती है।

- **दायरे का विस्तार:** यह कानून बैंकों और डाकघर बचत बैंकों के साथ-साथ अब केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा **वित्तीय क्षेत्र की किसी भी अन्य संस्था** पर भी लागू किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) तथा सेवा शर्तें नियम, 2026

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर को **'नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन (NTC)' के गठन और भर्ती नियमों को अधिसूचित किया गया है।** इसका मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत देश के 16 ट्रिब्यूनल और अपीलीय निकायों में नियुक्तियों, पात्रता और सेवा शर्तों को मानकीकृत करना तथा न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

NTC की संरचना और कार्यकाल



- **प्रकृति व मुख्यालय:** यह दिल्ली में मुख्यालय वाली एक स्वतंत्र, न्यायपालिका-प्रधान संस्था है।
- **अध्यक्ष (Chairperson):** सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
- **सदस्य (कुल 4):** इसमें **2 न्यायिक सदस्य** (HC के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यादेश) और **2 तकनीकी सदस्य** (वित्त, कानून, बैंकिंग या आईटी क्षेत्र में न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ) शामिल होंगे।
- **कार्यकाल:** अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल **5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो) तक होगा।

चयन, योग्यता और कार्यकाल नियम (SCSC)

- **खोज-सह-चयन समिति (SCSC):** ट्रिब्यूनल अध्यक्षों के चयन के लिए समिति की अध्यक्षता NTC अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन के लिए NTC के एक न्यायिक सदस्य करेंगे।
- **चयन विधि व समय-सीमा:** मूल्यांकन विशेषज्ञ समीक्षा, साक्षात्कार और लेखन अभ्यास पर आधारित होगा। किसी भी पद के खाली होने से **6 महीने पहले** प्रक्रिया शुरू होगी और समिति एक मुख्य नाम के साथ प्रतीक्षा सूची (Waiting list) जारी करेगी।
- **ट्रिब्यूनल पदाधिकारियों का कार्यकाल:** ट्रिब्यूनल अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम **70 वर्ष की आयु** तक और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम **67 वर्ष की आयु** तक होगा (प्रदर्शन के आधार पर पुनर्नियुक्ति संभव)।

वेतन, मुख्य कार्य और प्रभाव

- **वेतन संरचना:** NTC और ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों को **₹2.5 लाख प्रति माह** तथा सदस्यों को **₹2.25 लाख प्रति माह** का मानक वेतन मिलेगा।
- **कार्यपालिका से स्वतंत्रता:** नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप कम होने से न्यायाधिकरणों की न्यायिक स्वतंत्रता मजबूत होगी। (सुप्रीम कोर्ट ने 'ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021' के प्रावधानों को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण रद्द कर NTC के गठन का निर्देश दिया था)।
- **डिजिटल और शिकायत तंत्र:** सभी ट्रिब्यूनलों के मामलों को ट्रैक करने के लिए एक एकीकृत **'राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड'** (डिजिटल पोर्टल) बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सदस्यों के खिलाफ दुर्व्यवहार या अकुशला की शिकायतों की जांच का पर्यवेक्षण भी NTC करेगी।

FCRA संशोधन विधेयक 2026

चर्चा में क्यों?

विदेशों से मिलने वाले फंड और एनजीओ के विनियमन से संबंधित **FCRA Amendment Bill / Rules 2026** चर्चा में है। गृह मंत्रालय द्वारा 22 जून 2026 को इसके नए नियम अधिसूचित किए जा चुके हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हैं।



वर्तमान स्थिति

- **संसदीय प्रक्रिया:** यह विधेयक **25 मार्च 2026** को लोकसभा में पेश किया गया था।
- **JPC की समीक्षा:** अगस्त 2026 में इसे विस्तृत समीक्षा के लिए **संयुक्त संसदीय समिति (JPC)** के पास भेजा गया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **'नामित प्राधिकारी' का गठन:** लाइसेंस रद्द या समाप्त होने पर एनजीओ की विदेशी फंडिंग से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक 'Designated Authority' बनाई जाएगी।

- **संपत्तियों का अधिग्रहण:** लाइसेंस समाप्त होने पर संपत्तियां अस्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएंगी। नवीनीकरण न होने पर इन्हें स्थायी रूप से **भारत की संचित निधि** में जमा कर दिया जाएगा।
- **स्वतः समाप्ति व प्रतिबंध:** समय पर नवीनीकरण न होने पर लाइसेंस स्वतः समाप्त माना जाएगा। इसके तहत अब किसी भी सामान्य व्यक्ति पर भी विदेशी फंड प्राप्त करने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
- **सजा और जांच:** नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम जेल की सजा को **5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष** करने का प्रस्ताव है। साथ ही, किसी भी जांच से पहले राज्य एजेंसियों को केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

जून 2026 के FCRA नियमों के मुख्य बिंदु

- **विशिष्ट पंजीकरण:** एनजीओ को विदेशी फंड का उपयोग उसी विशिष्ट उद्देश्य और राज्य/क्षेत्र में करना होगा जिसके लिए अनुमति मिली है।
- **पदाधिकारियों की जवाबदेही:** संस्था चलाने वाले निदेशकों और ट्रस्टियों की व्यक्तिगत जवाबदेही और पहचान अनिवार्य की गई है।
- **न्यूनतम गतिविधि:** लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पिछले 2 वर्षों में कम से कम **₹10 लाख का खर्च या गतिविधि** दिखाना आवश्यक है।

प्रमुख चिंताएं

- **अधिग्रहण पर आपत्ति:** सिविल सोसाइटी का तर्क है कि संपत्तियों का सरकारी अधिग्रहण एनजीओ को बंद करने और बाहर निकलने के विकल्प को खत्म कर देता है।
- **प्राकृतिक न्याय का अभाव:** लाइसेंस का नवीनीकरण खारिज होने की स्थिति में पूर्व-सुनवाई और स्पष्ट अपील तंत्र की कमी पर चिंता व्यक्त की गई है।

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े **'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023'** की वैधता पर एक **विभाजित फैसला (Split Verdict)** सुनाया है। यह मतभेद कानून की वैधता पर नहीं, बल्कि इस बात पर था कि क्या दो न्यायाधीशों की पीठ इस मामले का फैसला करने के लिए सक्षम है या नहीं।

न्यायाधीशों का दृष्टिकोण और वर्तमान स्थिति



- **जस्टिस दीपांकर दत्ता का रुख:** उन्होंने केंद्र सरकार की मांग को खारिज करते हुए माना कि दो न्यायाधीशों की पीठ इस मामले पर निर्णय ले सकती है।
- **जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का रुख:** उन्होंने सरकार के तर्क को स्वीकार किया कि चूंकि नए अधिनियम की संवैधानिक वैधता का सवाल बड़ा है, इसलिए इसे 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए।
- **परिणाम:** मतभेद के कारण इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास भेज दिया गया है ताकि वे **संविधान पीठ** के गठन पर निर्णय ले सकें।

नियुक्ति का ढांचा और विवाद की पृष्ठभूमि

- **दिसंबर 2023 का कानून:** इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
- **सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला:** इस कानून ने *अनूप बरनवाल (2023)* मामले में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था को बदल दिया, जिसमें कैबिनेट मंत्री के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को समिति में रखने का आदेश दिया गया था।
- **केंद्र सरकार का तर्क:** सरकार का मानना है कि यह मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए अनुच्छेद 145(3) के तहत इसे कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को सुनना चाहिए।

अंतर्निहित संस्थागत चुनौतियाँ

- **विलंब का प्रभाव:** ऐसे संवेदनशील मामलों में निर्णय आने में देरी से स्थिति ऐसी बन जाती है जिसे बाद में बदलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि तब तक इस कानून के तहत नियुक्त आयुक्त कई चुनाव करा चुके होंगे।
- **स्थायी संविधान पीठ की मांग:** विधि आयोग (229वीं रिपोर्ट) ने सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक स्थायी संविधान पीठ होनी चाहिए ताकि संवैधानिक मामलों का त्वरित निपटारा हो सके।
- **मास्टर ऑफ द रोस्टर:** CJI के पास यह तय करने की प्रशासनिक शक्ति है कि कौन सा मामला किस बेंच में जाएगा। संस्था की साख के लिए यह अधिकार किसी एक पद में केंद्रित होने के बजाय पारदर्शी नियमों पर आधारित होना चाहिए।

क्या वीज़ा भारत में प्रवेश की गारंटी देता है?

चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि **एक वैध वीज़ा किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश करने का कोई अंतर्निहित या कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं देता है।** किसी भी विदेशी का देश में प्रवेश पूरी तरह से आव्रजन (Immigration) कानूनों और सक्षम प्राधिकारियों की शक्तियों के अधीन है।



मुख्य बिंदु और अदालत का निर्णय

- **मामला:** तुर्कमेनिस्तान की एक महिला नागरिक को वैध बिजनेस वीज़ा होने के बावजूद नई दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था, जबकि उसके पति को प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। महिला ने इसे भेदभाव बताते हुए अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन का दावा किया था।
- **अदालत का रुख:** न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वीज़ा जारी करना और देश के भीतर प्रवेश मिलना दो अलग मामले हैं। वीज़ा होना भारत में प्रवेश का कोई पूर्ण या बिना शर्त अधिकार (Absolute Right) नहीं बनाता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि:** केंद्र सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में याचिकाकर्ता के खिलाफ मिले **'प्रतिकूल इनपुट' (Adverse Inputs)** के आधार पर प्रवेश से इनकार करना पूरी तरह वैध है।

इसके पीछे के कानूनी प्रावधान

- **इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025:** यह निर्णय नए कानून की धारा 3 पर आधारित है। इसके तहत यदि कोई विदेशी नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो उसे भारत में प्रवेश देने से रोका जा सकता है।
- **सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय:** यह फैसला शीर्ष अदालत के *हंस मुलर (1955)* और *लुई डी रेड्ट (1991)* मामलों के अनुरूप है, जिनमें स्पष्ट किया गया था कि विदेशी नागरिकों को भारत में निवास करने या बसने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है; उनके अधिकार केवल अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) तक ही सीमित हैं।

अत्यधिक नियमन कैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को दबाता है

चर्चा में क्यों?

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए **'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025'** लाया गया है। हालांकि, यह नया नियामक ढांचा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के बजाय उसके लिए नया खतरा पैदा करने को लेकर चर्चा में है।



अत्यधिक नियमन की मुख्य चुनौतियां

- **आंतरिक स्वतंत्रता का नुकसान:** बाहरी निरीक्षण के दबाव में उच्च शिक्षण संस्थान वास्तविक शिक्षा के बजाय केवल कागजी और डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने में लग जाते हैं, जिससे कक्षाओं में बौद्धिक जुड़ाव खत्म होता है।
- **कागजी दस्तावेज़ीकरण:** UGC, AICTE, NAAC और NCTE जैसे नियामकों के कड़े नियमों के कारण संस्थान अध्यापन के बजाय सालाना मूल्यांकन रिपोर्ट और साक्ष्य जुटाने में व्यस्त रहते हैं।
- **नियमों में विरोधाभास:** उदाहरण के लिए, UGC विनियम 2018 शिक्षकों से प्रति सप्ताह 40 घंटे के कार्य का हिसाब मांगता है, जबकि परिसर में केवल 5 घंटे प्रतिदिन उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऐसे नियम शिक्षण को केवल कागजी अभ्यास बना देते हैं और शिक्षक नया करने से डरते हैं।

स्वायत्त संस्थानों (IISc, IITs, IIMs) का उदाहरण

- **सफलता का आधार:** भारत के ये शीर्ष संस्थान पारंपरिक नियामक ढांचे से बाहर रहकर काम करते हैं। इन्हें अपनी गति से पाठ्यक्रम तय करने, स्वतंत्र भर्ती करने और संसाधनों के उपयोग की स्वायत्तता प्राप्त है।
- **निहितार्थ:** यदि कड़े नियम ही गुणवत्ता लाते, तो उनके दायरे में आने वाले अन्य विश्वविद्यालय इनसे बेहतर होते। यदि नए VBSA बिल के तहत इन शीर्ष संस्थानों को भी इस नियामक दायरे में लाया गया, तो इनकी गुणवत्ता को भारी नुकसान पहुंचेगा।

ग्रेट निकोबार परियोजना: सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने ₹72,000 करोड़ की 'ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना' के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह क्षेत्र के पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों से जुड़े इस मामले पर बिना किसी देरी के जल्द फैसला सुनाए।

विवाद के मुख्य कारण

- **पर्यावरणीय चिंताएं:** पूर्व पर्यावरण सचिव मीना गुप्ता द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह मेगा प्रोजेक्ट 130 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन उष्णकटिबंधीय जंगलों को नष्ट करेगा।
- **कानूनी उल्लंघन:** याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह परियोजना **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।



'ग्रेट अंडमानी, शोंपेन जनजाति मुख्य धारा में मिल जाएं या...', सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़ी केंद्र की अर्जी पर नहीं किया विचार

न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी

- **मौलिक अधिकार:** मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने मौखिक टिप्पणी की कि **"संस्कृति का संरक्षण एक संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है।"**
- **संवैधानिक सुरक्षा:** निकोबार की जनजातीय संस्कृति और उनकी जीवन शैली को विशेष संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता है।

प्रभावित जनजातियाँ

- **शौम्पेन और निकोबारी:** इस परियोजना क्षेत्र में **शौम्पेन** और **निकोबारी** जनजातियाँ निवास करती हैं।
- **PVTG स्थिति:** इनमें से शौम्पेन जनजाति भारत के **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups)** के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिनकी संस्कृति पर इस परियोजना से खतरा जताया गया है।

खनिज संशोधन कानून 2026: केंद्र और राज्यों में बढ़ता विवाद

चर्चा में क्यों?

संसद द्वारा पारित खनिज संशोधन अधिनियम (MMDR Amendment Act), 2026 के कारण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजकोषीय स्वायत्तता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस नए कानून के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज-युक्त भूमि और खनिज अधिकारों पर राज्यों द्वारा नए कर या उपकर लगाने की शक्तियों को सीमित कर दिया है।



संशोधन के मुख्य प्रावधान

- **कर शक्तियों पर अंकुश:** राज्य सरकारें अब केंद्र की अनुमति या शर्तों के बिना खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर नए कर नहीं लगा सकती हैं।
- **बकाए की रद्दीकरण:** अधिनियम के लागू होने से पहले राज्यों द्वारा लागू किए गए, लेकिन पूरी तरह से न वसूले गए पुराने खनिज कर बकाए को भी रद्द कर दिया गया है।
- **केंद्र सरकार का तर्क:** अलग-अलग राज्यों द्वारा लगाए गए असमान करों से घरेलू खनिजों की लागत बढ़ती है। इससे उद्योग आयात पर निर्भर हो जाते हैं, जो राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करता है।

सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले से टकराव

- **राज्यों का संवैधानिक अधिकार:** सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अपने ऐतिहासिक फैसले में माना था कि संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 49 (भूमि पर कर) और प्रविष्टि 50 (खनिज अधिकारों पर कर) के तहत राज्यों को खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने का पूर्ण अधिकार है।
- **राजकोषीय स्वायत्तता पर चोट:** राज्यों का तर्क है कि यह नया संशोधन सुप्रीम कोर्ट के रुख के बिल्कुल विपरीत है और राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता का सीधा उल्लंघन करता है।

यौन अपराधों पर रोक: सुप्रीम कोर्ट का 24 घंटे निगरानी सेल बनाने का निर्देश

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं/नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए दिल्ली पुलिस को संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए 24 घंटे चलने वाले **'मॉनिटरिंग सेल'** स्थापित करने का निर्देश दिया है।



न्यायालय के मुख्य निर्देश

- **लाइव निगरानी:** केवल सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाना काफी नहीं है, संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने और त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए वॉर रूम के जरिए **24 घंटे निरंतर लाइव मॉनिटरिंग** जरूरी है।
- **संवेदनशील हॉटस्पॉट:** शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों (जैसे लेडी श्रीराम कॉलेज के पास आस्था कुंज पार्क) और सार्वजनिक स्थानों के पास पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और असामाजिक तत्वों के अड्डों की पहचान हो।
- **कानून का खौफ:** कोर्ट ने कहा कि संभावित अपराधियों के मन में **कानून का डर** पैदा करना बेहद जरूरी है, तभी ऐसे अपराध रुकेंगे।

- **जनता से संवाद:** पुलिस स्थानीय निवासियों द्वारा पहले से दी जा रही सुरक्षा चेतावनियों और शिकायतों को अनसुना न करे।

विशाखा गाइडलाइंस - एक नजर में

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 1997 में **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ऐतिहासिक दिशा-निर्देश जारी किए थे।
- **मुख्य प्रावधान:**
  - **नियोक्ता की जिम्मेदारी:** कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल देना और यौन उत्पीड़न को रोकना हर नियोक्ता (Employer) का कर्तव्य है।
  - **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** हर संस्थान में शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का होना अनिवार्य है, जिसकी प्रमुख एक महिला होनी चाहिए।
  - **मूल अधिकारों का हिस्सा:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)** और **अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार)** का सीधा उल्लंघन माना गया।
- **वर्तमान स्थिति:** इन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर आगे चलकर सरकार ने **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act)** पारित किया।

स्थानीय निकायों में BC आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की याचिका खारिज की

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 34% आरक्षण बहाल करने की आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसने 50% की आरक्षण सीमा को पार करने के लिए राज्य द्वारा दिए गए आंकड़ों को अपर्याप्त माना था।



स्थानीय निकाय चुनावों में 34% बीसी आरक्षण रद्द होने पर चंद्रबाबू नायडू का बयान: 'हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे'

न्यायालय का रुख और मुख्य बिंदु

- **आंकड़ों की अपर्याप्तता:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य द्वारा पेश किया गया 'एकीकृत परिवार सर्वेक्षण' का डेटा बढ़े हुए आरक्षण को सही ठहराने के लिए नाकाफी है।
- **अनुभवजन्य डेटा की कमी:** कोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार स्थानीय निकायों में पिछड़ापन और उनके प्रतिनिधित्व का सटीक आकलन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट अनुभवजन्य सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रही।
- **50% की सीमा का उल्लंघन:** न्यायालय ने दोहराया कि आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने के लिए पिछले फैसलों में तय की गई शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं किया गया।

स्थानीय निकायों में आरक्षण पर 'ट्रिपल टेस्ट'

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2010 के **के. कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ** मामले और बाद में 2021 के **विकास किशनराव गवली** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में ओबीसी (OBC) आरक्षण के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' अनिवार्य किया था।
- **तीन प्रमुख शर्तें:**
  1. **विशेष आयोग का गठन:** राज्य के भीतर स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की कड़ाई से जांच के लिए एक समर्पित (Dedicated) आयोग का गठन करना।
  2. **डेटा एकत्र करना:** आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकाय-वार आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करने के लिए अनुभवजन्य डेटा जुटाना।
  3. **50% की कुल सीमा:** किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और ओबीसी (OBC) के लिए कुल आरक्षण स्थानीय निकायों की कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

UAPA कानून: आतंकवाद-विरोधी प्रावधानों और सुधार की आवश्यकता पर बहस

चर्चा में क्यों?

भारत के कड़े आतंकवाद-विरोधी कानून **'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA)** में जमानत की कठिन शर्तों, कम दोषसिद्धि दर और लंबे ट्रायल के कारण कानूनी विशेषज्ञों द्वारा सुधार की मांग की जा रही है।

UAPA की मुख्य विशेषताएं

- **मूल कानून और संशोधन:** इसे वर्ष 1967 में लाया गया था। बाद में TADA और POTA जैसे कड़े कानूनों के रद्द होने के बाद इसमें आतंकवाद-विरोधी प्रावधान जोड़े गए।

- **2019 का संशोधन:** इस संशोधन के तहत केंद्र सरकार को किसी संगठन के साथ-साथ किसी अकेले व्यक्ति को भी 'आतंकवादी' घोषित करने का अधिकार दिया गया।
- **जांच एजेंसी:** नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को इस कानून के तहत मामलों की जांच करने और देश भर में कार्रवाई करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है।



सुधार की आवश्यकता के मुख्य कारण

- **कठिन जमानत (धारा 43D(5)):** इस धारा के तहत अदालत तब तक आरोपी को जमानत नहीं दे सकती जब तक अदालत को यह विश्वास न हो जाए कि आरोप प्रथम दृष्टया झूठे हैं। इससे 'Bail is the rule, Jail is the exception' का सिद्धांत प्रभावित होता है।
- **कम दोषसिद्धि दर:** UAPA के तहत गिरफ्तार लोगों में से केवल 2% से 3% लोगों पर ही आरोप सिद्ध (Convict) हो पाते हैं, जिसके कारण कई निर्दोष लोग सालों जेल में बंद रहते हैं।
- **लंबे ट्रायल और देरी:** कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और ट्रायल खत्म होने में सालों लग जाते हैं। आरोपी अक्सर ट्रायल शुरू होने से पहले ही 3 से 5 साल जेल में बिता देता है, जिससे **"प्रक्रिया ही अपने आप में सजा बन जाती है"**।
- **परिभाषा की अस्पष्टता:** कानून में 'गैर-कानूनी गतिविधि' और 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषाओं में स्पष्टता की कमी है, जिससे इसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

सुधार के लिए प्रमुख सुझाव

- **जमानत शर्तों में ढील:** निर्दोष लोगों को लंबे समय तक जेल में रहने से बचाने के लिए जमानत के प्रावधानों को मानवीय और सरल बनाया जाए।
- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट:** मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाए ताकि ट्रायल जल्द से जल्द पूरा हो सके।
- **जवाबदेही और निष्पक्ष समीक्षा:** गलत तरीके से कानून का उपयोग करने पर जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय हो और किसी को आतंकवादी घोषित करने से पहले एक स्वतंत्र न्यायिक समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाए।

केरलम वरिष्ठ नागरिक विधेयक 2026

चर्चा में क्यों?

केरल सरकार विधानसभा में 'केरलम वरिष्ठ नागरिक (देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2026' पेश करने जा रही है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में तेजी से बढ़ती बुजुर्गों की आबादी को गरिमापूर्ण जीवन देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान



- **बुजुर्गों के अधिकार और गरिमा:** यह कानून बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन, सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों, डिजिटल समावेश, कानूनी सहायता और दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा पर विशेष जोर देता है।
- **निगरानी और पंजीकरण:** वरिष्ठ नागरिक देखभाल केंद्रों का अनिवार्य पंजीकरण और नियमन किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर के मानकों को सुधारा जा सके।
- **सुरक्षा तंत्र:** राज्य स्तर पर एक 'स्टेट सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन यूनिट' और प्रत्येक जिले में 'डिस्ट्रिक्ट सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन फोरम' की स्थापना की जाएगी।
- **केयरगिवर्स का प्रशिक्षण:** देखभाल करने वालों के लिए चरणबद्ध प्रमाणन प्रक्रिया के साथ 'केरलम जेरियाट्रिक केयर सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क' और 'केयरगिवर्स का राज्य रजिस्टर' तैयार करने का प्रस्ताव है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 41:** यह अनुच्छेद राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बुढ़ापे, बीमारी और अपंगता जैसी स्थितियों में लोक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 47:** इसके तहत राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे, जिसमें बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी शामिल है।

- **सातवीं अनुसूची (समानवर्ती सूची):** संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; तथा प्रविष्टि 24 में कल्याणकारी कार्य शामिल हैं, जिसके तहत केंद्र और राज्य दोनों बुजुर्गों के लिए कानून बना सकते हैं।

राज्यपालों की नई नियुक्तियां: राष्ट्रपति द्वारा छह राज्यों में बड़े फेरबदल

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति और उनके कार्यभार में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का पूर्णकालिक राज्यपाल बनाया गया है और सुधा यादव कर्नाटक की नई राज्यपाल होंगी।



प्रमुख नियुक्तियां और बदलाव

- **तमिलनाडु और केरलम:** राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब तमिलनाडु के पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे (वे पहले केरलम के राज्यपाल थे और तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे)। केरलम में उनकी जगह सिक्किम के राज्यपाल **ओम प्रकाश माथुर** को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
- **कर्नाटक:** सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो थावर चंद गहलोत का स्थान लेंगी।
- **ओडिशा:** पूर्व लोकसभा सांसद ब्रज मोहन को ओडिशा का नया राज्यपाल बनाया गया है।
- **उत्तराखंड:** ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) का स्थान लेंगे।
- **सिक्किम:** पूर्व राज्यसभा सदस्य और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

राज्यपाल पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 153:** प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हालांकि, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 155:** राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (Warrant) द्वारा की जाती है।
- **अनुच्छेद 156:** राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। उनका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

निवारक नजरबंदी व BNNS 163: प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पर विवाद

चर्चा में क्यों?

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे 5,000 से अधिक लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद 'निवारक नजरबंदी' और नागरिक स्वतंत्रताओं पर बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून के दायरे में रहते हुए लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।



निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) क्या है?

- **परिभाषा:** किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या अदालत द्वारा दोषी ठहराए बिना केवल आशंका के आधार पर हिरासत में रखना। इसका उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य में अपराध करने से रोकना है।
- **आधार:** सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी इसका प्रयोग कर सकते हैं।
- **संबंधित कानून:** राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 अधिकारियों को निवारक नजरबंदी की अनुमति देता है यदि कोई व्यक्ति भारत की रक्षा, विदेशी संबंधों या राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल काम करता है।

BNNS के तहत निषेधात्मक आदेश

- **कानूनी प्रावधान: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) की धारा 163** (जो पूर्ववर्ती CrPC की धारा 144 के समान है) जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को निषेधात्मक आदेश जारी करने की शक्ति देती है।
- **मुख्य उद्देश्य:** मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा के खतरे को टालना, सार्वजनिक शांति में व्यवधान को रोकना या किसी व्यक्ति के वैध रोजगार में बाधा/परेशानी को रोकना।
- **प्रकृति:** यह एक निवारक उपाय है जो अतीत के कृत्यों को दंडित करने के बजाय संभावित नुकसान को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

संवैधानिक सुरक्षा उपाय और न्यायपालिका

- **अनुच्छेद 22:** संविधान का **अनुच्छेद 22** निवारक नजरबंदी के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को कुछ सुरक्षा उपाय (जैसे हिरासत का कारण जानना, सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा) प्रदान करता है।

- **अदालतों का रुख:** न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पुलिस कार्रवाई की समीक्षा कर सकती है। न्यायालय का स्पष्ट मानना है कि विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले निषेधात्मक आदेश और निवारक नजरबंदी कानून संवैधानिक सीमाओं के भीतर होने चाहिए।

विचाराधीन कैदी और कानूनी सहायता: लाभ और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन (महाराष्ट्र की जेलों में 'प्रयास' और 'फेयर ट्रायल फेलोशिप' द्वारा) से पता चला है कि मुफ्त कानूनी सहायता **विचाराधीन कैदियों (Undertrials)** की जेल अवधि और उनके आर्थिक नुकसान को कम करती है, लेकिन इसमें होने वाली अत्यधिक देरी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।



भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति

- **वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान:** भारत जेलों में बंद कुल कैदियों में 'विचाराधीन कैदियों के प्रतिशत' के मामले में दुनिया में **चौथे स्थान** पर है।
- **तीन-चौथाई कैदी विचाराधीन:** भारत में जेल में बंद कुल लोगों में से **75% से अधिक (तीन-चौथाई)** ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जिन्हें अभी तक दोषी सिद्ध नहीं किया गया है।
- **सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि:** अधिकांश विचाराधीन कैदी गरीब, कम शिक्षित या हाशिए के समुदायों से आते हैं। वे निजी वकील का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण जेलों में बंद रहते हैं, न कि अपराध साबित होने के कारण।

संवैधानिक व कानूनी आधार

- **अनुच्छेद 39A (DPSP):** राज्य का यह दायित्व है कि वह सभी को समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए **निःशुल्क कानूनी सहायता** प्रदान करे।
- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987:** इसके तहत **NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)** की स्थापना समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के लिए की गई है।

मुफ्त कानूनी सहायता का प्रभाव और कमियां

- **सफलता दर (High Success Rate):** इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले **84% कैदियों की जमानत मंजूर हुई**, जबकि जिला अदालतों का सामान्य औसत केवल 26% था।
- **वक्त की बर्बादी (देरी):** कैदियों को इस कार्यक्रम का लाभ मिलने से पहले ही वे औसतन **171 दिन (5 महीने से अधिक)** जेल में बिता चुके होते हैं। यानी सहायता अक्सर बहुत देर से पहुंचती है।
- **आर्थिक व मानवीय लागत:** जेल में रहने के कारण कैदी अपनी दिहाड़ी खो देते हैं। औसतन एक कैदी को **₹80,000 से ₹2,000,000** तक का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। गंभीर आरोपों वाले कैदियों को कम गंभीर अपराध वालों की तुलना में चार गुना अधिक आर्थिक नुकसान होता है।

सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तारी सुरक्षा उपायों पर महत्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गिरफ्तारी के सुरक्षा उपायों को मजबूत करते हुए **आरोपी को गिरफ्तारी के लिखित आधार सौंपना अनिवार्य** कर दिया है। ऐसा न करने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की न्यायिक हिरासत को अवैध माना जाएगा।



संवैधानिक एवं वैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 22(1):** भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद गारंटी देता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से जल्द से जल्द अवगत कराया जाएगा।
- **अनुच्छेद 21:** यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसके तहत कानूनी प्रक्रिया का निष्पक्ष होना अनिवार्य है।
- **BNSS की धारा 47:** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 50) पुलिस अधिकारी पर यह कानूनी कर्तव्य डालती है कि वह बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और कानूनी विकास

- **पंकज बंसल मामला (2023):** सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधारों की एक लिखित प्रति दी जानी चाहिए ताकि वह प्रभावी कानूनी सहायता ले सके और जमानत के लिए आवेदन कर सके।
- **राजेश मिहिर शाह मामला (2024):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लिखित रूप में आधार देने का यह संवैधानिक जनादेश **सभी कानूनों (BNSS सहित) के तहत होने वाले अपराधों पर समान रूप से लागू** होता है।

अनिवार्य दिशा-निर्देश और समय सीमा

- **भाषाई स्पष्टता:** गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में और **ऐसी भाषा में सूचित किए जाने चाहिए जिसे आरोपी अच्छी तरह समझता हो।**
- **समय सीमा:** यह लिखित विवरण रिमांड की कार्यवाही शुरू होने से कम से कम **दो घंटे पहले** आरोपी को सौंप दिया जाना चाहिए।
- **विशेष परिस्थिति:** यदि तत्काल लिखित में देना संभव न हो, तो शुरू में मौखिक रूप से बताकर, उचित समय के भीतर उसे लिखित रूप में रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा।

नियम उल्लंघन के कानूनी प्रभाव

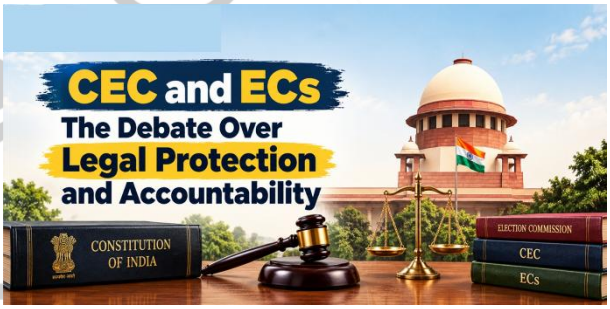
- **हिरासत की वैधता:** यदि लिखित आधार समय पर नहीं दिए जाते हैं, तो गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड दोनों **अवैध** घोषित हो जाएंगे।
- **दोबारा गिरफ्तारी पर रोक:** यदि पहली गिरफ्तारी आधार न देने के कारण अवैध हुई थी, तो जांच एजेंसी (IO) आरोपी को सीधे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती; इसके लिए **मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति** और ठोस कारण आवश्यक होंगे।
- **जवाबदेही और मुआवजा:** नियमों का उल्लंघन करने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होगी, मामला दूसरे अधिकारी को सौंपा जाएगा, और हाईकोर्ट अनुच्छेद 22(2) के उल्लंघन के लिए **मुआवजे का आदेश** भी दे सकता है।

CEC और ECs की आजीवन इम्युनिटी पर विवाद

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने **'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR)** द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए **आजीवन दी गई नागरिक और आपराधिक इम्युनिटी (कानूनी छूट)** को चुनौती दी गई है।

कानूनी प्रावधान और विवाद का मुख्य कारण



- **CEC और EC अधिनियम, 2023 की धारा 16:** दिसंबर 2023 में पारित इस कानून की धारा 16 प्रावधान करती है कि किसी भी वर्तमान या पूर्व CEC या EC के खिलाफ उनके आधिकारिक कार्यों के लिए कोई भी दीवानी या आपराधिक (Criminal) कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती।
- **संशोधन के जरिए जुड़ाव:** यह प्रावधान मूल विधेयक का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे उस दिन एक **संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया** जिस दिन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था।

संवैधानिक और कानूनी तुलना

- **राष्ट्रपति और राज्यपाल:** संविधान के **अनुच्छेद 361** के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को भी आपराधिक कार्यवाही से छूट प्राप्त है, लेकिन यह छूट केवल उनके **कार्यकाल (Term of office) के दौरान** ही प्रभावी रहती है, आजीवन नहीं।
- **सांसद और विधायक: अनुच्छेद 105 और 194** के तहत विधायकों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो केवल उनके सदन की कार्यवाही और सत्र की अवधि तक सीमित हैं।
- **अन्य संवैधानिक निकाय:** CAG, UPSC के अध्यक्ष, लोकपाल या मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) जैसे किसी भी अन्य स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए ऐसी आजीवन और व्यापक कानूनी छूट प्राप्त नहीं है।
- **अनुच्छेद 14 का उल्लंघन:** याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह कानून समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन करता है क्योंकि कानून के समक्ष समानता 'संविधान के मूल ढांचे' का हिस्सा है।

सरकार का पक्ष

- **स्वतंत्र कामकाज सुनिश्चित करना:** कानून मंत्री के अनुसार, इस प्रावधान का उद्देश्य CEC और ECs को बिना किसी बाहरी डर, दबाव या दुर्भावनापूर्ण कानूनी मुकदमों के अपने कार्यों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से निपटाने में सक्षम बनाना है।

निर्वाचन आयोग की SSR और SIR प्रक्रियाएं



चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची को अपडेट रखने के लिए **विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)** और **विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)** प्रक्रियाओं का उपयोग करता है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision)

- **आवृत्ति और समय:** यह **नियमित रूप से हर साल (वार्षिक)** अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है।
- **उद्देश्य:** मुख्य फोकस नए पात्र युवाओं का नाम जोड़ना और सामान्य सुधार करना है।

- **प्रक्रिया:** नागरिक **Form 6** (नाम जोड़ने), **Form 7** (नाम हटाने) और **Form 8** (सुधार) द्वारा आवेदन करते हैं। इसमें आंशिक सत्यापन होता है।
- **अर्हता तिथियाँ:** वर्ष में **4 कट-ऑफ तिथियाँ** (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) प्रभावी हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision)

- **आवृत्ति और समय:** यह वार्षिक नहीं है; इसे **आवश्यकतानुसार कई वर्षों में एक बार** या विशेष परिस्थितियों (बड़ी गड़बड़ी या जनसांख्यिकीय बदलाव के संदेह) में कराया जाता है।
- **उद्देश्य:** फर्जी, दोहरे और अयोग्य मतदाताओं को सूची से पूरी तरह बाहर निकालना।
- **100% भौतिक सत्यापन:** इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के लिए **100% घर-घर जाकर** हर मतदाता का भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होता है। इसमें अधिक समय और संसाधन लगते हैं।

CISF के प्रशासनिक और परिचालन ढांचे में बड़ा बदलाव

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)** ने देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपने प्रशासनिक और परिचालन ढांचे में व्यापक बदलाव किया है, जो **1 नवंबर** से प्रभावी हो गया है।

बदलाव का मुख्य कारण और उद्देश्य

- **भौगोलिक से सेक्टर-आधारित दृष्टिकोण:** पहले CISF का ढांचा भौगोलिक आधार पर व्यवस्थित था, जिसे अब बदलकर विशिष्ट **सेक्टर-आधारित सुरक्षा आवश्यकताओं** के अनुरूप ढाला गया है।
- **उद्देश्य:** परिचालन दक्षता में सुधार करना, क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञता को बढ़ावा देना और सुरक्षा पद्धतियों में एकरूपता लाना।

पुनर्गठन के तहत प्रमुख सेक्टर्स का नया वर्गीकरण

- **पावर सेक्टर:** उत्तर सेक्टर (नई दिल्ली) और उत्तर-पूर्वी सेक्टर (कोलकाता) को पुनर्गठित कर क्रमशः **Power-I** और **Power-II** सेक्टर बनाया गया है।
- **कोल और स्टील सेक्टर:** पूर्वी सेक्टर (रांची) को **Coal Sector** में और मध्य सेक्टर (भिलाई) को समर्पित **Steel Sector** में बदला गया है।
- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस:** उत्तर-पूर्वी सेक्टर (गुवाहाटी) को अब **Petroleum & Natural Gas Sector** में परिवर्तित किया गया है।
- **गवर्नमेंट बिल्डिंग और मास रैपिड ट्रांजिट:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) सेक्टर को पुनर्गठित कर **Government Building Museums & Monuments and Mass Rapid Transit System (GBMM & MRTS)** सेक्टर बनाया गया है।
- **पोर्ट सेक्टर (तटीय सुरक्षा):** समुद्री व्यापार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पश्चिमी सेक्टर (मुंबई) को **West Coast Port Sector** और दक्षिणी सेक्टर (चेन्नई) को **East Coast Port Sector** में बदला गया है।

CISF की नई और विस्तारित भूमिकाएँ

- **बढ़ता जनादेश:** परंपरागत औद्योगिक सुरक्षा से आगे बढ़कर अब CISF के पास जम्मू-कश्मीर में **हाई-सिक्योरिटी जेलों** की सुरक्षा जिम्मेदारी है।
- **एरियल सुरक्षा:** इसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की हवाई सुरक्षा के लिए **नोडल एजेंसी** नामित किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोड:** CISF को अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी और पोर्ट सुविधा सुरक्षा **(ISPS) कोड** के तहत पोर्ट सुविधाओं के लिए एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (RSO) के रूप में नामित किया गया है।

मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद और अनुच्छेद 371C

चर्चा में क्यों?

मणिपुर के कामजोंग जिले में गांवों पर हुए हमलों के विरोध में एक कुकी संगठन (WCKCSO) ने **राष्ट्रीय राजमार्ग 202 (NH-202) पर चार दिनों के 'पूर्ण बंद'** की घोषणा की है। इस तनाव के बीच राज्य सरकार ने कामजोंग के पुलिस अधीक्षक (SP) का तबादला भी किया है।


मणिपुर के कामजोंग जिले में जातीय हिंसा के बीच 36 घंटों में नगा और कुकी समुदायों के 28 घरों में आग लगा दी गई। इस घटना से इलाके में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि शांति बहाली की चुनौती लगातार बढ़ रही है।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 371C

- **विशेष दर्जा:** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 371C** मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार और प्रशासनिक संरक्षण प्रदान करता है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** इस विशेष प्रावधान को **27वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- **छठी अनुसूची से भिन्नता:** भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए बनाई गई छठी अनुसूची आधिकारिक तौर पर मणिपुर पर लागू नहीं होती है। इसके बजाय यहाँ अनुच्छेद 371C के तहत अलग व्यवस्था है।

अनुच्छेद 371C की मुख्य विशेषताएं

- **पहाड़ी क्षेत्र समिति (HAC):** इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को मणिपुर की विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों से चुनकर आने वाले विधायकों की एक 'पहाड़ी क्षेत्र समिति' (Hill Areas Committee) के गठन का अधिकार प्राप्त है।
- **HAC के कार्य:** यह समिति पहाड़ी जिलों में रहने वाली जनजातियों के भूमि अधिकारों, संस्कृति, रीति-रिवाजों और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कानूनों एवं प्रशासनिक फैसलों की देखरेख करती है।
- **भूमि संरक्षण अधिकार:** इस विशेष सुरक्षा व्यवस्था के कारण मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों की जमीन पूरी तरह अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित है। घाटी में रहने वाले गैर-जनजाति लोग (जैसे मैतेई समुदाय) यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते।
- **राज्यपाल की जिम्मेदारी:** इस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। राज्यपाल प्रतिवर्ष पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं।

धर्मांतरण और आरक्षण पात्रता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के 2024 के एक आदेश को रद्द कर दिया गया था। इस सरकारी आदेश में हिंदू पिछड़ा वर्ग (BC) या अनुसूचित जाति (SC) से इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को सीधे 'पिछड़ा वर्ग मुस्लिम' का आरक्षण प्रमाणपत्र देने का प्रावधान था।

संवैधानिक एवं वैधानिक पहलू

- **अनुच्छेद 16(4):** यह राज्य को पिछड़े नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति देता है।
- **अनुच्छेद 341 और 1950 का आदेश:** राष्ट्रपति के (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 के अनुसार, केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही SC दर्जे के पात्र हैं।
- **गैर-हस्तांतरणीय पात्रता:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरक्षण किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विरासत या संपत्ति नहीं है जिसे धर्म बदलने के बाद भी स्वतः साथ ले जाया जा सके।



अदालत की मुख्य टिप्पणियाँ

- **स्वतः बदलाव नहीं:** हिंदू सामाजिक व्यवस्था से किसी अन्य धर्म (जैसे इस्लाम) में परिवर्तित होने पर पूर्व-धर्मांतरण की सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति स्वतः नए धर्म के अधिसूचित पिछड़े समुदायों में स्थानांतरित नहीं होती है।
- **धार्मिक निकायों की सीमा:** कोई भी निजी धार्मिक संस्था (जैसे जमात या चर्च) किसी व्यक्ति के वैधानिक आरक्षण या जाति दर्जे को कानूनी रूप से निर्धारित नहीं कर सकती है।
- **साक्ष्य-आधारित वर्गीकरण आवश्यक:** यदि राज्य किसी परिवर्तित वर्ग को आरक्षण देना चाहता है, तो उसे निष्पक्ष साक्ष्यों और डेटा के आधार पर नए सिरे से सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन की जांच करनी होगी।

महत्वपूर्ण आयोग एवं संदर्भ

- **मंडल आयोग संकेतकों की भूमिका:** मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर वर्गीकरण किया था। कोर्ट के अनुसार, केवल एक वर्ग में जन्म लेने या धर्म बदलने से ही ये मानदंड स्वतः पूरे नहीं हो जाते।
- **सच्चर समिति (2006):** इस समिति ने भारतीय मुस्लिमों के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन यह रिपोर्ट व्यक्तिगत धर्मांतरण के मामलों में स्वतः आरक्षण लाभ का आधार नहीं बनती।
- **के.जी. बालकृष्णन आयोग:** यह आयोग वर्तमान में इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति (SC) रहे उन व्यक्तियों को भी SC का दर्जा दिया जाना चाहिए जिन्होंने अन्य धर्म अपना लिए हैं।

चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी पर मतदाताओं को सीधे शिकायत का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि **आम मतदाता चुनाव नामांकन में गलत जानकारी देने या छिपाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सीधे आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।** यह अधिकार केवल लोक सेवकों या सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं है।

संवैधानिक एवं वैधानिक ढांचा

- **RPA अधिनियम, 1951 की धारा 125A:** हलफनामे में जानबूझकर गलत जानकारी देने या छिपाने पर **6 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों** का प्रावधान है।

- **अपराध की प्रकृति:** धारा 125A के तहत आने वाला यह कृत्य एक **गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध** की श्रेणी में आता है।
- **मतदाता का अधिकार (Locus Standi):** जागरूक नागरिकों के पास नामांकन चरण से ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चुनावी बेईमानी के खिलाफ सीधे कार्रवाई का विधिक अधिकार है।
- **राइट टू वोट व जानने का अधिकार:** सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, 'राइट टू वोट' (अनुच्छेद 326) में उम्मीदवारों का विवरण **'जानने का अधिकार'** शामिल है, जो **अनुच्छेद 19(1)(a)** (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का हिस्सा है।



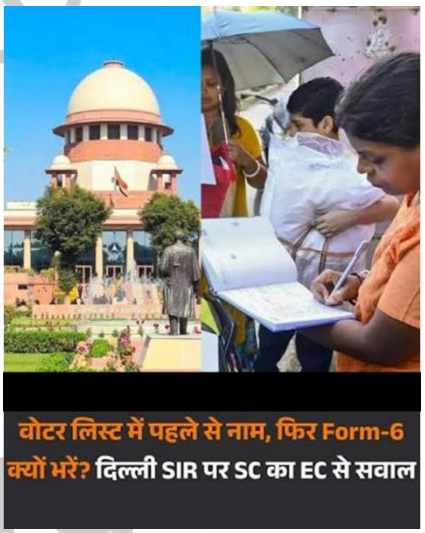
न्यायालय की व्याख्या और कानूनी तालमेल

- **CrPC की धारा 195 से मुक्ति:** पूर्ववर्ती CrPC की धारा 195 की यह कड़ाई (जिसमें केवल लोक सेवक की लिखित शिकायत पर अदालत संज्ञान लेती थी) RPA की धारा 125A के तहत निजी नागरिक की शिकायत पर लागू नहीं होगी।
- **विधायिका की मंशा:** यदि विधायिका की मंशा केवल लोक सेवक को अधिकार देने की होती, तो वह कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान करती। ऐसी पाबंदी की अनुपस्थिति में आम आदमी को नहीं रोका जा सकता।

फॉर्म 7 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को निर्देश

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान **मतदाता सूची से नाम हटाने वाले 'फॉर्म 7' के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग** के आरोपों पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।



मुख्य विवाद और याचिकाकर्ता के तर्क

- **थोक धोखाधड़ी का आरोप:** कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया की याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश SIR के दौरान एक विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए थोक में फर्जी फॉर्म 7 भरे गए।
- **विसंगतियां:** हाटा और बाराबंकी जैसे क्षेत्रों में कई फॉर्म 7 पर अधूरी जानकारी, जाली हस्ताक्षर या स्वयं BLO के हस्ताक्षर पाए गए, जबकि संबंधित नागरिकों ने ऐसी किसी आपत्ति से इनकार किया।
- **दंडात्मक कार्रवाई की मांग:** याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी घोषणाएं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31:** यह धारा मतदाता सूची के संबंध में झूठी घोषणाएं करने या झूठे बयान देने को एक दंडनीय अपराध बनाती है, जिसके लिए **1 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों** की सजा हो सकती है।

निर्वाचन आयोग (ECI) का पक्ष

- **आरोप खारिज:** ECI ने प्रणालीगत दुरुपयोग के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन कर दाखिल किसी भी फॉर्म 7 को स्वीकार नहीं किया गया है।
- **सुधारात्मक कदम:** आयोग के अनुसार, जाँच में मिले फर्जी फॉर्मों को तुरंत खारिज कर दिया गया और किसी भी वैध मतदाता का नाम बिना उचित आदेश के नहीं हटाया गया है।
- **थोक जमा पर रोक:** BLOs को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे थोक में फॉर्म स्वीकार न करें और बिना पूरी जांच के इन्हें डिजिटाइज न करें।

क्या है फॉर्म 7

- **उद्देश्य:** निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में **Form 7** का उपयोग मतदाता सूची से किसी मौजूदा नाम को हटाने या किसी नाम को शामिल करने के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है।

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की शक्तियाँ और भूमिका

चर्चा में क्यों?

दिल्ली की एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत ने पुलिस द्वारा कस्टडी बढ़ाने की मांग के बावजूद दो कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी। इस मामले ने SEM की शक्तियों, उनकी भूमिका और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ उनके अंतर को चर्चा में ला दिया है।

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) कौन हैं?

- **नियुक्ति:** राज्य सरकारें **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 15** के तहत विशिष्ट क्षेत्रों, अवधियों या विशेष कार्यों (जैसे कानून-व्यवस्था बनाए रखना) के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को SEM के रूप में नियुक्त करती हैं।

- **अधिकार क्षेत्र:** इनकी शक्तियां और कार्य पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए प्राधिकार पर निर्भर करते हैं।

SEM के कार्य और शक्तियां

- **निवारक और प्रशासनिक कार्य:** SEM का मुख्य कार्य अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय अशांति की आशंका होने पर निवारक (Preventive) कदम उठाना है।
- **शांति बांड (Peace Bond): BNSS की धारा 126** के तहत, यदि किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने की आशंका हो, तो SEM उसे 1 वर्ष तक की अवधि के लिए शांति बनाए रखने का बांड (Bond) भरने का आदेश दे सकते हैं।
- **आपातकालीन आदेश:** उपद्रव या आसन्न खतरे की स्थिति में ये मानव जीवन, स्वास्थ्य या सार्वजनिक सुरक्षा को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए त्वरित आदेश जारी कर सकते हैं।
- **सीमाएं:** SEM प्रशासनिक कार्यों तक सीमित हैं। वे इन कार्यवाहियों के माध्यम से **आपराधिक मुकदमों का संचालन नहीं कर सकते और न ही किसी को दोषी ठहरा सकते हैं।** वे पुलिस या न्यायिक रिमांड देने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) से अंतर

- **गठन और नियुक्ति: BNSS की धारा 9** के तहत अदालतों की संख्या राज्य सरकार तय करती है, लेकिन इनके पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति **हाई कोर्ट** द्वारा की जाती है।
- **कार्यक्षेत्र:** ये न्यायिक प्रणाली का हिस्सा होते हैं और रिमांड कार्यवाही, जमानत आवेदनों की सुनवाई तथा आपराधिक मुकदमों का संचालन करते हैं। इन्हें कानून द्वारा निर्धारित सजा सुनाने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होती है।

न्यायालयों द्वारा समीक्षा

- नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए SEM की कार्रवाइयां **न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक निगरानी** के अधीन हैं। इनके आदेशों को संबंधित अदालत या प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

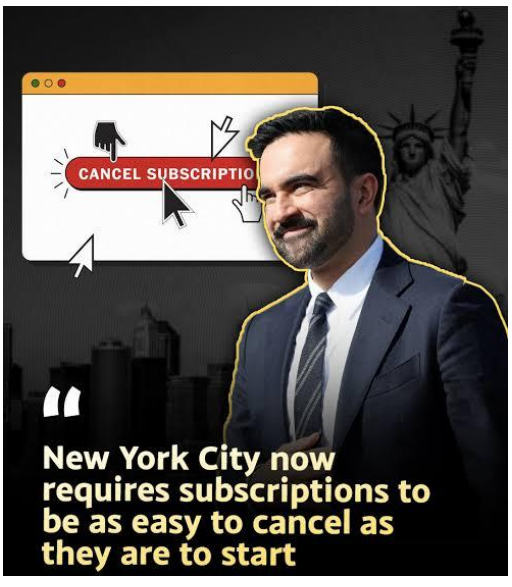
न्यूयॉर्क सिटी का 'क्लिक टू कैंसिल' नियम

चर्चा में क्यों?

न्यूयॉर्क सिटी ने **'क्लिक टू कैंसिल' नियम लागू करने की घोषणा की है।** इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को कोई भी डिजिटल सब्सक्रिप्शन उतनी ही आसानी से रद्द करने की सुविधा देना है, जितनी आसानी से वे सिंगल क्लिक में साइन-अप (रजिस्टर) करते हैं।

नियम की आवश्यकता और 'डार्क पैटर्न्स'

- **डिजिटल डार्क पैटर्न्स:** कंपनियां ग्राहकों को अनचाहे सब्सक्रिप्शन में फंसाए रखने के लिए कैंसिलेशन बटन छिपाने या लंबी प्रक्रियाओं जैसे अनैतिक 'डार्क पैटर्न्स' का उपयोग करती हैं।
- **वित्तीय बचत:** एक अनुमान के अनुसार, यह नियम अनावश्यक सब्सक्रिप्शन को खत्म कर न्यूयॉर्क के नागरिकों को प्रति वर्ष **162.5 मिलियन डॉलर** तक बचा सकता है।



नियम के मुख्य प्रावधान और दायरा

- **समान माध्यम का सिद्धांत:** इंटरनेट से साइन-अप की गई सेवा को रद्द करने के लिए फोन कॉल या व्यक्तिगत रूप से आने की शर्त नहीं रखी जा सकती। इसे उसी डिजिटल माध्यम से रद्द करने का आसान विकल्प देना होगा।
- **दायरा:** यह 'ऑटोमैटिक रिन्यूअल' या 'कंटीन्यूअस सर्विस ऑफर' वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा (सरकारी व्यवसायों और कुछ वित्तीय संस्थानों को छोड़कर)।
- **जुर्माना:** 'डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एंड वर्कर प्रोटेक्शन' (DCWP) इसे लागू करेगा। नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर प्रति उल्लंघन **$525 से शुरू होने वाला नागरिक जुर्माना** लग सकता है।

भारत में वर्तमान स्थिति

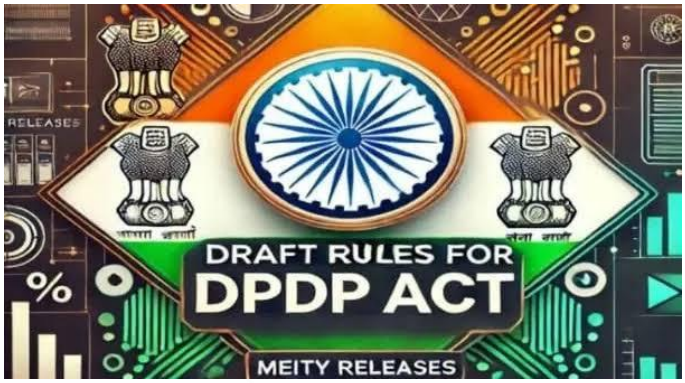
- **आरबीआई फ्रेमवर्क:** भारत में 'ई-मेंडेट फ्रेमवर्क' लागू है, जिसके तहत वास्तविक बैंक डेबिट से कम से कम 24 घंटे पहले ग्राहक को प्री-ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन भेजना अनिवार्य है।
- **चुनौतियाँ:** सुरक्षा उपायों के बावजूद भारत में डार्क पैटर्न्स मौजूद हैं। जून 2026 के एक अध्ययन के अनुसार, कई बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्री-ट्रायल खत्म होने का रिमाइंडर नहीं देते और कैंसिलेशन के लिए 4 से अधिक स्टेप्स मांगते हैं।

DPDP अधिनियम और पत्रकारिता की स्वतंत्रता का संकट

चर्चा में क्यों?

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023** को चुनौती दी है। इस मामले ने बहस छेड़ दी है कि निजता की आड़ में लोक सेवकों को सार्वजनिक जांच से छूट नहीं मिलनी चाहिए।

मुख्य कानूनी चुनौतियाँ और चिंताएँ



- **पत्रकारिता छूट का अभाव:** अधिनियम में मीडिया गतिविधियों के लिए कोई विशिष्ट छूट नहीं है। इसके बिना, भ्रष्टाचार की जांच करने वाले रिपोर्टर को उसी व्यक्ति से सहमति लेनी होगी जिसकी वह जांच कर रहा है।
- **भारी जुर्माना:** नियमों के उल्लंघन पर **250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना** लग सकता है, जो छोटे और स्वतंत्र न्यूज रूम्स के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है।
- **RTI अधिनियम में संशोधन:** याचिका में DPDP अधिनियम की **धारा 44(3)** को चुनौती दी गई है, जिसने **RTI अधिनियम, 2005** में संशोधन कर व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे से जुड़ी 'जनहित' (Public-interest) की शर्त हटा दी है। इससे संपत्ति विवरण और टेंडर दस्तावेजों तक मीडिया की पहुंच बाधित होगी।

संवैधानिक और संस्थागत परिप्रेक्ष्य

- **अनुच्छेद 19(1)(a):** भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a)** (वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत संरक्षित है।
- **संतुलन की आवश्यकता:** सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच संतुलन पर बल दिया है। लोक सेवकों और सार्वजनिक धन का प्रबंधन करने वालों की निजता पूर्ण (Absolute) नहीं हो सकती।
- **बदलती मीडिया प्रकृति:** रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, 18-24 वर्ष के युवाओं में सोशल मीडिया को समाचार का प्राथमिक स्रोत मानने वाले 2025 में 39% हो गए हैं। इस दौर में प्रेस सुरक्षा का दायरा तय करना एक बड़ी चुनौती है।

डेटा गोपनीयता कानून के खिलाफ न्यूज पब्लिशर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट (CJI सूर्य कांत की पीठ) ने **डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन** की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में नए गोपनीयता कानून को प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए इस पर अंतरिम रोक की मांग की गई है। विस्तृत सुनवाई के लिए **17 नवंबर** की तारीख तय हुई है।

कानूनी विवाद और मुख्य चिंताएं



- **चुनौती के अधीन कानून:** याचिका में **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023** और **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025** को चुनौती दी गई है।
- **सेंसरशिप का डर:** DNPA (22 मीडिया पब्लिशर्स का समूह) का तर्क है कि यह कानून न्यूज रूम्स को बंद कर देगा और **सेंसरशिप के युग** की शुरुआत करेगा।
- **खोजी पत्रकारिता पर प्रभाव:** यदि प्रकाशक पूरी तरह 'डेटा प्रिंसिपल' (संबंधित व्यक्ति) की सहमति पर निर्भर हो गए, तो खोजी पत्रकारिता और समाचारों की मूल अवधारणा प्रभावित होगी।

संवैधानिक और कानूनी तर्क

- **पत्रकारिता की स्वतंत्रता:** मीडिया घरानों का तर्क है कि यह कानून उनकी स्वतंत्रता को बाधित करता है, जबकि वे पहले से ही भारतीय प्रेस परिषद (PCI) द्वारा विनियमित हैं।
- **अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन:** याचिका के अनुसार, यह कानून सूचना के मौलिक अधिकार तथा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करता है।
- **निजता के फैसले का उल्लंघन:** पब्लिशर्स का दावा है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 'निजता के अधिकार' फैसले के सिद्धांतों के विपरीत है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

- **संतुलन की आवश्यकता:** कोर्ट ने बिना केंद्र का पक्ष सुने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया।
- **सुझाव आमंत्रित:** न्यायालय ने पब्लिशर्स से सुझाव मांगे हैं कि मीडिया द्वारा प्रेस स्वतंत्रता के दुरुपयोग से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और जनता तक सूचना पहुंचाने के अधिकार के बीच **सही संतुलन कैसे बनाया जाए**।

कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर विवाद

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस संजय किशन कौल के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। उनके अनुसार, पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ कोलेजियम की औपचारिक बैठक से पहले ही संभावित न्यायाधीशों के नामों पर केंद्र सरकार से चर्चा करते थे, जो सरकार से 'पूर्व-स्वीकृति' लेने जैसा है और न्यायपालिका की स्वायत्तता को प्रभावित करता है।

संवैधानिक प्रावधान और कोलेजियम का विकास



- **संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 124** (SC) और **अनुच्छेद 217** (HC) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI से 'परामर्श' के बाद की जाती है।
- **कोलेजियम का विकास (थ्री जजेस केसेज): 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामला)** में कोलेजियम प्रणाली की नींव पड़ी और 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' माना गया। **1998 (तृतीय न्यायाधीश मामला)** में इसका विस्तार हुआ। वर्तमान में SC कोलेजियम में CJI और **4 वरिष्ठतम न्यायाधीश** शामिल होते हैं।
- **NJAC विवाद:** संसद द्वारा लाए गए **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता (मूल ढांचा) का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया था।

प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ और वैश्विक तुलना

- **MoP का अटकाव:** नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए **मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP)** में संशोधन की प्रक्रिया मतभेदों के कारण पिछले 11 वर्षों से लंबित है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर:** अमेरिका में राष्ट्रपति न्यायाधीश नामित करते हैं। यूके में स्वतंत्र 'न्यायिक नियुक्ति आयोग' (JAC) और दक्षिण अफ्रीका में व्यापक 'न्यायिक सेवा आयोग' (JSC) है, जिनमें विधायिका और कानूनी बिरादरी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

NCLT नियुक्तियों में मंत्रालय के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में चिंता जताई है कि **कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में स्टाफ नियुक्तियों का अतिक्रमण (Highjack) कर लिया है**, जिससे इस संस्था की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है।

मुख्य विवाद और कानूनी चिंताएं



- **नियुक्ति का अधिकार:** न्यायालय के अनुसार, कर्मचारियों की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति **NCLT के अध्यक्ष** के पास होनी चाहिए और स्टाफ तथा न्यायाधिकरण के बीच सीधा नियोक्ता-कर्मचारी संबंध होना चाहिए।
- **आउटसोर्सिंग की समस्या:** स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया ठेकेदारों को आउटसोर्स कर दी गई है, जो न्यायाधिकरण के न्यायिक या तकनीकी सदस्यों की वास्तविक आवश्यकताओं की परवाह नहीं करते।
- **स्वायत्तता का हनन:** कोर्ट ने माना कि मंत्रालय न्यायाधिकरण पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायाधिकरण की पूर्ण स्वायत्तता के लिए इसके अध्यक्षों को UPSC या SSC के माध्यम से भर्ती करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

NCLT और NCLAT का वैधानिक ढांचा

- **NCLT:** यह **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408** के तहत गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो कॉर्पोरेट विवादों और दिवाला (IBC) मामलों की सुनवाई करता है।
- **NCLAT:** यह NCLT के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने वाली उच्च संस्था है।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** दोनों निकाय प्रशासनिक रूप से कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आते हैं, जिससे प्रशासनिक हस्तक्षेप और न्यायिक स्वायत्तता में अक्सर टकराव होता है।

अदालत का निर्देश

- सुप्रीम कोर्ट ने NCLT और NCLAT के अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे दैनिक कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए बुनियादी ढांचे और स्टाफ की आवश्यकताओं पर **चार सप्ताह के भीतर एक व्यापक प्रस्ताव** सौंपें।

केरल पीएससी परीक्षा में हेरफेर का मामला

चर्चा में क्यों?

केरल स्टेट क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि **केरल लोक सेवा आयोग (KPSC) की परीक्षा में उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से 10 प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर कररैंकिंग में जानबूझकर हेरफेर किया गया था।** इसने राज्य लोक सेवा आयोगों की शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

लोक सेवा आयोग (भाग XIV - अनुच्छेद 315 से 323)

- **अनुच्छेद 315:** प्रत्येक राज्य के लिए एक **राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)** के गठन का अनिवार्य प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 316 (नियुक्ति और कार्यकाल):** SPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति **राज्य के राज्यपाल** द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल **6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो) तक होता है।
- **अनुच्छेद 317 (हटाने की प्रक्रिया):** SPSC के सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल करे, लेकिन उन्हें पद से **केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा** ही हटाया जा सकता है।
  - 'कदाचार' के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति मामले को **सुप्रीम कोर्ट** की जांच के लिए भेजते हैं।
  - सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट और सलाह राष्ट्रपति के लिए **बाध्यकारी** होती है। जांच के दौरान राज्यपाल सदस्य को निलंबित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 320 (कार्य):** इनका मुख्य कार्य राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना और अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देना है।
- **अनुच्छेद 322 (वित्तीय स्वायत्तता):** SPSC के खर्च और वेतन-भत्ते **राज्य की संचित निधि** पर भारित होते हैं, जिस पर राज्य विधानसभा में मतदान नहीं होता।

पर्यावरण (Environment)

दक्षिण पश्चिम मानसून-2026 में 12.6% की कमी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वर्ष 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून 12.6% की कमी (सामान्य से कम वर्षा) के साथ समाप्त हो गया है। इस मानसूनी सीजन के दौरान कम वर्षा के पीछे मुख्य रूप से अल नीनो का प्रभाव और हिंद महासागर द्विध्रुव की नकारात्मक स्थिति को प्रमुख कारक माना गया

(A) अल नीनो और भारतीय मानसून का संबंध

- **मूल अवधारणा:** अल नीनो मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि (गर्माहट) की घटना है।
- **तंत्र:**
  - प्रशांत महासागर में वॉकर परिसंचरण कमजोर पड़ जाता है या उलट जाता है।
  - इसके परिणामस्वरूप पेरू (दक्षिणी अमेरिका) के तट के पास कम दबाव बनता है और पश्चिमी प्रशांत (इंडोनेशिया/ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र) में उच्च दबाव बनता है।
  - यह स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप की ओर नमी लाने वाली मानसूनी हवाओं की तीव्रता को कमजोर कर देती है, जिससे भारत में वर्षा कम (सूखा) होती है।

(B) ला नीना

- **मूल अवधारणा:** यह अल नीनो के ठीक विपरीत स्थिति है, जहाँ पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है।
- **प्रभाव:** ला नीना के दौरान वॉकर परिसंचरण मजबूत होता है, जिससे भारत में सामान्य या सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा (अच्छी मानसूनी स्थिति) दर्ज की जाती है।

(C) हिंद महासागर द्विध्रुव

- **मूल अवधारणा:** IOD पश्चिमी हिंद महासागर (अरब सागर के पास) और पूर्वी हिंद महासागर (सुमात्रा/इंडोनेशिया के पास) के समुद्री सतह तापमान के अंतर को दर्शाता है। इसे **"हिंद महासागर का अल नीनो"** भी कहा जाता है।
- **नकारात्मक IOD :**
  - इस स्थिति में पूर्वी हिंद महासागर (इंडोनेशिया के निकट) का तापमान सामान्य से अधिक गर्म होता है और पश्चिमी हिंद महासागर तुलनात्मक रूप से ठंडा रहता है।

- इसके कारण नमीयुक्त हवाएं और बादल इंडोनेशिया की ओर खिंच जाते हैं, जिससे भारत की ओर नमी का प्रवाह कम हो जाता है और मानसूनी वर्षा घट जाती है।
- **सकारात्मक IOD:** पश्चिमी हिंद महासागर गर्म होता है, जो भारतीय मानसून के अनुकूल होता है और अल नीनो के प्रभाव को भी आंशिक रूप से बेअसर कर सकता है।
- **2026 की स्थिति:** वर्ष 2026 में अल नीनो और नकारात्मक IOD दोनों के एक साथ प्रभावी होने के कारण भारत में वर्षा में 12.6% की बड़ी कमी दर्ज की गई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं मानदंड

- **स्थापना व नोडल मंत्रालय:** IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत् देश की नोडल मौसम एजेंसी है (स्थापना वर्ष: 1875, मुख्यालय: नई दिल्ली)।
- **दीर्घकालिक औसत :** IMD मानसून वर्षा की गणना LPA Long Period Average(दीर्घकालिक औसत) के आधार पर करता है।
  - वर्तमान में पूरे देश के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसून का LPA **86.8 सेमी** (1971-2020 की अवधि का औसत) माना जाता है।
- **वर्षा का वर्गीकरण:**
  - **सामान्य:** LPA का 96% से 104%
  - **सामान्य से कम:** LPA का 90% से 95%
  - **कमी/सूखा:** LPA के 90% से कम (<90% of LPA) (2026 में 12.6% कमी का अर्थ है कि कुल वर्षा LPA का लगभग 87.4% ही रही, जो 'Deficient' या गंभीर कमी की श्रेणी में आती है।

बाघ पुनर्वास परियोजना

- **सहयोगी संस्थान:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान और पश्चिम बंगाल वन विभाग।
- **पहला विस्थापन:** बिहार के **वाल्मीकि टाइगर रिजर्व** से एक 3 वर्षीय मादा बाघिन को लाकर बुक्सा जंगल में छोड़ा गया।
- रेडियो-कॉलर सैटेलाइट टेलीमेट्री और **M-STrIPES (Monitoring System for Tigers)** ऐप आधारित ट्रैकिंग।
- **लक्ष्य:** चरणबद्ध तरीके से बाघों की एक स्थायी आबादी स्थापित करना। (भारत में पूर्व में सरिस्का और पन्ना में सफल पुनर्वास हो चुका है)।

बुक्सा टाइगर रिजर्व

- **स्थान:** पश्चिम बंगाल (अलीपुरद्वार जिला, डूआर्स क्षेत्र)।
- **दर्जा:** 1983 में 15वाँ टाइगर रिजर्व; 1997 में राष्ट्रीय उद्यान।
- **जैव-भौगोलिक संगम:** 3 प्रमुख क्षेत्रों का मिलन स्थल—
  1. निचला गांगेय मैदान
  2. मध्य हिमालय
  3. ब्रह्मपुत्र घाटी
- **अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय गलियारा:**
  - **उत्तर:** भूटान का फ़िब्सू वन्यजीव अभ्यारण्य।
  - **पूर्व:** असम का रायमोना और मानस राष्ट्रीय उद्यान।
- **प्रमुख नदियाँ:** संकोश, राइदाक, जयंती, पाना।
- **प्रमुख संरक्षण केंद्र:** राजाभातखावा में **गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र** (BNHS के सहयोग से - सफेद पीठ वाले गिद्ध) और बटरफ्लाई कंजर्वेटरी।
- **ऐतिहासिक बिंदु:** परिसर में **बुक्सा किला** स्थित है (अंग्रेज़ों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखने हेतु इस्तेमाल)।





वाल्मीकि टाइगर रिजर्व

- **स्थान:** बिहार (पश्चिम चंपारण जिला - **बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व**)।
- **दर्जा:** 1989 में टाइगर रिजर्व घोषित।
- **अंतरराष्ट्रीय सीमा:** उत्तर में नेपाल के **चितवन राष्ट्रीय उद्यान** से सटा हुआ है।
- **प्रमुख नदियाँ: गंडक नदी** (इसके अलावा पण्डई, मनोर, भापसा नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं)।
- **वनस्पति व परिदृश्य:** तराई-दुआर सवाना और घास के मैदान (नम साल वन और तराई घास के मैदान)।

धान की सुस्त सरकारी खरीद)Tardy Paddy Procurement)

चर्चा में क्यों?

- **अक्टूबर 2026 में गिरावट:** भारत सरकार की कुल धान खरीद पिछले वर्ष की तुलना में **20% से अधिक घट गई है**। मंडियों में आवक होने के बावजूद सरकारी गोदामों तक पहुँचाने की प्रक्रिया सुस्त होने से अनाज का अंबार लग गया और किसानों के भुगतान रुक गए।

1. खरीद सुस्त होने के 3 मुख्य कारण

- **भंडारण संकट:** पंजाब-हरियाणा के गोदामों में पिछले साल (KMS 2025-26) का चावल और रबी का गेहूं पहले से भरे होने के कारण नए धान के उठाव के लिए जगह का अभाव।
- **अत्यधिक नमी:** अक्टूबर की बेमौसम बारिश से धान में नमी बढ़ना, जिससे फसल सरकारी खरीद के मानकों (**FAQ Norms - अधिकतम 17% नमी**) से बाहर हो गई।
- **लॉजिस्टिक्स और तकनीकी बाधाएँ:** नए GPS ट्रैकिंग सिस्टम में खराबी और डिजिटल 'गेट पास' जारी होने में देरी से परिवहन ठप होना।

2. धान खरीद प्रक्रिया

- **J-Form (जे-फॉर्म):** धान की तौल के बाद किसान को जारी की जाने वाली आधिकारिक बिक्री रसीद।
- **प्रत्यक्ष भुगतान:** जे-फॉर्म के आधार पर सरकार द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान।
- **मिलिंग और उठाव:** खरीदे गए धान को राइस मिलों में चावल में बदलकर FCI या राज्य एजेंसियों के गोदामों में भंडारण करना।

3. MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य(

- **सिफारिश: कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)** द्वारा उत्पादन लागत (A2+FL), बाजार रुख व मांग-आपूर्ति के आधार पर।
- **अंतिम मंजूरी:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)** द्वारा।
- **दायरा:** यह कुल 22 **अनिवार्य फसलों** और गन्ने (FRP) के लिए घोषित किया जाता है (धान इसमें शामिल है)।

4. PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा (

- **केंद्रीय पूल:** FCI द्वारा राज्यों को अनाज का आवंटन।
- **योजनाएँ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)** और **PM-GKAY** के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त प्रदान करना।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण)

चर्चा में क्यों?

- **घटना:** राजस्थान के जैसलमेर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क में कृत्रिम परिवेश (कैप्टिव ब्रीडिंग) में पाले गए दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) को सफलतापूर्वक प्राकृतिक आवास में आजाद किया गया है।
- **महत्व:** यह भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में पहली बार है जब कैप्टिव-ब्रेड बस्टर्ड्स को जंगल में छोड़ा गया है, जो इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी को बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** Ardeotis nigriceps
- **स्थानीय नाम:** राजस्थान में स्थानीय भाषा में **'गोडावण'** कहा जाता है।
- **पहचान:** दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक (शुतुरमुर्ग जैसी बनावट)।
- **आवास:** मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क घास के मैदान।
- **राज्य पक्षी:** राजस्थान का आधिकारिक राज्य पक्षी।
- **पारिस्थितिकीय भूमिका:** घास के मैदानों की सेहत का प्रमुख सूचक।

संरक्षण स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट:** गंभीर रूप से लुप्तप्राय।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA, 1972):** अनुसूची-I (Schedule-I) - उच्चतम कानूनी सुरक्षा।
- **CITES:** परिशिष्ट-I

- **CMS:** परिशिष्ट-I

प्रमुख समस्याएं एवं खतरे

- **पावर लाइनें:** हाई-वोल्टेज बिजली की तारें (उड़ते समय कम दृश्यता के कारण इनसे टकराना मौत का सबसे बड़ा कारण)।
- **आवास का नुकसान:** घास के मैदानों का कृषि, उद्योगों और सौर/पवन ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी से रूपांतरण।
- **शिकार और नुकसान:** आवारा कुत्तों और जंगली सूअरों द्वारा जमीन पर बने इनके अंडों और चूजों को नष्ट करना।
- **धीमी प्रजनन दर:** यह पक्षी साल में सामान्यतः केवल एक ही अंडा देता है, जिससे प्राकृतिक वृद्धि बहुत धीमी होती है।

प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम

- **प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:** राजस्थान सरकार द्वारा आवासों की सुरक्षा और विकास हेतु।
- **कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम:** भारतीय वन्यजीव संस्थान और राजस्थान वन विभाग द्वारा जैसलमेर (सम और रामदेवरा) में स्थापित संरक्षण प्रजनन केंद्र।
- **सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:** संवेदनशील क्षेत्रों में बिजली की लाइनों को भूमिगत करने और 'बर्ड डायवर्टर' लगाने का निर्देश।

डेजर्ट नेशनल पार्क

- **अवस्थिति:** राजस्थान के **जैसलमेर और बाड़मेर** जिलों में फैला हुआ है।
- **महत्व:** भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का **अंतिम प्राकृतिक गढ़**।
- **पारिस्थितिकी:** थार रेगिस्तान के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है (रेत के टीले, कांटेदार झाड़ियाँ, मरुस्थलीय लोमड़ी, चिंकारा और गोडावण)।

अर्जेंटीना तट पर सदर्न राइट व्हेल संकट)Southern Right Whale Die-Off)

चर्चा में क्यों?

- अर्जेंटीना के पेनिनसुला वाल्डेस (प्रजनन केंद्र) में **300 से अधिक सदर्न राइट व्हेल के नवजात बच्चों की रहस्यमयी मौत**, जो 2012 की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।

सदर्न राइट व्हेल

- **वैज्ञानिक नाम:** Eubalaena australis (दक्षिणी गोलार्ध के ठंडे/उप-ध्रुवीय जल में निवास)।
- **मुख्य पहचान:** सिर पर विशिष्ट **कैलोसिटी (Callosities)**; पीठ पर **पंख (Dorsal fin) नहीं** होता।
- **ऐतिहासिक तथ्य:** 19वीं-20वीं सदी में शिकारियों की 'सही' (Right) पसंद, क्योंकि यह धीमी तैरती थी और मरने के बाद वसा (Blubber) के कारण पानी पर तैरती रहती थी।
- **IUCN स्थिति: कम चिंताजनक (Least Concern)**।
- CITES परिशिष्ट-I में शामिल।

मौतों के मुख्य कारण

- **बैक्टीरियल संक्रमण:** इरिसिपेलस (Erysipelas) नामक गंभीर संक्रमण जो आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है।
- **केल्प गल्स (Kelp Gulls) पक्षी:** सतह पर आने वाले नवजात बच्चों की पीठ पर चोंच मारकर वसा खाना, जिससे बने गहरे घावों के रास्ते बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं।
- **अन्य कारण:** रेड टाइड (शैवाल प्रस्फुटन) और जलवायु परिवर्तन जनित समुद्री बदलाव।

ब्लैक पैंथर

चर्चा में क्यों?

- **केरल में पहली घटना:** 9 अक्टूबर 2026 की रात केरल के पठानमथिट्टा जिले (कोन्नी वन्यजीव प्रभाग) में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में लगभग 2-3 वर्ष की मादा ब्लैक पैंथर फँस गई। केरल वन विभाग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।
- **विवाद:** वन्यजीव कार्यकर्ताओं के अनुसार पकड़ा गया शावक छोटा है और इंसानी बस्तियों में शिकार करने वाला वयस्क जीव कोई अन्य हो सकता है, इसलिए इसे प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने की माँग की जा रही है।

तथ्य

- **कोई अलग प्रजाति नहीं:** यह कोई स्वतंत्र प्रजाति नहीं, बल्कि बड़ी बिल्ली प्रजातियों का **मेलेनिस्टिक रूप (Melanistic Form)** है (एशिया/अफ्रीका का तेंदुआ Panthera pardus और अमेरिका का जगुआर)।

- **कारण:** त्वचा में 'मेलेनिन' वर्णक की अधिकता। तेंदुओं में यह सामान्यतः **अप्रभावी जीन** से संबंधित है, अतः सामान्य चित्तीदार तेंदुओं से भी काले शावक पैदा हो सकते हैं।
- **घोस्ट रोसेट्स (Ghost Rosettes):** तेज रोशनी में ब्लैक पैंथर के शरीर पर सामान्य तेंदुओं की तरह दिखने वाले अस्पष्ट चकत्ते।

संरक्षण स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट:** सुभेद्य (Vulnerable) — (तेंदुओं के संदर्भ में)।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I (Schedule-I — सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा)।
- **CITES:** परिशिष्ट-I (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कड़े प्रतिबंध)।

आवास एवं वितरण

- **प्राकृतिक आवास:** घने, नम और सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन (भारत में **पश्चिमी घाट** प्रमुख आवास)।
- **भारत में प्रमुख क्षेत्र:** काबिनी व बांदीपुर, डंडेली-अंशी (कर्नाटक), पेरियार (केरल), तथा ओडिशा एवं उत्तर-पूर्व भारत के वन क्षेत्र।

संरक्षण उपाय एवं प्रशासनिक ढांचा

- सरकार द्वारा ब्लैक पैंथर के लिए कोई अलग 'प्रोजेक्ट पैंथर' नहीं चलाया जाता; इनका संरक्षण **प्रोजेक्ट टाइगर**, 'एकीकृत वन्यजीव आवास विकास योजना' तथा NTCA के अंतर्गत अन्य बड़े मांसाहारी जीवों के साथ किया जाता है।

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, 2026 एवं भारत की जैव विविधता

चर्चा में क्यों?

- **रिपोर्ट प्रकाशन:** 'विश्व वन्यजीव कोष' (WWF) और 'जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन' (ZSL) ने द्विवार्षिक रिपोर्ट **'द साइंस ऑफ होप'** शीर्षक से जारी की।
- **वैश्विक प्रचुरता में गिरावट:** 1970 से 2022 के बीच निगरानी की गई कशेरुकी (Vertebrate) जीवों की आबादी में औसतन **73.2% की गिरावट** (वार्षिक गिरावट ~2.5%) दर्ज की गई।

महत्वपूर्ण बिंदु

1. वैश्विक निष्कर्ष व ट्रेंड्स

- **पारिस्थितिकी तंत्र वार गिरावट:** मीठे जल: **85%** | स्थलीय: **69%** | समुद्री: **59%**।
- **सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र:** लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन (**95%**), इसके बाद अफ्रीका (**80%**)।
- **ह्रास के मुख्य कारण:** आवास की हानि व क्षरण (30%), अतिदोहन (23%), जलवायु परिवर्तन (14%)।

2. भारत की जैव विविधता स्थिति

- **वैश्विक अनुपात:** भारत के पास विश्व का **2.4% भू-भाग** है, लेकिन यहाँ **8% वनस्पतियाँ** और **7.5% जीव-जंतु** पाए जाते हैं।
- **वैश्विक महत्त्व:** भारत 17 'मेगा-डायवर्स' देशों में शामिल है; विश्व के 36 हॉटस्पॉट में से **4 हॉटस्पॉट के हिस्से** भारत में हैं।
- **स्थानिक प्रजातियाँ:** भारत में लगभग 28% पादप और 30% से अधिक जंतु प्रजातियाँ स्थानिक हैं।

3. प्रमुख प्रजाति संरक्षण पहलें

- **प्रथम डुगोंग रिजर्व:** तमिलनाडु की **पाक खाड़ी** में स्थापित।
- **गिद्ध संरक्षण:** पशु चिकित्सा में **डाइक्लोफेनाक** पर प्रतिबंध; हरियाणा के **पिंजौर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र**।
- **प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर:** तमिलनाडु के राजकीय पशु के संरक्षण हेतु।
- **हिम तेंदुआ:** वैज्ञानिक आकलन के अनुसार भारत में अनुमानित संख्या **718**।
- **अन्य:** प्रोजेक्ट टाइगर (1973 - विश्व की >75% बाघ आबादी भारत में), प्रोजेक्ट चीता, तथा पोबितोरा अभयारण्य (असम) में एक-सींग वाले गैंडे का संरक्षण।

भारत में क्षय रोग (TB) का उन्मूलन

चर्चा में क्यों?

- **WHO वैश्विक TB रिपोर्ट 2025:** भारत में 2015–2024 के दौरान TB मामलों में **21% की कमी** आई (वैश्विक कमी: 12%) और उपचार कवरेज **92%** तक पहुँचा।
- **वैश्विक भार:** दुनिया के कुल TB मामलों का **~25% भारत में** है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **कारक जीवाणु:** Mycobacterium tuberculosis।
- **प्रभावित अंग:** मुख्यतः फेफड़े; इसके अलावा मस्तिष्क, गुर्दे और रीढ़ भी प्रभावित।
- **रोकथाम: BCG टीका** (बच्चों को TB के गंभीर रूपों से सुरक्षा हेतु)।
- **प्रमुख जोखिम कारक:** कुपोषण, मधुमेह और कमजोर इम्युनिटी।

प्रमुख सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम:** RNTCP का नया नाम। 4 प्रमुख स्तंभ—जाँच, उपचार, बचाव और निर्माण।
- **प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान & निक्षय पोषण योजना:** TB उन्मूलन को जन-आंदोलन बनाना; **DBT** के माध्यम से पोषण सहायता और 'निक्षय मित्र' द्वारा सामुदायिक सहायता।
- **JOSH पहल (Joint Squad for Health):** स्वास्थ्य मंत्रालय, NCC और MY Bharat स्वयंसेवकों द्वारा जागरूकता, शीघ्र जाँच और सामाजिक कलंक को दूर करने की सामुदायिक पहल।

तकनीकी एवं चिकित्सीय नवाचार

- **BPaLM Regimen:** बहुऔषधि प्रतिरोधी (MDR-TB) के लिए 6 महीने की त्वरित उपचार पद्धति (Bedaquiline, Pretomanid, Linezolid, Moxifloxacin)।
- **AI-आधारित निदान: DeepCXR** (एक्स-रे विश्लेषण) और **Cough against TB** (खाँसी की ध्वनि से पहचान)।
- **त्वरित निदान व निगरानी:** TrueNat, CBNAAT और डिजिटल मॉनिटरिंग हेतु **निक्षय (Ni-kshay) पोर्टल**।

उन्मूलन में मुख्य चुनौतियाँ

- **सामाजिक-आर्थिक:** कुपोषण, गरीबी और सामाजिक भेदभाव।
- **चिकित्सीय:** बहुऔषधि प्रतिरोधकता (MDR-TB / XDR-TB)।
- **संरचनात्मक:** निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ समन्वय की कमी और दूरस्थ क्षेत्रों में जाँच सुविधाओं की सीमित पहुँच।

जयपुर ग्राउंड गेको

चर्चा में क्यों?

- **बॉक्साइट खनन का खतरा:** ओडिशा के कोरापुट जिले की बलदा पहाड़ियों (पोटंगी क्षेत्र) में कलिंगा एल्युमिना लिमिटेड की प्रस्तावित खुली खनन परियोजना से दुर्लभ 'जयपुर ग्राउंड गेको' के प्राकृतिक आवास और अस्तित्व पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।
- **अल्प आबादी:** वैज्ञानिक सर्वेक्षण में इस खनन क्षेत्र में इस प्रजाति के केवल **4 जीव** ही पाए गए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

1. प्रमुख तथ्य एवं विशेषताएँ

- **वैज्ञानिक नाम:** Cyrtodactylus jeyporensis (एक दुर्लभ भूमि-निवासी छिपकली)।
- **निवास स्थान:** पूर्वी घाट के चट्टानी एवं वन क्षेत्र (सूखी पत्तियों के बीच रहने वाली)।
- **इतिहास:** 1877 में ब्रिटिश प्रकृतिवादी रिचर्ड बेडडोम द्वारा खोज; लगभग 130 वर्षों बाद 2010 में ओडिशा के पूर्वी घाट में इसकी पुनःखोज।

2. संरक्षण स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट:** संकटग्रस्त (**Endangered**)।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I (**Schedule-I** — उच्चतम कानूनी सुरक्षा प्राप्त)।

प्रोजेक्ट चीता के तहत पहली बार बंदूक की गोली से चीते की मृत्यु

चर्चा में क्यों?

- घटना: अक्टूबर 2026 में कूनो के बाहर मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित पहाड़गढ़ के प्रादेशिक वन क्षेत्र में 19 माह के नर चीते (KNG22) को गोली मारी गई।
- मृत्यु: सर्जरी के दौरान शरीर से बंदूक के 5 छर्रे मिले, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
- महत्व: वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत के बाद गोली लगने से चीते की यह पहली मृत्यु है।
- जांच: केंद्र ने NTCA और WCCB के अधिकारियों की उच्चस्तरीय जांच टीम गठित की।

चीता: प्रमुख तथ्य

- विशेषता: विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी।
- प्रमुख उप-प्रजातियां:
  1. अफ्रीकी चीता – सुभेद्य।
  2. एशियाई चीता – गंभीर रूप से संकटग्रस्त ; वर्तमान में केवल ईरान में पाया जाता है।
- भारत में विलुप्ति:
  - अंतिम तीन चीतों का शिकार 1947 में कोरिया रियासत (वर्तमान छत्तीसगढ़) में हुआ।
  - 1952 में भारत में चीते को आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित किया गया।

प्रोजेक्ट चीता:

- शुभारंभ: 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा।
- महत्व: दुनिया की पहली अंतर-महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी जीव पुनर्वास परियोजना।

चीतों का आगमन:

1. 2022 – नामीबिया से 8 चीते।
2. 2023 – दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते।
3. फरवरी 2026 – बोत्सवाना से 9 चीते।

अन्य संभावित आवास:

- गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य – मंदसौर एवं नीमच, मध्य प्रदेश।
- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व – सागर, मध्य प्रदेश।

संबंधित अधिनियम एवं संस्थाएं:

- अधिनियम: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972।
- मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

प्रमुख संस्थाएं:

1. NTCA: प्रोजेक्ट चीता का नेतृत्व करने वाली वैधानिक संस्था।
2. WII, देहरादून: तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करता है।
3. WCCB: वन्यजीव अपराध, अवैध शिकार एवं तस्करी की रोकथाम और जांच करता है।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान

- अवस्थिति: श्योपुर एवं मुरैना, मध्य प्रदेश।
- स्थापना: 1981 में वन्यजीव अभयारण्य।
- राष्ट्रीय उद्यान: 2018 में घोषित।
- प्रमुख नदी: कूनो नदी (चंबल की सहायक नदी)।
- वनस्पति: शुष्क पर्णपाती वन एवं घास के मैदान।
- पारिस्थितिक क्षेत्र: खथियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन।
- महत्व: खुले घास के मैदान एवं वन क्षेत्र चीतों के शिकार और आवास के लिए अनुकूल हैं।

दिल्ली-एनसीआर में GRAP और वायु प्रदूषण नियंत्रण (GRAP and Air Pollution Control)

चर्चा में क्यों?

- **GRAP चरण-1 लागू:** दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'खराब' होने पर **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग** द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-1 घोषित किया गया।
- **प्रभावशीलता पर सवाल:** फिनलैंड स्थित शोध संगठन **CREA (2026 रिपोर्ट)** के अनुसार, GRAP लागू होने के बावजूद पिछले 4 वर्षों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कोई निरंतर सुधार दर्ज नहीं किया गया है।

1. GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) क्या है (?

- **प्रकृति:** अत्यधिक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए **अल्पकालिक आपातकालीन उपाय** का एक सेट (4 चरणों में विभाजित)।
- **कार्यान्वयन निकाय: CAQM** (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) द्वारा लागू।
- **क्षेत्रीय दायरा:** यह दिल्ली सहित एनसीआर (हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) के जिलों पर "तत्काल प्रभाव" से लागू होता है।

2. सर्दियों में प्रदूषण वृद्धि के मुख्य कारण

- **मौसम वैज्ञानिक कारण:** कम हवा की गति और तापमान में गिरावट।
- **मानवजनित कारण:** पराली जलाना, त्योहारों पर पटाखे, धूल और वाहनों से होने वाला उत्सर्जन।

3. वर्ष 2026 के नए नीतिगत उपाय

- **समय-बद्ध प्रतिबंध :** दिल्ली सरकार द्वारा जून 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक **BS-VI से नीचे के गैर-दिल्ली पंजीकृत वाहनों** पर प्रतिबंध (EV, CNG व आपातकालीन वाहनों को छूट)।
- **मांग-पक्ष प्रबंधन:** निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना करना।
- **ओवरराइडिंग शक्ति:** यदि दिल्ली सरकार के नियमों और GRAP के आदेशों में विरोधाभास होता है, तो **GRAP के नियम ही सर्वोपरि** होंगे।

चक्रवात 'अर्नब' (Cyclone Arnab)

1. समसामयिक घटनाक्रम

- **चक्रवात अर्नब:** अक्टूबर 2026 के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न वर्ष 2026 का पहला नामित चक्रवात।
- **तीव्रता व लैंडफॉल:** IMD के अनुसार अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान (VSCS), पवन गति 125–135 किमी/घंटा तथा झोंके 150 किमी/घंटा। आंध्र प्रदेश के यानम (काकीनाडा के पास) तट पर लैंडफॉल।
- **मुरासु (Cyclone Murasu):** नवंबर 2026 के पहले सप्ताह में आंध्र प्रदेश के ओंगोल तट पर लैंडफॉल करने वाला अगला चक्रवात।

2. प्रभाव एवं मार्ग विचलन

- **प्रभावित क्षेत्र:** आंध्र प्रदेश के काकीनाडा एवं बापटला में फसल क्षति; ओडिशा के गंजम एवं गजपति में बाढ़ और रेल सेवाएं बाधित।
- **मार्ग में बदलाव:** अल नीनो जनित वायुमंडलीय बदलावों के कारण सामान्य उत्तर-पूर्व दिशा के बजाय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ा।

3. चक्रवात निर्माण की मुख्य भौगोलिक दशाएं

- **समुद्री सतह तापमान :** सामान्यतः 27°C से अधिक।
- **कोरिओलिस बल:** चक्रवातीय घूर्णन के लिए आवश्यक; इसलिए भूमध्य रेखा के 0°–5° अक्षांश के बीच चक्रवात नहीं बनते।
- **ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण:** कम होना चाहिए, ताकि चक्रवात का ढांचा बना रहे।
- **बैरियर लेयर:** समुद्र की ऊपरी मीठे पानी की परत ऊष्मा को संचित रखकर चक्रवात की तीव्रता बढ़ा सकती है।
- **घूर्णन दिशा:**
  - उत्तरी गोलार्द्ध – घड़ी की सुई के विपरीत (Anti-clockwise)।
  - दक्षिणी गोलार्द्ध – घड़ी की सुई के अनुकूल (Clockwise)।

4. चक्रवातों का नामकरण

- **संस्था:** WMO/ESCAP का पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स (PTC)।
- **सदस्य:** 13 देश।
- **प्रक्रिया:** सदस्य देशों द्वारा कुल 169 नामों की सूची तैयार की जाती है।
- **अर्नब:** बांग्लादेश द्वारा दिया गया नाम; बंगाली में अर्थ – सागर/महासागर।
- **मुरासु:** श्रीलंका द्वारा दिया गया नाम; अर्थ – युद्ध का नगाड़ा।

5. संस्थागत ढांचा एवं निगरानी

- **IMD:** भारत मौसम विज्ञान विभाग चक्रवातों की निगरानी एवं चेतावनी देने वाली नोडल एजेंसी है।
- **तकनीक:** INSAT उपग्रह एवं डॉपलर मौसम रडार (DWR)।
- **आपदा प्रबंधन:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत NDRF एवं SDRF राहत और निकासी कार्य करते हैं।

6. IMD चक्रवात वर्गीकरण (पवन गति)

वर्गीकरण	पवन गति (घंटा/किमी)
डिप्रेशन (Depression)	31–49
डीप डिप्रेशन (Deep Depression)	50–61
चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm)	62–88
गंभीर चक्रवाती तूफा)Severe Cyclonic Storm)	89–117
अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान)Very Severe Cyclonic Storm)	118–165
अति गंभीर चक्रवाती तूफान)Extremely Severe Cyclonic Storm)	166–220

सुपर चक्रवात)Super Cyclone)	221 से अधिक

भारत के नए रामसर स्थल

यह खबर में क्यों है?

अक्टूबर 2026 में भारत के दो नए आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व के **'रामसर स्थल' (Ramsar Sites)** का दर्जा दिया गया है:

1. **सुखना आर्द्रभूमि** – चंडीगढ़ (मानव-निर्मित)
2. **सौज झील** – मैनपुरी, उत्तर प्रदेश (प्राकृतिक)

प्रभाव: इन दो नई साइटों के जुड़ने से अब **भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 103 हो गई है।**

नए रामसर स्थलों की चर्चा

(क) सुखना आर्द्रभूमि (चंडीगढ़)

- **इतिहास:** शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित 1958 की कृत्रिम झील, जिसे ली कॉर्बुज़िए ने डिजाइन किया था।
- **महत्व:** 'सेंट्रल एशियन फ्लाईवे' पर स्थित होने के कारण यहाँ सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं।
- **मुख्य जीव:** पल्लास फिश ईगल, कॉमन पोचार्ड और ब्लैक पोंड टर्टल।

(ख) सौज झील (उत्तर प्रदेश)

- **रिकॉर्ड:** इसके शामिल होने से यूपी में कुल 14 साइटें हो गई हैं। मैनपुरी देश का पहला जिला बना जिसमें 2 रामसर साइट्स (सौज झील और समन अभयारण्य) हैं।
- **महत्व:** 30,000 से अधिक जलपक्षियों का घर और बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा 'महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र' (IBA) घोषित।
- **मुख्य जीव:** उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी **सारस क्रेन** और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल।

रामसर कन्वेंशन का बेसिक

- **परिभाषा:** आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के **रामसर** शहर में हुई एक वैश्विक संधि।
- **विश्व आर्द्रभूमि दिवस:** हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है।
- **भारत की स्थिति:** भारत इस संधि में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था।
- **आर्द्रभूमि का महत्व:** इन्हें **"पृथ्वी का गुर्दा"** कहते हैं क्योंकि ये पानी को शुद्ध करती हैं, बाढ़ रोकती हैं और भारी जैव विविधता को संभालती हैं।

भारत की रामसर साइट

- **कुल संख्या:** 103 रामसर स्थल (वर्ष 2026 तक)।
- **टॉप राज्य: तमिलनाडु (20 साइटें)** पहले स्थान पर और **उत्तर प्रदेश (14 साइटें)** दूसरे स्थान पर है।
- **प्रथम साइट:** चिल्का झील (ओडिशा) और केवलादेव (राजस्थान) – 1981।
- **सबसे बड़ी व छोटी:** सबसे बड़ी साइट **सुंदरवन (पश्चिम बंगाल)** और सबसे छोटी **रेणुका (हिमाचल प्रदेश)** है।

ओपन कोएलिशन ऑन कम्प्लायंस कार्बन मार्केट्स (OCCCM) और भारत

चर्चा में क्यों?

- **वैश्विक घटना:** EU, चीन और ब्राजील द्वारा शुरू किए गए वैश्विक कार्बन गठबंधन **OCCCM** ने अपनी पहली कार्य-योजना को अपनाया है।
- **भारतीय संदर्भ:** भारत ने अपना घरेलू **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम** लागू कर दिया है, लेकिन वह अभी इस वैश्विक गठबंधन से बाहर है। विशेषज्ञ भारत को इसमें शामिल होने की सलाह दे रहे हैं।

OCCCM क्या है?

- **उद्देश्य:** विभिन्न देशों के सरकारी कार्बन बाजारों के बीच तकनीकी तालमेल और साझा नियम बनाना।
- **नेतृत्व:** ब्राजील (अध्यक्ष), यूरोपीय संघ और चीन (सह-अध्यक्ष)।

- **प्रकृति:** यह एक स्वैच्छिक मंच है, जो देशों पर कोई बाध्यकारी (Forced) उत्सर्जन लक्ष्य नहीं थोपता।

महत्वपूर्ण तथ्य (भारत के लिए क्यों जरूरी?)

- **वैश्विक नियम तय करना:** शामिल होने पर भारत कड़े वैश्विक नियमों को तय करने में भूमिका निभा सकेगा, न कि केवल दूसरों के बनाए नियमों को मानेगा।
- **निर्यात की रक्षा:** यूरोपीय संघ के आगामी **कार्बन बॉर्डर टैक्स** से भारतीय स्टील और एल्युमिनियम निर्यात को बचाने में मदद मिलेगी।
- **आर्थिक लाभ:** भारतीय कंपनियां अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स के कार्बन क्रेडिट्स को वैश्विक बाजार में ऊंचे दामों पर बेच सकेंगी।

प्रोजेक्ट राइनो (Project Rhino)

यह चर्चा में क्यों है?

- **आधिकारिक घोषणा:** 22 सितंबर 2026 को **'विश्व राइनो दिवस'** के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **'प्रोजेक्ट राइनो'** शुरू करने की घोषणा की।
- **बजट और अवधि:** इसके प्रथम चरण (2026-2031) के लिए **₹77.39 करोड़** आवंटित किए गए हैं।
- **उद्देश्य:** 'ग्रेटर वन-हॉर्न्ड राइनो' (एक सींग वाले भारतीय गैंडे) के संरक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

प्रोजेक्ट राइनो के प्रमुख बिंदु

- **अवैध शिकार रोधी अभियान:** वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए ड्रोन और थर्मल-इमेजिंग कैमरों से लैस **'राइनो प्रोटेक्शन फोर्स'** का गठन।
- **पर्यावास और गलियारा सुरक्षा:** घास के मैदानों का जीर्णोद्धार करना और भारत-नेपाल व अंतर-राज्यीय **प्रवास गलियारों** को सुरक्षित बनाना।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान:** इन-ब्रीडिंग (सगोत्र प्रजनन) को रोकने के लिए आनुवंशिक सुधार और **RhODIS (राइनो डीएनए इंडेक्सिंग सिस्टम)** का उपयोग।
- **पुनर्वास:** गैंडों की अत्यधिक एकाग्रता को कम करने के लिए उन्हें ऐतिहासिक रूप से अनुकूल नए व सुरक्षित आवासों में स्थानांतरित करना।

भारत में स्थिति और लक्षित राज्य

- **5 लक्षित राज्य:** यह परियोजना **असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश** में लागू की जा रही है।
- **असम:** दुनिया के एक सींग वाले गैंडों की **80% आबादी** अकेले असम (मुख्यतः काजीरंगा, पोबितोरा, मानस, ओरांग) में है। पोबितोरा में दुनिया का सबसे उच्च राइनो घनत्व है।
- **पुनर्वास सफलताएं:** उत्तर प्रदेश के दुधवा में सफल पुनर्वास और बिहार के **वाल्मीकि टाइगर रिजर्व** में नया संरक्षण कार्यक्रम जारी है।

भारतीय गैंडे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

- **संरक्षण दर्जा: IUCN रेड लिस्ट:** असुरक्षित (Vulnerable) | **WPA 1972:** अनुसूची-I | **CITES:** परिशिष्ट-I।
- **केराटिन का सींग:** इनका सींग हड्डी का नहीं, बल्कि **केराटिन** प्रोटीन (जिससे इंसानी बाल/नाखून बनते हैं) से बने बालों का गुच्छा होता है।
- **पारिस्थितिक भूमिका:** यह एक **'कीस्टोन' और 'अम्ब्रेला स्पीशीज'** है, जिसके संरक्षण से घास के मैदानों में रहने वाले अन्य जीव (जैसे दलदली हिरण, पिग्मी हॉग) स्वतः सुरक्षित हो जाते हैं।
- **धीमी प्रजनन दर:** इनका गर्भकाल **15-16 महीने** का होता है और मादा 2-3 साल में सिर्फ एक बच्चे को जन्म देती है।
- **वैश्विक सहयोग:** भारत, नेपाल, भूटान, मलेशिया और इंडोनेशिया ने एशियाई गैंडों की रक्षा के लिए **'नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019'** पर हस्ताक्षर किए हैं।

इंडियन राइनो विज़न 2020 (IRV2020)

- **परिचय:** असम वन विभाग, WWF-इंडिया और IRF द्वारा **2005 में शुरू** और **2021 में समाप्त** किया गया मिशन।
- **मुख्य लक्ष्य:** असम में एक-सींग वाले गैंडों की आबादी **3,000+ करना** और उन्हें **7 संरक्षित क्षेत्रों** में फैलाना।
- **रणनीति:** काजीरंगा जैसे घने आवासों से गैंडों को निकालकर अन्य पार्कों में बसाना।
- **मूल उद्देश्य:** पूरी आबादी को एक जगह (काजीरंगा) केंद्रित न रखकर महामारी या बाढ़ के बड़े खतरे से बचाना।
- **सबसे बड़ी सफलता:** 1990 के दशक में पूरी तरह राइनो-मुक्त हो चुके **मानस नेशनल पार्क** में गैंडों की आबादी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करना।
- **परिणाम:** असम में गैंडों की कुल आबादी सुरक्षित रूप से 3,000 के पार पहुंच गई।

अर्थव्यवस्था (Economy)

घरेलू कर्ज: भविष्य पर आज का भारी खर्च (Household Debt)

चर्चा में क्यों?

डिजिटल लेंडिंग और क्रेडिट कार्ड के बढ़ते चलन से भारत का घरेलू कर्ज सितंबर 2025 तक बढ़कर GDP का रिकॉर्ड 46.5% हो गया है। इसके विपरीत, देश में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत में भारी गिरावट आई है और यह घटकर GDP का महज लगभग 6% रह गई है।

मुख्य बिंदु

- **डेटा ट्रेंड्स:** भारत का घरेलू कर्ज सितंबर 2025 में GDP का 46.5% पहुंच गया, जो जून 2023 में 42% और मार्च 2021 में 38.2% था।
- **बचत दर ट्रेंड्स (Savings Trends):** परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत वित्त वर्ष 2023-24 में GDP की 5.29% थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर लगभग 6% हुई (परंतु यह महामारी के दौरान देखी गई उच्च बचत दरों के मुकाबले भारी गिरावट को दर्शाती है)।
- **सुरक्षित कर्ज:** किसी संपत्ति के बदले लिया गया ऋण, जैसे होम लोन या ऑटो लोन।
- **असुरक्षित कर्ज:** बिना किसी गारंटी के दैनिक या आपातकालीन खर्चों के लिए लिया गया ऋण, जैसे पर्सनल लोन , क्रेडिट कार्ड बिल, और डिजिटल उधारी (BNPL - Buy Now Pay Later)।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: फेज-3 को कैबिनेट की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कैबिनेट ने **₹1.86 लाख करोड़** के कुल परिव्यय वाले 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' (GEC) के **तीसरे चरण (Phase III)** को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

- **बजट और वित्तीय आवंटन:**
  - कुल प्रोजेक्ट परिव्यय **₹1.86 लाख करोड़ से अधिक** है।
  - इसमें से **₹1.36 लाख करोड़** का उपयोग तीसरे चरण में **इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम** यानी राज्यों के भीतर बिजली पारेषण प्रणाली को विकसित करने के लिए किया जाएगा।
- **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS):**
  - इस योजना में पहली बार **50 GWh (गीगावाट-घंटे)** की क्षमता वाले बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को तैनात करने का प्रावधान है।
  - इस विशिष्ट घटक के लिए **₹50,000 करोड़** का समर्पित फंड आवंटित किया गया है।
- **कर्टेलमेंट की समस्या का समाधान:**
  - यह योजना ऊर्जा 'कर्टेलमेंट' की समस्या को दूर करने का प्रयास करती है।
  - कर्टेलमेंट वह स्थिति है जब ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए ग्रिड ऑपरेटरों द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से होने वाले बिजली उत्पादन को सीमित कर दिया जाता है।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) -

- **फेज 1 (GEC-I)**
  - **वर्ष व समय-सीमा:** लॉन्च 2015-16; संशोधित समय-सीमा बढ़ाकर **दिसंबर 2022** (कुछ राज्यों में आंशिक विस्तार) की गई।
  - **राज्य (8):** आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु।
  - **इन्फ्रास्ट्रक्चर व क्षमता: 24 GW** क्षमता हेतु 9,700 ckm ट्रांसमिशन लाइन और 22,600 MVA सब-स्टेशन।
- **फेज 2 (GEC-II)**
  - **वर्ष व समय-सीमा:** मंजूरी **जनवरी 2022**; कार्यान्वयन अवधि **2021-22 से 2025-26** (मार्च 2026 तक)।
  - **राज्य (7):** गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।
  - **इन्फ्रास्ट्रक्चर व क्षमता: 20 GW** क्षमता हेतु 10,750 ckm ट्रांसमिशन लाइन और 27,500 MVA सब-स्टेशन।
- **फंडिंग पैटर्न: 33% केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)**; शेष लोन व राज्यों द्वारा।

GST राजस्व: सितम्बर में ₹2.03 लाख करोड़ का रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों?

भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व सितंबर 2026 में 11.7% की वृद्धि के साथ ₹2.03 लाख करोड़ पहुंच गया है।

मुख्य बिंदु



- **राजस्व डेटा:** सितंबर 2026 में ग्रॉस GST कलेक्शन ₹2.03 लाख करोड़ रहा। चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-सितंबर 2026) की पहली छमाही में ग्रॉस GST राजस्व में 8.3% की वृद्धि देखी गई है।
- **बदलता स्वरूप:** कुल ग्रॉस GST राजस्व में आयात से प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी बढ़कर **52.2% के अपने उच्चतम स्तर** पर पहुंच गई है।
- **घरेलू राजस्व में गिरावट:** इसके विपरीत, घरेलू लेनदेन से होने वाले राजस्व की हिस्सेदारी गिरकर **47.8% के अपने सबसे निचले स्तर** पर आ गई है।
- **वृद्धि दर का अंतर:** सितंबर 2026 में आयात से होने वाले राजस्व में **23.1% की तेज वृद्धि** देखी गई, जबकि घरेलू लेनदेन से प्राप्त राजस्व केवल **1.2% की धीमी गति** से बढ़ा (जो अगस्त 2021 के बाद से सबसे धीमी वृद्धि दरों में से एक है)।

Note: GST काउंसिल (GST Council): यह एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 279A), जो GST से संबंधित दरों, छूट और नियमों पर निर्णय लेती है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

भारत का मॉडल BIT 2015-16

चर्चा में क्यों?

अंतरराष्ट्रीय मुकदमों को कम करने और द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) पर नए सिरे से बातचीत के प्रयासों के कारण मॉडल BIT नीतिगत चर्चा में है।



मुख्य बिंदु

- **घरेलू न्यायालय (EDR):** अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल जाने से पहले विदेशी निवेशकों को कम से कम **5 वर्ष** भारतीय अदालतों में मुकदमा चलाना अनिवार्य है।
- **परिभाषा में बदलाव:** सुरक्षा दायरा 'एसेट-बेस्ड' से बदलकर **'एंटरप्राइज-बेस्ड'** किया गया, जिससे केवल वास्तविक निवेश को सुरक्षा मिलेगी।
- **क्लॉज समाप्ति:** संधियों के दुरुपयोग (**ट्रीटी शॉपिंग**) को रोकने के लिए 'सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र' (MFN) और 'उचित व निष्पक्ष व्यवहार' (FET) क्लॉज हटाए गए।
- **कर मामलों पर छूट:** कराधान से जुड़े फैसलों को BIT के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
- **नीतिगत संप्रभुता:** स्वास्थ्य, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जनहित के विषयों पर सरकार के कानून बनाने के अधिकार को सुरक्षित किया गया।

Note:

- **मूल उद्देश्य:** वोडाफोन और केयर्न एनर्जी मामलों के बाद भारत ने राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय मुकदमों को घटाने के लिए इसे अपनाया था।
- **ट्रीटी शॉपिंग:** टैक्स लाभ के लिए किसी तीसरे अनुकूल देश के माध्यम से शेल कंपनियां बनाकर निवेश करने की प्रक्रिया।

वैश्विक बेरोजगारी का संकट

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक के अनुसार, अगले दशक में ग्लोबल साउथ के **1.2 बिलियन युवा** कार्यबल में आएंगे, जबकि केवल **400 मिलियन नौकरियां** पैदा होंगी। यह **800 मिलियन की कमी** जनसांख्यिकीय लाभांश को आपदा में बदल सकती है।

मुख्य बिंदु

Result Mitra

- **समयपूर्व विऔद्योगीकरण:** ऑटोमेशन व रोबोटिक्स के कारण विनिर्माण में श्रम की जरूरत घटी है, जिससे विकासशील देश पूर्ण औद्योगिक क्षमता पाने से पहले ही नौकरियां खो रहे हैं।
- **रणनीतिक क्षेत्रक (Sectors):**
  - **कृषि:** पारंपरिक निर्वाह कृषि से उच्च-मूल्य एग्री-टेक और कोल्ड-चेन्स की ओर स्थानांतरण।
  - **केयर इकोनॉमी:** स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों और बुजुर्गों की देखभाल क्षेत्र में निवेश।
  - **पर्यटन:** पूर्ण ऑटोमेशन से सुरक्षित, श्रम-गहन क्षेत्र जो 'गुणक प्रभाव' (Multiplier effect) पैदा करता है।
  - **हरित विनिर्माण:** सौर पैनल, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उत्पादन।
- **व्यापारिक बाधाएं:** जटिल विनियामक ढांचे, भारी कराधान (Predatory taxation) और कमजोर संपत्ति अधिकार निजी पूंजी के प्रवाह को रोकते हैं।



Note:

- **समयपूर्व विऔद्योगीकरण:** विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र की ओर संक्रमण से पहले, विनिर्माण क्षेत्र का समय से पहले ही संकुचित हो जाना।
- **भारत का डेटा (FY24):** भारत की **आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है**, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी में इसका योगदान **केवल 16%** रहा।
- **डेमोग्राफी:** भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी **औसत आयु 30 वर्ष से कम** है। इसे अनिवार्य रूप से श्रम-गहन मॉडल की आवश्यकता है।

नेशनल हाउसहोल्ड ट्रेवल सर्वे 2025-26 (NHTS)

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) के NSO द्वारा देश में पहली बार भारतीयों के कार्यस्थल आवागमन, समय और खर्च के पैटर्न को उजागर करने के लिए यह सर्वेक्षण आयोजित किया गया।

मुख्य बिंदु

- **आवागमन के साधन**
  - **टू-व्हीलर (42.6%):** काम पर जाने के लिए सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला साधन।
  - **पैदल यात्रा (28.3%):** दूसरा सबसे बड़ा माध्यम (ग्रामीण क्षेत्रों में यह 36% है)।
  - **सार्वजनिक परिवहन:** केवल **15% लोग** बस, ट्रेन या मेट्रो का उपयोग करते हैं।



- **समय और खर्च:**
  - **मासिक खर्च:** औसत **₹785** (शहरी: ₹1,044 | ग्रामीण: ₹612)।
  - **समय:** 83.4% **लोग 30 मिनट से कम** समय में काम पर पहुँचते हैं।
- **नीतिगत महत्त्व:** इस डेटा का उपयोग **'PM गति शक्ति योजना'** और सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय एडिटिव विनिर्माण रणनीति (NSAM)

- **नोडल मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**)।
- **तकनीक:** इसे **3D प्रिंटिंग** भी कहते हैं। यह पारंपरिक (काट-छाँट) विधि के विपरीत सामग्री को **परत-दर-परत (layer-by-layer)** जोड़कर उत्पाद बनाती है।



प्रमुख लक्ष्य:

- वैश्विक AM बाज़ार में **5% हिस्सेदारी** हासिल करना।
- GDP में 1 **बिलियन डॉलर** का योगदान जोड़ना।
- **100 नए स्टार्ट-अप्स** और **500 स्वदेशी उत्पाद** विकसित करना।

- **अनुप्रयोग:** एयरोस्पेस, रक्षा, ऑटोमोटिव और अनुकूलित चिकित्सा उपकरण।

भारत का एमएसएमई और विकास कोष

चर्चा में क्यों?



अक्टूबर 2026 तक एमएसएमई पंजीकरण **9.78 करोड़** पार होने पर सरकार ने इन्हें वित्तीय सहायता देने हेतु **'एमएसएमई विकास कोष' (AIF)** गठित किया है।

- **आर्थिक योगदान:** जीडीपी में **31.1%**, विनिर्माण में **35.4%** और कुल निर्यात में **48.5%** योगदान।
- **रोजगार व महिला भागीदारी:** पंजीकृत उद्यमों ने **43.28 करोड़ रोजगार** सृजित किए; इनमें **37.6%** महिलाओं के स्वामित्व में हैं।
- **क्षेत्रक हिस्सेदारी:** सर्वाधिक पंजीकरण व्यापार में (**4.08 करोड़**), फिर सेवा (**3.77 करोड़**) और विनिर्माण (**1.93 करोड़**) में।
- **विकास कोष (AIF):** यह सेबी-पंजीकृत निजी पूल फंड है, जो **टियर-II और टियर-III शहरों** के लघु-मध्यम विनिर्माण इकाइयों को वित्तीय सहायता देता है।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के नियम में बदलाव

चर्चा में क्यों?

आरबीआई (RBI) ने बैंकों के दैनिक CRR रखरखाव (Daily Maintenance) की सीमा को **90% से घटाकर 80%** कर दिया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता प्रबंधन (Liquidity Management) आसान होगा।

- **CRR क्या है?** बैंकों की कुल जमा पूंजी (NDTL) का वह हिस्सा जिसे अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नकद (Cash) रखना पड़ता है। इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता।
- **दैनिक रखरखाव (Daily Maintenance):** पाक्षिक औसत (Fortnightly Average) के तहत बैंकों को अब दैनिक आधार पर न्यूनतम **80% CRR** बनाए रखना होगा (पहले यह 90% था)।
- **प्रभाव:** इससे बैंकों को दैनिक नकदी प्रबंधन में लचीलापन (Flexibility) मिलेगा, अंतर-बैंक कॉल मनी मार्केट (Call Money Market) पर निर्भरता घटेगी और लोन दरों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शेयर बाजार में गिरावट: क्रूड की कीमतें और ब्याज दरें

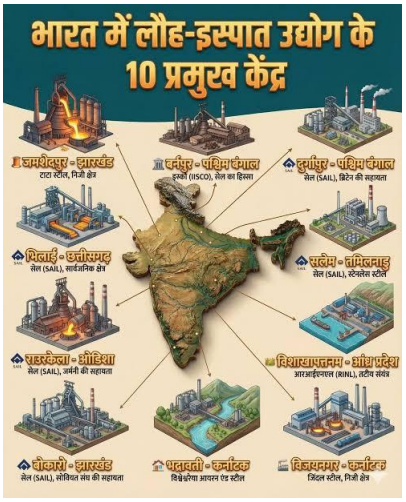
चर्चा में क्यों?



वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, रुपये में गिरावट और **मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में 25 bps की बढ़ोतरी** के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई।

- **बाजार डेटा:** निफ्टी 50 सूचकांक 1.6% गिरकर **22,231.80** पर बंद हुआ (16 महीनों का निचला स्तर), जबकि बीएसई सेंसेक्स 1.4% गिरकर **71,203.24** पर बंद हुआ।
- **गिरावट के मुख्य कारण:**
  1. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी।
  2. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में निरंतर गिरावट।
  3. एमपीसी (MPC) द्वारा ब्याज दरों में **25 बेसिस पॉइंट (bps)** की वृद्धि का बाजार पर असर।

भारत का इस्पात क्षेत्र



चर्चा में क्यों?

भारत बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास के साथ वैश्विक स्तर पर चीन के बाद दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात (Crude Steel) उत्पादक और उपभोक्ता** बना हुआ है।

- **उत्पादन क्षमता व हिस्सेदारी:** भारत की कुल क्षमता **221.9 MTPA** है। वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर **7.9%** (2024) हो गई है।
- **व्यापार व खपत:** सस्ते विदेशी माल के कारण भारत वर्तमान में तैयार स्टील का **शुद्ध आयातक (Net Importer)** है। कुल स्टील का सर्वाधिक **68% निर्माण और इंफ्रा** क्षेत्र में उपयोग होता है।
- **नीतिगत लक्ष्य (NSP 2017):** वर्ष **2030-31 तक 300 मिलियन टन** उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य।
- **प्रमुख पहलें:** स्पेशलिटी स्टील के लिए **PLI योजना** और पूर्वी भारत को स्टील हब बनाने के लिए **'पूर्वोदय' कार्यक्रम**।

57वीं GST काउंसिल बैठक

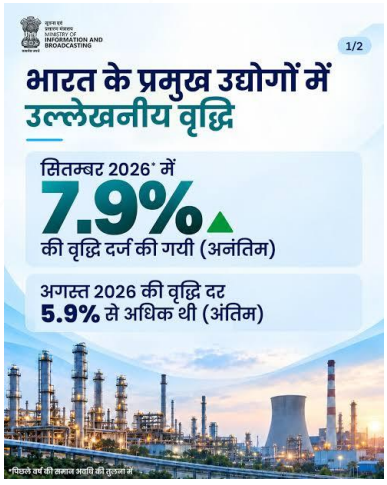
चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 57वीं बैठक में कर दरों में बदलाव के बजाय 'GST 2.0' के तहत प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।



- **अनुपालन सुगमता:** अधिकारियों की **गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने** की सिफारिश और अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर **₹5 करोड़** की गई।
- **जुर्माना व नोटिस:** अधिकतम सामान्य जुर्माना ₹25,000 से घटाकर **₹10,000** किया गया; ₹10,000 से कम के मामलों में 'कारण बताओ नोटिस' (SCN) जारी नहीं होगा।
- **रिफंड सुगमता:** रिफंड आवेदनों को स्वीकार करने की समय सीमा 15 दिनों से घटाकर **10 दिन** की गई।
- **संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 279A** (101वां संशोधन) के तहत गठित। निर्णयों के लिए **3/4 (75%) भारित बहुमत** आवश्यक, जिसमें केंद्र का भार 1/3 और राज्यों का 2/3 है।

कोर औद्योगिक विकास दर: 7.9% के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर



चर्चा में क्यों?

सितंबर 2026 में भारत का कोर औद्योगिक विकास (Index of Core Industries) बढ़कर **7.9% के ऐतिहासिक उच्च स्तर** पर पहुंच गया है, जिसमें कोयला, रिफाइनरी और बिजली क्षेत्रों का मुख्य योगदान रहा।

- **मुख्य चालक (Drivers):** कोयला क्षेत्र में **10.7%**, रिफाइनरी उत्पाद में उछाल के साथ **10.3%** (अगस्त में 5.6% थी) और बिजली क्षेत्र में **11.4%** की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।
- **सीमेंट और स्टील:** निर्माण क्षेत्र से जुड़े सीमेंट में **9.8%** और स्टील क्षेत्र में **4.9%** की सकारात्मक वृद्धि रही।
- **गिरावट वाले क्षेत्र:** इसके विपरीत, कच्चा तेल (**-1.4%**), प्राकृतिक गैस (**-4.6%**) और उर्वरक (**-11.7%**) के क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई।
- **महत्वपूर्ण प्रिलिम्स पॉइंट:** इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज (ICI) भारत के **9 मुख्य बुनियादी उद्योगों** के उत्पादन के संयुक्त सूचकांक को मापता है, जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में कुल **40.27% भारांक (Weightage)** होता है।

Note: लौह अयस्क को **9वें कोर उद्योग** के रूप में जोड़ दिया गया है।

InvITs (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट)

➢ **प्रकृति: म्यूचुअल फंड की तरह** कार्य करने वाला सामूहिक निवेश साधन (Collective Investment Vehicle)।

- **कोर फोकस:** केवल आय उत्पन्न करने वाली **बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों** (सड़क, बिजली ग्रिड आदि) में निवेश।
- **कार्यप्रणाली:** निवेशक 'यूनिट्स' खरीदते हैं; संपत्तियों से प्राप्त राजस्व निवेशकों को **लाभांश (Distributions)** के रूप में मिलता है।
- **ट्रेंड फैक्ट:** भारत में InvITs का कुल AUM बढ़कर **₹7.3 लाख करोड़** (FY27 Q1 तक) हो चुका है।

Note:

✓ **खुदरा भागीदारी:** आम निवेशकों के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु कम प्रवेश बाधा (Lower Entry Barriers)।

✓ **एसेट मोनेटाइजेशन:** डेवलपर्स को पूरी हो चुकी परियोजनाओं से पूंजी खाली करने (Monetization) में मददगार।

खनिज विनिमय (Mineral Exchange)

- **लॉन्च व स्वरूप: वित्त वर्ष 2027-28 तक** शुरू होने वाला यह शेयर बाजार की तरह एक ऑनलाइन, फिजिकल डिलीवरी-बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा।
- **खनिज:** शुरुआती चरण में लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, मैंगनीज और क्रोमाइट का व्यापार होगा।
- **नियम व नियामक:** खनिज विनिमय नियम 2026 के तहत इसका विनियमन **भारतीय खान ब्यूरो (IBM)** करेगा।
- **योग्यता:** न्यूनतम ₹50 करोड़ नेटवर्थ जरूरी है। इसमें PTC India और MCX रेस में शामिल हैं।
- **लाभ:** इससे पूरे देश में खनिजों की पारदर्शी और एकसमान कीमतें तय होंगी।

भारत ने गरीबी कम करने में 'उल्लेखनीय प्रगति' की, विश्व बैंक

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 49.6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर ऐतिहासिक प्रगति की है।

मुख्य निष्कर्ष

- **अत्यधिक गरीबी में गिरावट:** $3/दिन पर अत्यधिक गरीबी 27.1% से घटकर **2.6%** हुई।
- **49.6 करोड़ लोग बाहर:** $4.2/दिन की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 57.7% से घटकर **16.1%** रही।
- **बहुआयामी गरीबी (MPI):** वर्ष 2022-23 में घटकर **15.5%** पर आई।

असमानता व भौगोलिक स्थिति

- **वेतन अंतर:** शीर्ष 10% श्रमिकों की कमाई निचले 10% से **13 गुना अधिक**।
- **संकेंद्रण:** उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल बेल्ट में कुल गरीब आबादी का **57%** हिस्सा।

रोजगार व युवा बेरोजगारी

- **रोजगार वृद्धि:** 2017-2023 के बीच **13.4 करोड़** नए रोजगार मिले।
- **बेरोजगारी:** युवाओं में यह दर 14.6% से बढ़कर **15.9%** हुई।

भारत सरकार ने 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' का गठन किया

चर्चा में क्यों?

सरकार ने **बजट 2026-27** के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा और इसे 'विकसित भारत, 2047' के अनुकूल बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है।



समिति की संरचना

- **अध्यक्ष:** श्री सुरेश एन. पटेल (पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त)।
- **सदस्य:** श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, श्रीमती पद्मजा चुंडुरू और श्री एन. एस. विश्वनाथन।
- **कार्यकाल:** छह महीने।

समिति के कार्यक्षेत्र

- **वैश्विक मानक:** बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
- **नियामक ढांचा:** मौजूदा कानूनी ढांचे और ग्रामीण/सहकारी बैंकों की समीक्षा।
- **पूंजी व तकनीक:** दीर्घकालिक पूंजी का आकलन और बैंकिंग में एआई (AI)/डिजिटल रोडमैप तैयार करना।
- **ऋण ढांचा:** प्राथमिक क्षेत्र ऋण (PSL) की समीक्षा।

विज्ञान और तकनीक से जुड़े समसामयिक मामले (Science and tech current affairs)

जेनोकॉर्टिकेशन (Xenocortication)

Xenocortication का अर्थ क्या है?

- किसी जीवित जानवर (जैसे चूहे) के मस्तिष्क के भीतर इंसानी ब्रेन टिश्यू को विकसित करने की क्रॉस-प्रजाति प्रक्रिया, **स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित उन्नत न्यूरोसाइंस तकनीक**।
- **शब्द संरचना:** Xeno (अलग प्रजाति) + Cortication (मस्तिष्क का बाहरी हिस्सा)।

यह कैसे काम करता है?

- **जेनेटिक मॉडिफिकेशन:** चूहे के कॉर्टेक्स को हटाकर खाली करना।
- **प्रत्यारोपण:** स्टेम सेल्स से विकसित इंसानी ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स को चूहे के मस्तिष्क में लगाना।
- **एकीकरण:** इंसानी न्यूरॉन्स का चूहे के तंत्रिका तंत्र से जुड़कर सक्रिय होना।

इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है?

- **बीमारियों का अध्ययन:** अल्जाइमर, ऑटिज्म और सिज़ोफ्रेनिया पर शोध।
- **दवा परीक्षण:** नई दवाओं और थेरेपी का इंसानी ब्रेन सेल्स पर परीक्षण।

भारत का सुपरकंप्यूटिंग परितंत्र (Supercomputing Ecosystem)

चर्चा में क्यों?

भारत ने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत **68 पेटाफ्लॉप्स (PF)** की कुल क्षमता के साथ 40 सुपरकंप्यूटर स्थापित कर विज्ञान, अनुसंधान और स्वदेशी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हासिल की है।

मुख्य बिंदु और उपलब्धियाँ

- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM):** अप्रैल 2015 में **₹4,500 करोड़** के परिव्यय के साथ शुरू। इसे DST और MeitY द्वारा संचालित तथा C-DAC (पुणे) एवं IISc (बेंगलुरु) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **ऐतिहासिक और आधुनिक प्रणाली: PARAM 8000 (1991)** भारत का पहला स्वदेशी सुपरकंप्यूटर था। वर्तमान में **PARAM RUDRA** स्वदेशी सर्वर पर तथा **PARAM SHAVAK** शैक्षणिक संस्थानों के लिए 'सुपरकंप्यूटिंग-इन-ए-बॉक्स' के रूप में कार्यरत है।

एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य मंत्रालय की यह डिजिटल पहल संक्रामक बीमारियों की रियल-टाइम निगरानी और महामारियों की शुरुआती रोकथाम के लिए चर्चा में है।

परिचय एवं पृष्ठभूमि

- **पूर्ण रूप:** IDSP (एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम) और IHIP (एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच)।
- **इतिहास:** 2004 में IDSP शुरू हुआ; कागजी देरी मिटाने के लिए **2021 में डिजिटल IHIP** आया।

प्रमुख विशेषताएँ

- **डेटा व जियो-टैगिंग:** मोबाइल ऐप से रियल-टाइम डेटा प्रविष्टि और सटीक भौगोलिक मैपिंग।
- **निगरानी:** हर मरीज के आधार पर **33 से अधिक संक्रामक रोगों** की केस-बेस्ड ट्रैकिंग।

कार्यप्रणाली व महत्व

- **डेटा फॉर्मेट:** लक्षणों के लिए P-फॉर्म, लैब पुष्टि हेतु L-फॉर्म और सामुदायिक लक्षणों हेतु S-फॉर्म।
- **महत्व: पूर्व चेतावनी प्रणाली** के रूप में काम कर रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) द्वारा त्वरित कार्रवाई।

'सूर्या' (FSS-1 / Fleet Support Ship-1) - भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप

चर्चा में क्यों?

इसे 6 अक्टूबर 2026 को विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) में लॉन्च किया गया है।

मुख्य बिंदु

- **प्रकार व वजन:** यह एक फ्लीट सपोर्ट शिप (FSS) है, जिसका विस्थापन/वजन लगभग **43,500 टन** है।
- **निर्माणकर्ता:** हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापत्तनम।

मुख्य कार्य व रणनीतिक महत्व

- **समुद्र में पुनः आपूर्ति:** समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को ईंधन, हथियार, गोला-बारूद, भोजन और पानी (Replenishment at sea) प्रदान करना।
- **रणनीतिक महत्व:** इसके जरिए नौसेना के जहाजों को बार-बार बंदरगाह (Port) पर वापस नहीं आना पड़ेगा।

टिनटाइप फोटोग्राफी (Tintype Photography / Ferrotype)

चर्चा में क्यों?

डिजिटल और एआई-जनरेटेड फोटो के दौर में, प्रामाणिकता (Authenticity) और सोशल मीडिया (जैसे NFL/Buffalo Bills मीडिया इवेंट्स) पर एथलीटों के विंटेज पोर्ट्रेट्स के वायरल होने के कारण यह 170 साल पुरानी तकनीक फिर से ट्रेंड में है।

Tintype क्या है और इसकी प्रक्रिया?

- **तकनीक:** यह 19वीं सदी (1850 के दशक) की पारंपरिक फोटोग्राफी है, जिसमें फोटो कागज के बजाय लोहे या एल्युमिनियम की पतली धातु की प्लेट पर ली जाती है।
- **प्रक्रिया:** धातु की प्लेट पर प्रकाश-संवेदनशील रसायनों (Collodion और Silver Nitrate) का लेप लगाकर उसे गीली अवस्था में ही कैमरे में एक्सपोज़ और डेवलप किया जाता है।

भारत में कुष्ठ रोग (Leprosy) की स्थिति, लक्ष्य और WHO का दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

वैश्विक स्तर पर कुष्ठ रोग के **50% से अधिक नए मामले** भारत में दर्ज होने के कारण इसके उन्मूलन प्रयासों की समीक्षा चर्चा में है।

भारत में स्थिति और लक्ष्य

- **स्थिति:** 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त घोषित होने के बावजूद देश में सालाना **70,000 से 1,00,000 नए मामले** सामने आ रहे हैं।
- **लक्ष्य (2027 तक):** कुष्ठ रोग के नए मामलों के प्रसार को रोककर **शून्य संचरण (Zero Transmission)** हासिल करना और बच्चों में विकलांगता दर शून्य पर लाना।

WHO का दृष्टिकोण व सिफारिशें

- **सक्रिय जांच:** छिपे मामलों को समय पर पकड़ने के लिए एक्टिव केस डिटेक्शन और रोगियों के संपर्कों की पहचान तेज करना।
- **मुफ्त इलाज:** ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक मुफ्त **मल्टी-ड्रग थेरेपी (MDT)** की पहुंच सुनिश्चित करना।

शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड दवाएं (विनियमन और नियंत्रण)

1. **शेड्यूल्ड मेडिसिन:** ये वे दवाएं हैं जो सरकार द्वारा **आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM)** में शामिल होती हैं और मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं।
   - सरकार द्वारा तय अधिकतम खुदरा कीमत से अधिक पर कंपनियां इन्हें नहीं बेच सकतीं।
   - इनमें अल्सर, कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग की आवश्यक दवाएं तथा एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। इनके लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य होता है।
2. **नॉन-शेड्यूल्ड मेडिसिन:** ये दवाएं NLEM सूची में शामिल नहीं होती हैं। निर्माता कंपनियां इनकी कीमत खुद तय करती हैं, लेकिन वे सालाना **10% से अधिक** मूल्य वृद्धि नहीं कर सकतीं।
3. **मूल्य नियंत्रण और विनियमन:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय NLEM सूची तैयार करता है।

- **NPPA (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण):** यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) के माध्यम से शेड्यूल्ड दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है तथा नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं की मूल्य वृद्धि (अधिकतम 10%) की निगरानी करता है।

सर्वावैक (Cervavac) - भारत की पहली स्वदेशी qHPV वैक्सीन

- गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम हेतु भारत का पहला स्वदेशी टीका।
- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और BIRAC के सहयोग से।
  - **सुरक्षा दायरा:** यह विभिन्न एचपीवी (HPV) वेरिएंट्स और संबंधित संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है।
  - **लागत:** विदेशी टीकों की तुलना में अत्यधिक किफायती और सुलभ।

लक्षित आयु व दिशा-निर्देश

- **आयु वर्ग:** मुख्य रूप से युवा महिलाओं और बालिकाओं के लिए लक्षित।
- **खुराक संबंधी जानकारी:** सटीक टीकाकरण अनुसूची और खुराकों की संख्या के लिए स्वास्थ्य पेशेवर या चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है।
- **रोकथाम:** सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है। स्वदेशी होने से इसे टीकाकरण कार्यक्रमों में शामिल करने में मदद मिलेगी।

मेजरना फर्मियान (Majorana Fermion)

चर्चा में क्यों?

माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और अन्य शोध संस्थान **"Majorana 1"** नाम से टोपोलॉजिकल क्वासिपार्टिकल्स (quasiparticles) विकसित करने पर काम कर रहे हैं।

मुख्य तथ्य

- **परिभाषा:** मेजरना फर्मियान एक ऐसा प्राथमिक कण है जो स्वयं का ही प्रति-कण होता है।
- **विकासकर्ता:** इसे **माइक्रोसॉफ्ट और अन्य शोध संस्थानों** द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विकसित किया जा रहा है।
- **महत्व:** इसका उपयोग पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में अधिक स्थिर और त्रुटि-रहित (error-resistant) क्वांटम कंप्यूटर बनाने में किया जाएगा।

अंतरिक्ष विज्ञान: नासा का पफिंस (PUFFINS) मिशन

चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु की खगोलशास्त्री **डॉ. राम्या अंचे** करेंगी नासा के 20 मिलियन डॉलर वाले 'पफिंस' (PUFFINS) स्पेस टेलीस्कोप मिशन का गौरवपूर्ण नेतृत्व।

मिशन के मुख्य बिंदु

- **मिशन का स्वरूप:** यह नासा के 'एस्ट्रोफिजिक्स पायनियर्स प्रोग्राम' के अंतर्गत चुना गया एक अनूठा छोटा उपग्रह (SmallSat) अभियान है।
- **लॉन्च का लक्ष्य:** इस अत्याधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण को **वर्ष 2030** तक कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **वैज्ञानिक कार्यप्रणाली:** यह मिशन 10-इंच के टेलीस्कोप की मदद से लगभग 70 सुदूर तारों से उत्सर्जित होने वाले **पराबैंगनी प्रकाश (UV Light)** का बारीकी से अध्ययन करेगा।
- **अनुसंधान का उद्देश्य:** इसके जरिए अंतरिक्ष में तैरते **अंतर-तारकीय धूल के कणों (Interstellar Dust)** की संरचना को समझा जाएगा, जो ब्रह्मांड में नए तारों और ग्रहों के जन्म के आधार होते हैं।
- **डॉ. राम्या अंचे:** भारतीय ताराभौतिकी संस्थान (IIA) से जुड़ी रहीं और वर्तमान में एरिजोना विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ. राम्या इस मिशन की मुख्य अन्वेषक (Principal Investigator) के रूप में कमान संभालेंगी।

बायोफोर्टिफाइड बैंगनी आलू 'कुफरी जामुनिया'

चर्चा में क्यों?

ICAR-CPRI ने छिपी हुई भूख (माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी) को मिटाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर बायोफोर्टिफाइड बैंगनी आलू की किस्म **'कुफरी जामुनिया' (2024)** विकसित की है।

मुख्य तथ्य:

- **पोषक तत्व:** इसमें सामान्य आलू की तुलना में **विटामिन सी (42.75 mg), जिंक (2.28 mg) और आयरन (3.22 mg)** प्रति 100 ग्राम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है।
- **पिगमेंट:** इसका गहरा बैंगनी रंग **एंथ्रोसायनिन** और कैरोटीनॉयड जैसे एंटीऑक्सीडेंट के कारण है।
- **विशेषताएं:** यह 90 दिनों में **32-35 टन/हेक्टेयर** औसत उपज देती है। इसकी डोरमेंसी (सुप्तावस्था) 6-8 सप्ताह की है, जिससे यह जल्दी अंकुरित नहीं होती।
- **उपयोग व कृषि:** यह उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग पारंपरिक व्यंजनों और प्रसंस्कृत उत्पादों (आटा, कुकीज) में किया जा सकता है।

सॉलिटरी आइसोलेटेड लिंफॉइड टिश्यू (SILT)

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी जर्नल **PNAS** (प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज) में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने आंतों के संक्रमण से लड़ने में SILT के भीतर **RelB** और **Notch2** प्रोटीन के आपसी तालमेल की महत्वपूर्ण भूमिका का खुलासा किया है।

मुख्य तथ्य:

- SILT आंतों की परतों में फैले हुए अत्यंत सूक्ष्म और बिखरे हुए **इम्यून सेल्स (प्रतिरक्षा कोशिकाओं) के समूह** होते हैं।
- यह भोजन के साथ शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करने के लिए **एंटीबॉडीज (विशेषकर IgA)** बनाने में मदद करता है।
- **प्लास्टिसिटी:** इन ऊतकों में आंतों के पर्यावरण के अनुसार अपना आकार और कार्य बदलने की अद्भुत क्षमता होती है।

सैटेलाइट रेडिएशन और खगोलीय बाधा

चर्चा में क्यों?

SNIFFLES (सैटेलाइट विकिरण निगरानी कार्यक्रम) के हालिया अध्ययन के अनुसार, पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में मौजूद संचार उपग्रहों (जैसे Starlink, OneWeb, Guowang) से निकलने वाला रेडियो विकिरण खगोलीय दूरबीनों (Radio Telescopes) के संचालन में गंभीर बाधा उत्पन्न कर रहा है।

मुख्य तथ्य

- **रेडिएशन के प्रकार:** उपग्रहों से तीन प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं—
  - **इच्छित (Intended):** मुख्य संचार सिग्नल (जैसे डायरेक्ट-टू-सेल)।
  - **अवांछित (Unwanted):** ट्रांसमीटरों से निकलने वाले अतिरिक्त सिग्नल (Harmonics)।
  - **अनपेक्षित (Unintended):** आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर कन्वर्टर्स से होने वाला लीकेज।
- **प्रमुख चिंताएं:** स्टारलिंक उपग्रहों के एक संस्करण के **77% अवलोकन** अवांछित विकिरण से प्रभावित पाए गए हैं। कुछ उपग्रह सिग्नल प्राकृतिक खगोलीय स्रोतों की तुलना में **100 अरब गुना अधिक तीव्र** हैं, जो टेलीस्कोप के संवेदनशील डेटा को दूषित कर रहे हैं (जैसे OneWeb के सिग्नल अंतरिक्ष में हाइड्रॉक्सिल आयनों के अध्ययन को बाधित करते हैं)।
- **निगरानी तकनीक:** SNIFFLES कार्यक्रम के तहत उपग्रह समूहों को ट्रैक करने के लिए **मोप्रा रेडियो टेलीस्कोप (Mopra Radio Telescope)** और **ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप कॉम्पैक्ट एरे** का उपयोग किया गया है।

आदित्य-L1 की नई सफलता

चर्चा में क्यों?

भारत के पहले सौर मिशन 'आदित्य-L1' पर लगे **VELC (विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ)** पेलोड के डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने सौर कोरोना (सूर्य के बाहरी वायुमंडल) की पहली **डॉप्लर वेग छवियां (Doppler velocity images)** तैयार की हैं।

मुख्य तथ्य

- **डॉप्लर प्रभाव का अनुप्रयोग:** ये अद्वितीय छवियां प्रकाश तरंगों पर डॉप्लर प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग करके बनाई गई हैं, जो सूर्य से दूर या पास जा रहे सौर प्लाज्मा की दिशा और गति को दर्शाती हैं।
- **CMEs की सटीक दिशा:** इन छवियों की मदद से सूर्य से निकलने वाले **कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs)** यानी शक्तिशाली सौर तूफानों और प्लाज्मा बादलों के पृथ्वी की तरफ या अन्य दिशाओं में बढ़ने की सटीक गति का पता चल सकेगा।
- **VELC की विशिष्टता:** वर्तमान में वैश्विक स्तर पर केवल भारतीय पेलोड VELC के पास ही **दृश्य तरंगदैर्ध्य सीमा (Visible wavelength range)** में इस तरह की अनूठी उच्च-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें उत्पन्न करने की क्षमता है।

जंतुओं में संक्रामक कैंसर

चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिकों ने **ब्राउन बुलहेड कैटफिश** में मीठे पानी की मछली के पहले संक्रामक या संचरणीय कैंसर (Transmissible Cancer) की खोज की है।

मुख्य तथ्य

- **मामला:** अमेरिका-कनाडा सीमा पर स्थित मेमफ्रेमागॉग झील की लगभग 30% कैटफिश घातक त्वचा कैंसर (**मेलेनोमा**) से पीड़ित हैं।
- **विशिष्टता:** आमतौर पर कैंसर शरीर के भीतर पनपता है, लेकिन इसमें जीवित ट्यूमर कोशिकाएं परजीवी की तरह एक से दूसरे जीव में फैलती हैं।
- **प्रमाण:** डीएनए विश्लेषण से पुष्टि हुई है कि ट्यूमर कोशिकाएं आपस में क्लोन हैं, जिनका आनुवंशिक संबंध सुदूर मूल की मछली से है।
- **महत्व:** कैटफिश का इम्यून सिस्टम इन बाहरी कोशिकाओं को अस्वीकार (Reject) नहीं करता। यह खोज मानव **अंग प्रत्यारोपण** में रिजेक्शन रोकने की तकनीक विकसित करने में सहायक हो सकती है।

एसबीआई डेटा लीक मामला

चर्चा में क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के लगभग **3,897 ग्राहकों** की संवेदनशील और व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII) डार्क वेब (Dark Web) पर लीक हो गई है।

मुख्य तथ्य

- **प्रभावित डेटा:** लीक हुई जानकारी में ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नाम, लिंग, ईमेल पते, आवासीय पते, शाखा और सीआईएफ (CIF) विवरण तथा ऋण/ब्याज रिकॉर्ड का मेटाडेटा शामिल हैं।
- **संस्थाएं:** इस संदिग्ध उल्लंघन की जानकारी रक्षा साइबर एजेंसी (Defence Cyber Agency) और **सीईआरटी-इन (CERT-In)** जैसी खुफिया सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी गई थी।
- **सुरक्षा उपाय:** बैंक ने सेबी (SEBI) के मानदंडों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है और साइबर घटना प्रतिक्रिया तथा रोकथाम प्रोटोकॉल को तुरंत सक्रिय कर दिया है।
- **महत्व:** यह घटना बैंकिंग प्रणालियों में डिजिटल सुरक्षा, ग्राहकों की वित्तीय डेटा गोपनीयता और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) की साइबर सुरक्षा सुदृढ़ करने की तात्कालिकता को दर्शाती है।

केमिकल सिग्नेचर (रासायनिक हस्ताक्षर)

चर्चा में क्यों?

चिकित्सा के क्षेत्र में बीमारियों की शुरुआती पहचान, सटीक जांच और व्यक्तिगत उपचार (Personalized Medicine) के लिए इसका व्यापक उपयोग हो रहा है।

मुख्य तथ्य

- **अवधारणा:** यह रसायनों का एक अनूठा संयोजन है, जो 'रासायनिक फिंगरप्रिंट' की तरह विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करता है।

- **अनुप्रयोग:** कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों में शरीर के बायो-मार्केट्स (Bio-markers) के बदलाव को पकड़कर शुरुआती पहचान करता है।
- **श्वास विश्लेषण:** फेफड़ों के कैंसर या टीबी में श्वास के 'वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स' (VOCs) का सिग्नेचर बदल जाता है।
- **सटीक उपचार:** मरीज के रक्त या ऊतक (Tissue) विश्लेषण से व्यक्तिगत और सबसे प्रभावी दवा तय की जाती है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा: शमोंडा वायरस

चर्चा में क्यों?

फ्रांस में शमोंडा वायरस से दुनिया की पहली मानव मृत्यु दर्ज की गई है, जो पहले केवल मवेशियों को संक्रमित करता था।

मुख्य तथ्य

- **वर्गीकरण:** यह Peribunyaviridae परिवार के Orthobunyavirus जीनस का एक **वेक्टर-जनित वायरस** है।
- **संचरण व स्रोत:** यह संक्रमित **क्युलीकोइड्स मिज (छोटी मक्खियों)** के काटने से फैलता है। मानव-से-मानव या पशु-से-मानव सीधे संचरण का प्रमाण नहीं है।
- **मवेशियों पर प्रभाव:** यह भेड़, बकरी, घोड़ों में बुखार, दूध की कमी और गर्भपात/जन्मजात विकृतियां पैदा करता है।
- **रोकथाम:** इसकी कोई विशिष्ट वैक्सीन नहीं है; केवल कीट-नियंत्रण ही उपाय है। आम जनता के लिए जोखिम कम है।

इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC) 2026

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में तीन दिवसीय **ESTIC 2026** का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 13 सरकारी मंत्रालयों के सहयोग से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा किया गया।

मुख्य तथ्य

- **थीम:** "Creative Minds, Catalysing Science, Empowering Technologies"। इसका लक्ष्य 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण को मजबूत करना है।
- **प्रमुख क्षेत्र:** इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैटेरियल्स और ओशन साइंसेज सहित 12 विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा की गई।
- **नोबेल पुरस्कार विजेता:** इसमें तीन नोबेल विजेताओं— जोआचिम फ्रैंक (क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी), रिचर्ड जे. रॉबर्ट्स (स्प्लिट जीन्स) और कोस्ट्या नोवोसेलोव (ग्राफीन) ने भाग लिया।
- **प्रदर्शनी:** लगभग 150 डीप-टेक स्टार्टअप स्टॉल शामिल हुए। इसरो (ISRO) ने इसमें अपने आगामी **चंद्रयान-4** (लूनर सैंपल-रिटर्न) और **चंद्रयान-5** (भारत-जापान लुपेक्स मिशन) जैसी उभरती तकनीकों को प्रदर्शित किया।

GSLV-F18 और NVS-03 प्रक्षेपण

चर्चा में क्यों?

इसरो (ISRO) ने **GSLV-F18** के माध्यम से अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह **NVS-03** को सफलतापूर्वक भू-समकालिक कक्षा में स्थापित किया।

मुख्य तथ्य

- **NavIC बहाली:** 2,250 किग्रा का यह उपग्रह **NavIC** (क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली) की खराब घड़ियों को बदलकर उसे पुनर्जीवित करेगा।
- **स्वदेशी परमाणु घड़ी:** इसमें अत्यंत सटीक समय मापन हेतु भारत-निर्मित **स्वदेशी परमाणु घड़ी** लगाई गई है।
- **L1 सिग्नल:** मौजूदा L5/S बैंड के अलावा नया **L1 सिग्नल** जोड़ा गया है, जो वैश्विक प्रणालियों (GPS) के साथ अनुकूलता बढ़ाएगा।
- **रेंज व जीवनकाल:** **12 वर्ष** की मिशन अवधि वाला यह उपग्रह भारत और उसके आसपास **1500 किमी** तक सेवा देगा।

रक्षा एवं सुरक्षा (Defense and Security)

ऑपरेशन दृष्टि (Operation Drishti)

चर्चा में क्यों?

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) ने **सितंबर 2026** में 'ऑपरेशन दृष्टि' के तहत कश्मीर घाटी में दो बड़े विशाल नेत्र शल्य चिकित्सा शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसके माध्यम से दूर-दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के 364 लोगों की दृष्टि बहाल करने वाली नेत्र सर्जरी की गई।

मुख्य बिंदु:

- **आयोजन संस्था:** सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (Armed Forces Medical Services)
- **नेतृत्व:** सैन्य अस्पताल के शल्य चिकित्सा दल ने ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में यह सर्जरी पूरी की।
- **लक्षित क्षेत्र व स्क्रीनिंग:** कश्मीर घाटी के दूर-दराज और नियंत्रण रेखा (LoC) के पास स्थित सीमावर्ती इलाकों में 18 स्क्रीनिंग शिविर आयोजित कर करीब 6,000 लोगों की आँखों की जाँच की गई।
- **उपचार का दायरा:** मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, टेरिजियम और रेटिना से संबंधित जटिल सर्जरी शामिल थीं। इसमें 'ग्लू आईओएल प्रत्यारोपण' और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी विशेष प्रक्रियाएं भी की गईं।

युद्धपोत 'मंगरोल' नौसेना के बेड़े में शामिल

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर 2026 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि द्वारा निर्मित तीसरा स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शैलो वॉटर क्राफ्ट **'मंगरोल'** नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया।

- **समारोह की अध्यक्षता:** पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, **वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन** द्वारा की गई।
- **नामकरण का इतिहास:** इस पोत का नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक तटीय शहर और प्रमुख मछली पकड़ने के बंदरगाह **'मंगरोल'** के नाम पर रखा गया है। यह पूर्ववर्ती 'आईएनएस मंगरोल (एम 85)' की विरासत को आगे बढ़ाता है, जो एक सुरंगरोधी पोत था और जिसने 7 अप्रैल 2004 तक नौसेना में सेवा दी थी।
- **स्वदेशी क्षमता:** यह युद्धपोत **80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री** से बना है, जो भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में बढ़ते घरेलू कौशल और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है।

Result Mitra

आईएनएस समर्थक

चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना द्वारा अपनी श्रेणी के पहले **मल्टी-पर्पस वेसल आईएनएस समर्थक** का सफलतापूर्वक जलावतरण किया गया है।

- **निर्माता व डिजाइन:** इसे निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी **L&T शिपयार्ड** द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है।
- **प्रकार:** यह अपनी क्लास का **पहला** मल्टी-पर्पस वेसल है, जो नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बहुआयामी बनाएगा।
- **मुख्य भूमिका:** एक मल्टी-पर्पस वेसल के रूप में यह जहाजों को खींचने, समुद्री परीक्षणों के लिए लक्ष्य लॉन्च करने, तटीय सुरक्षा की निगरानी, हवाई रक्षा के लिए प्रशिक्षण और संकट के समय मानवीय सहायता व आपदा राहत जैसे विविध ऑपरेशनों को अंजाम देने में सक्षम है।

आईएनएस त्रिशूल अभ्यास कोंकण-2026 में शामिल

चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना का मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत **आईएनएस त्रिशूल** रॉयल नेवी (ब्रिटेन) के साथ वार्षिक समुद्री अभ्यास **'कोंकण-2026'** में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के प्लाईमाउथ पहुंचा।

अभ्यास के प्रमुख चरण

- **बंदरगाह चरण:** पेशेवर संवाद, एक-दूसरे के जहाजों का दौरा, खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और युद्धपोत का प्रदर्शन।
- **समुद्री चरण:** दोनों देशों के जहाजों के बीच वायु, सतह और पानी के नीचे जटिल सैन्य परिचालन अभ्यास।

आईएनएस सह्याद्रि अभ्यास इंद्र-2026 में शामिल

चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना का युद्धपोत **आईएनएस सह्याद्रि** रूस के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास **'इंद्र-2026'** में भाग लेने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक (बंदरगाह पहुंचा।

प्रमुख चरण व गतिविधियां:

- **अवधि व संचालन:** यह अभ्यास भारतीय नौसेना और रूसी संघ की नौसेना के बीच **13 से 18 अक्टूबर 2026** तक आयोजित किया गया।
- **रणनीतिक महत्व:** आईएनएस सह्याद्रि की यह भागीदारी भारत सरकार के **'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region)** दृष्टिकोण के अनुरूप है।

लोकायन 2026: आईएनएस सुदर्शिनी ओमान के सलालाह से रवाना

चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना का तीन मस्तूलों वाला पाल प्रशिक्षण पोत **आईएनएस सुदर्शिनी** अपनी ऐतिहासिक महासागरीय तैनाती **'लोकायन-2026'** के तहत ओमान के सलालाह बंदरगाह की यात्रा पूरी कर आगे की यात्रा के लिए रवाना हुआ।

- **दौरा अवधि:** यह पोत **14-17 अक्टूबर 2026** के दौरान ओमान के सलालाह में रुका था।
- **मुख्य उद्देश्य:** इस ऐतिहासिक तैनाती का उद्देश्य भारतीय नौसेना की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना तथा नौसैनिक प्रशिक्षुओं में पेशेवर नाविक कौशल, दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता विकसित करना है।

लोकायन 2026 के बारे में

- **क्या है?** भारतीय नौसेना का **10 महीने लंबा वैश्विक समुद्री अभियान** (जनवरी से नवंबर 2026)
- **कौन सा जहाज शामिल है?** स्वदेशी नौकायन प्रशिक्षण पोत **आईएनएस सुदर्शिनी**
- **कहाँ से शुरू हुआ?** नौसेना कमान, **कोच्चि** से.
- **मुख्य आकर्षण:** यह यात्रा 22,000 समुद्री मील से अधिक दूरी तय कर अमेरिका के 'समारोह 250' सहित दुनिया के 17-18 प्रमुख बंदरगाहों तक पहुँची।

सिम्बेक्स-2026 (SIMBEX)

- **क्या है?** भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं का **33वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास**।
- **कब और कहाँ?** **21-26 अक्टूबर 2026** तक विशाखापत्तनम (बंदरगाह) और बंगाल की खाड़ी (समुद्र) में।
- **भारतीय प्रतिभागी:** स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट **INS नीलगिरि** और एंटी-सबमरीन पोत **INS कमोर्टा**।
- **रणनीतिक महत्व:** यह भारत की **'SAGAR' पहल** और **'Act East Policy'** का प्रमुख हिस्सा है।
- **अन्य अभ्यास:** **SITMEX** (भारत-सिंगापुर-थाईलैंड नौसेना) और **SINDEX** (थल सेना)।

सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना

चर्चा में क्यों?

सितंबर 2024 में शुरू की गई 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट' (PM E-DRIVE) योजना की कार्यान्वयन अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है।

योजना का अवलोकन एवं वित्तीय संरचना:

- **पूर्ण नाम:** PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE)
- **कुल परिव्यय:** ₹11,900 करोड़ (अखिल भारतीय स्तर पर लागू)

- **मुख्य उद्देश्य:** इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना और घरेलू EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।

श्रेणी-वार प्रोत्साहन एवं आवंटन:

- **इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स:** ₹2,500/kWh का प्रोत्साहन (अधिकतम ₹5,000 प्रति वाहन)। यह ₹1.5 लाख से कम एक्स-फैक्ट्री कीमत वाले पंजीकृत वाहनों पर लागू है।
- **इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स:** L5 श्रेणी का लक्ष्य प्राप्त होने पर यह सेगमेंट 26 दिसंबर 2025 को बंद कर दिया गया, जबकि ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए सहायता मार्च 2028 तक जारी रहेगी।
- **इलेक्ट्रिक बसें (e-Buses):** ₹4,391 करोड़ के आवंटन से 14,028 ई-बसों की तैनाती का लक्ष्य है। इनमें से 13,800 ई-बसों को 7 प्रमुख शहरों (दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत) के लिए आवंटित किया गया है।
- **सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन:** चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए ₹2,000 करोड़ चिह्नित किए गए हैं।
- **परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन:** वाहन परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए ₹780 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

प्रमुख उपलब्धियां:

- योजना के तहत लगभग 28.30 लाख EVs को प्रोत्साहन देने का समर्थन है, जिसमें से जून 2026 तक 26.59 लाख EVs बेचे जा चुके हैं।
- 3 तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और 10 राज्यों में 8,147 चार्जर्स की तैनाती के लिए ₹851 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं।

गोवर्धन योजना

चर्चा में क्यों?

अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **गोवर्धन योजना** को मंजूरी दी है। इसके तहत योजना का बजट बढ़ाकर **₹23,731 करोड़** (10 वर्षों के लिए) कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के उत्पादन को **10 गुना बढ़ाना** है।

योजना के मुख्य बिंदु:

- **पूरा नाम:** गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources dhan)
- **मूल शुरुआत:** अप्रैल 2018 में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा।
- **नोडल मंत्रालय (2026):** अब **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय** इसका नोडल मंत्रालय है (कृषि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, और पशुपालन विभाग इसके प्रमुख साझेदार हैं)।
- **मूल उद्देश्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे को बायो-सीएनजी (CBG) तथा जैविक खाद में बदलना, ताकि ग्रामीण स्वच्छता बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि हो।
- **अनुमानित लाभ:**
  - ₹40,000 करोड़ से अधिक की ईंधन आयात बचत।
  - GDP में ₹75,000 करोड़ से अधिक का योगदान।
  - 1.5 लाख से अधिक नए रोजगारों का सृजन।
  - सालाना 40 मिलियन टन से अधिक CO_2 उत्सर्जन में कमी।
- **प्रमुख प्रोत्साहन:**
  - **सुनिश्चित खरीद:** उत्पादकों से 100% तक बायोगैस खरीद की गारंटी।
  - **स्थिर मूल्य निर्धारण:** 10 वर्षों के लिए ₹2,110 प्रति MMBtu (लगभग ₹98/किग्रा) का नियंत्रित मूल्य।
  - **वित्तीय सहायता:** नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को क्षमता के आधार पर ₹2 करोड़ प्रति टन प्रतिदिन (TPD) तक की पूंजीगत सहायता (अधिकतम ₹30 करोड़)। पुरानी प्रणालियों के अपग्रेडेशन के लिए अधिकतम ₹5 करोड़।
  - **अनिवार्य सम्मिश्रण:** शहरी गैस वितरण कंपनियों के लिए बायोगैस का सम्मिश्रण अनिवार्य (वर्ष 2026-27 में 3% से शुरू होकर 2028-29 से 5% तक)।

WOMN योजना (केरल सरकार)

चर्चा में क्यों?

केरल सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग यात्रा के दौरान महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता को आसान बनाने के लिए बस स्टैंडों पर सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और इंसिनेरेटर (निपटान मशीनें) स्थापित करने की **'WOMN** योजना शुरू करने जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- **पूरा नाम: WOMN -** Women on the Move & Menstrual Needs
- **विभाग व सहयोगी:** केरल सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग और **हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (HHL)** मिलकर इसे लागू कर रहे हैं।
- **सस्ते नैपकिन:** सार्वजनिक स्थानों पर वेंडिंग मशीनें लगेंगी, जहाँ मात्र **₹10 में 3 सेनेटरी नैपकिन** का एक पैकेट मिलेगा।
- **पर्यावरण-अनुकूल निपटान:** इस्तेमाल किए गए नैपकिन को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से नष्ट करने के लिए वेंडिंग मशीनों के साथ ही इंसिनेरेटर भी लगाए जाएंगे।
- **पायलट चरण:** शुरुआती दौर में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के **14 प्रमुख बस टर्मिनलों और डिपो** में इसे स्थापित किया जा रहा है।

महत्व : यात्रा के दौरान महिलाओं को होने वाली अचानक समस्याओं, असुरक्षा और झिझक को दूर करना।

राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 3.0

चर्चा में क्यों?

यह अभियान **1 अक्टूबर 2026** को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाना है।

अभियान के मुख्य बिंदु:

- **शुरुआत:** 1 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
- **संचालन संस्थाएं:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (**PNGRB**) तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
- **प्रमुख उद्देश्य:**
  - **PNG कनेक्शन का विस्तार:** घरोंऔर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पाइपलाइन प्राकृतिक गैस के कनेक्शन को तेजी से बढ़ाना।
  - **LPG पर निर्भरता कम करना:** पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरों के बजाय सुरक्षित, निरंतर और सुविधाजनक पाइप वाली गैस (PNG) के उपयोग को बढ़ावा देना।
  - **गैस-आधारित अर्थव्यवस्था:** भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर देश को पर्यावरण-अनुकूल 'गैस-आधारित अर्थव्यवस्था' की ओर ले जाना।
  - **CGD बुनियादी ढांचे का उपयोग:** देश भर की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के नेटवर्क व बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- **विशेष डिजिटल पहल:** अभियान के साथ ही **'MyPNG Portal'** नाम से एक एकीकृत डिजिटल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, ताकि उपभोक्ता आसानी से नए PNG कनेक्शन, सेवाओं और जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन व ट्रैक कर सकें।

एकीकृत परिवहन एवं रसद प्राधिकरण (ITLA)

चर्चा में क्यों?

एकीकृत परिवहन एवं रसद प्राधिकरण (Integrated Transport and Logistics Authority - ITLA) की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 अक्टूबर 2026 को मंजूरी दी गई।

मुख्य बिंदु:

- **उद्देश्य:** यह भारत के तेजी से बढ़ते परिवहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत और एकीकृत करने के लिए एक शीर्ष संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगा।
- **स्वरूप:** यह 'पीएम गतिशक्ति' और 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति' को लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- **मास्टर प्लान:** सभी परिवहन माध्यमों (रोड, रेल, एयर, वॉटरवे) को मिलाकर **10+ वर्ष का 'राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान'** बनाएगी।
- **मूल्यांकन सीमा:** भारत सरकार की **₹500 करोड़ या उससे अधिक** लागत वाली परियोजनाओं का केवल **तकनीकी मूल्यांकन** और निगरानी करेगी।
- **NTDR (डेटाबेस):** इसके तहत एक 'राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार' बनेगा, जो FASTag, VAHAN और GST ई-वे बिल के डेटा को एक जगह जोड़कर रसद की रियल-टाइम ट्रैकिंग करेगा।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली से ₹11,440 करोड़ के बजट आवंटन के साथ **दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31)** का शुभारंभ किया।

मिशन के मुख्य लक्ष्य (Targets by 2030-31):

- **उत्पादन लक्ष्य:** घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ाकर **350 लाख टन** करना।
- **क्षेत्रफल का विस्तार:** खेती का रकबा 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना, जिसमें राइस फैलो और अंतर-फसल का उपयोग शामिल है।
- **उत्पादकता/उपज:** दलहन की उत्पादकता बढ़ाकर **1,130 किग्रा/हेक्टेयर** करना।
- **पूर्ण आत्मनिर्भरता:** दिसंबर 2027 तक तूर (अरहर), उड़द और मसूर में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना।

परिचालन रणनीति और प्रमुख घटक:

- **100% खरीद गारंटी:** अगले 4 वर्षों तक **PM-AASHA** के तहत NAFED और NCCF द्वारा तूर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 100% सुनिश्चित खरीद।
- **गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण:** किसानों को 88 लाख मुफ्त बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण।
- **साथी (SATHI) पोर्टल:** *Seed Authentication, Traceability & Holistic Inventory* पोर्टल (NIC और कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित) के माध्यम से संपूर्ण बीज जीवन चक्र का स्वचालन और बीजों की ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करना।
- **मूल्य संवर्धन:** 1,000 प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना (प्रति इकाई ₹25 लाख तक की सब्सिडी)।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)

चर्चा में क्यों?

11 अक्टूबर 2026 को 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' (PMDDKY) ने कार्यान्वयन का अपना पहला वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया।

योजना का अवलोकन

- **स्वीकृति एवं शुभारंभ:** केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई 2025 को 6 वर्ष की अवधि (2025-26 से 2030-31) के लिए स्वीकृत तथा 11 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से शुरू की गई।
- **लक्ष्य एवं दायरा:** देश के **100 आकांक्षी कृषि जिलों** में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का रूपांतरण करना।
- **चयन के 3 मुख्य पैमाने:** कम उत्पादकता, कम फसल सघनता, और कृषि ऋण की कम पहुंच। (प्रत्येक राज्य/यूटी से कम से कम एक जिला शामिल)।
- **अभिसरण:** 11 मंत्रालयों/विभागों की **36 केंद्रीय योजनाओं**, राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र (CSR) की भागीदारी का एकीकरण।
- **त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचा:**
  - **जिला स्तर:** जिला कलेक्टर/डीएम की अध्यक्षता में 'जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति'।
  - **राज्य स्तर:** राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 'राज्य धन-धान्य कृषि योजना समिति'।
  - **राष्ट्रीय स्तर:** केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय कार्यकारी समिति' और DA&FW (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) के सचिव की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय निगरानी समिति'।
- **निगरानी एवं रैंकिंग प्रणाली:**
  - **डैशबोर्ड एवं संकेतक:** 36 योजनाओं के तहत **121 संकेतकों** (74 आउटपुट और 47 आउटकम) के माध्यम से प्रगति की निगरानी के लिए PM-DDKY डैशबोर्ड (pmddky.niti.gov.in) संचालित है।
  - **रैंकिंग:** आउटपुट संकेतकों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन की **मासिक रैंकिंग** की जाती है।
- **सफल जमीनी उदाहरण:**
  - **गढ़चिरौली (महाराष्ट्र):** चावल प्रसंस्करण एवं 900 MT गोदाम से 'जय श्री राम' किस्म के स्थानीय मूल्य संवर्धन में सफलता।
  - **तुमकुरु (कर्नाटक):** बॉल कोपरा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज से बेहतर मूल्य प्राप्ति।
  - **जैसलमेर (राजस्थान):** सौर ऊर्जा संचालित स्प्रिंकलर सिंचाई और IPM तकनीक से जीरा खेती में जल संरक्षण।

पीएम गतिशक्ति के 5 वर्ष: भारत में बुनियादी ढांचा योजना का रूपांतरण

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर 2021 को शुरू किए गए **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP)** ने 12 अक्टूबर 2026 को अपने सफल 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्तमान में यह 58 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है।

परिचय और उद्देश्य:

पीएम गतिशक्ति को **13 अक्टूबर, 2021** को बुनियादी ढांचे के विकास की योजना को एकीकृत करने और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य: विभिन्न मंत्रालयों के बीच की दूरियों को खत्म कर, **लॉजिस्टिक्स लागत** को कम करना।

महत्त्व: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 13-14% है, जिसे वैश्विक मानकों के अनुरूप 8-9% तक लाने का लक्ष्य है।

मूल संरचना एवं 7 प्रमुख इंजन:

- **6 मार्गदर्शक सिद्धांत:** एकीकृत विकास, मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, त्वरित भूमि अधिग्रहण, न्यूनतम मंजूरियां और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।
- **7 बुनियादी ढांचा इंजन:** सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और रसद (लॉजिस्टिक्स) बुनियादी ढांचा।
- **त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा:**
  1. **सशक्त सचिव समूह:** कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करता है।
  2. **नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप:** बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के योजना प्रमुखों को मिलाकर बना समूह, जो परियोजनाओं का मूल्यांकन व एकीकरण करता है। (11 अगस्त 2026 तक NPG ने ~₹18.66 लाख करोड़ की 396 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है)।
  3. **तकनीकी सहायता इकाई (TSU):** विषय विशेषज्ञों की टीम जो मूल्यांकन प्रक्रिया और गतिशक्ति सचिवालय में सहायता करती है।

पूरक पहलें एवं डिजिटल एकीकरण:

- **ITLA (एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण):** 10-वर्षीय 'राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान' तैयार करने और ₹500 करोड़ या अधिक की परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत।
- **गतिशक्ति विश्वविद्यालय (GSV), वडोदरा:** परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए 2022 में स्थापित पहला समर्पित विश्वविद्यालय (जुलाई 2026 तक 2.4 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया)।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म (ULIP & LDB):** यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (12 मंत्रालयों के 46 सरकारी प्रणालियों से 142 APIs द्वारा जुड़ा) और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (EXIM कंटेनरों की रियल-टाइम ट्रैकिंग)।

प्रमुख जमीनी उदाहरण:

- **पुणे-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे (699 किमी):** जीआईएस अलाइनमेंट संशोधन से वन भूमि आच्छादन में 19% की कमी, यात्रा समय में 7-8 घंटे की बचत और प्रतिवर्ष ~39 करोड़ किग्रा कार्बन उत्सर्जन में कमी।
- **जोगीघोपा मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (असम):** पूर्वोत्तर में सड़क, रेल और जलमार्ग से निर्बाध कार्गो आवाजाही के लिए ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर निर्मित।
- **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (लद्दाख-हरियाणा):** पांग (लद्दाख) से कैथल (हरियाणा) तक 480 किमी HVDC ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से 13 GW नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी व ग्रिड एकीकरण।

भव्या योजना

चर्चा में क्यों?

भव्या योजना भारत में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (**DPIIT**) द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत देश भर में आधुनिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

योजना के मुख्य बिंदु:

- **पूरा नाम: Bharat Audyogik Vikas Yojna (BHAVYA)**
- **शुरुआत:** इस योजना को **अप्रैल 2026** में DPIIT द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- **अवधि:** यह योजना वित्तीय वर्ष **2026-27 से 2031-32** तक कुल 6 वर्षों के लिए लागू की गई है।
- **कुल बजट:** इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए **₹33,660 करोड़** का परिव्यय तय किया गया है।
- **मंत्रालय व कार्यान्वयन संस्था:** यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत **DPIIT** द्वारा संचालित है। इसकी निगरानी और संचालन **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC)** कर रहा है।
- **मुख्य लक्ष्य:** देश भर के शहरी केंद्रों के समीप **100 'प्लगप्ले-एंड-' औद्योगिक पार्क** विकसित करना।

- **उद्देश्य:** निवेशकों को तैयार बुनियादी सुविधाएं (भूमि, बिजली, पानी, सड़क) देना, घरेलू उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना और **पीएम गतिशक्ति** के माध्यम से लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना।
- **वित्तीय सहायता:**
  - राज्य/CPSE मॉडल में: **₹1 करोड़ प्रति एकड़** तक।
  - निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में: **₹50 लाख प्रति एकड़** तक।
- **भूमि मानदंड:** सामान्य राज्यों में कम से कम **100 एकड़** तथा पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम **25 एकड़** भूमि अनिवार्य।

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY)

चर्चा में क्यों?

अक्टूबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) को अगले 5 वर्षों (2026-27 से 2030-31) के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके तहत योजना का नाम बदलकर **'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' (PMSSY)** कर दिया गया है। साथ ही इसके तहत मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन के नियमों को बेहद आसान और व्यापक बनाया गया है।

योजना के मुख्य बिंदु

- **मूल शुरुआत व मंत्रालय:** यह मूल रूप से 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई एक केंद्रीय कल्याणकारी योजना है, जिसे **ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा संचालित किया जाता है।
- **नया बजट आवंटन:** वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए कुल **₹53,428 करोड़** का वित्तीय परिव्यय मंजूर किया गया है, जिससे लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को मदद मिलेगी।
- **उप-योजनाओं का नया नामकरण:** योजना से "इन्दिरा गांधी" प्रीफिक्स हटाकर निम्नलिखित नाम दिए गए हैं:
  - **प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना** (पहले IGNOAPS)
  - **प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना** (पहले IGNWPS)
  - **प्रधानमंत्री दिव्यांगjan पेंशन योजना** (पहले IGNDPS)
  - **प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना** (पहले NFBS - मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर ₹20,000 की एकमुश्त सहायता)
  - **अन्नपूर्णा योजना** (वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो मुफ्त अनाज - नाम यथावत रहेगा)

दिव्यांगता पेंशन में हुए प्रमुख बदलाव:

- **पात्रता में ढील:** दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा को **80% से घटाकर 40%** कर दिया गया है।
- **आयु सीमा समाप्त:** दिव्यांग पेंशन के लिए पहले न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना जरूरी था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब पात्र बच्चे को **जन्म से ही** इसका लाभ मिल सकेगा।
- **पेंशन राशि में वृद्धि:** केंद्रीय सहायता राशि को बढ़ा दिया गया है:
  - 0 से 79 वर्ष के लाभार्थियों के लिए: ₹300 से बढ़ाकर **₹375 प्रति माह**।
  - 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए: ₹500 से बढ़ाकर **₹625 प्रति माह**।

पम्प-स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाएं

चर्चा में क्यों?

भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता के **300 GW** के आंकड़े को पार कर लिया है (2030 तक 500 GW का लक्ष्य)। नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता को संतुलित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने 2031-32 तक **73.93 GW** भंडारण क्षमता का अनुमान लगाया है।

पम्प-स्टोरेज (PSP) बनाम बैटरी (BESS) भंडारण:

- **BESS (बैटरी):** अल्पकालिक भंडारण, त्वरित प्रतिक्रिया (फ्रीक्वेंसी विनियमन और ग्रिड संतुलन)।
- **PSP (जल आधारित):** दीर्घकालिक भंडारण, बड़े पैमाने पर बिजली का समय-शिफ्टिंग और दीर्घकालिक ग्रिड स्थिरता।

PSPs के वर्गीकरण:

1. **ऑन-स्ट्रीम:** दोनों जलाशय (ऊपरी व निचला) किसी नदी या बारहमासी नाले पर स्थित होते हैं।
2. **ऑफ-स्ट्रीम ओपन-लूप:** एक जलाशय नदी पर और दूसरा जलाशय नदी या बारहमासी नाले से दूर होता है।
3. **ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप:** दोनों जलाशय किसी भी नदी या प्राकृतिक जल निकाय पर स्थित नहीं होते।

भारत की वर्तमान स्थिति एवं क्षेत्रीय क्षमता:

- **वर्तमान परिचालन क्षमता:** अगस्त 2026 तक भारत में **7.43 GW** परिचालन में है।
- **वैश्विक रैंकिंग:** भारत चीन (~66 GW), जापान (~22 GW) और अमेरिका (~19 GW) के बाद विश्व में चौथे स्थान पर है।
- **कुल पहचाना गया संभावित भंडार:** भारत में 320 परियोजनाओं के तहत **345.38 GW** क्षमता की पहचान की गई है।
- **सर्वाधिक संभावित क्षेत्र: पश्चिम क्षेत्र (129.72 GW)**, जिसमें पश्चिमी घाट की स्थलाकृति के कारण महाराष्ट्र (67.36 GW) और गुजरात (33.36 GW) शीर्ष पर हैं।
- **दीर्घकालिक रोडमैप:** 2035-36 तक कुल **105.56 GW** संचयी PSP क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।

प्रमुख सरकारी नीतियां एवं प्रोत्साहन:

- **समर्पित दिशानिर्देश:** अप्रैल 2023 में 'प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ पम्प-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स' दिशानिर्देश अधिसूचित।
- **ISTS शुल्क छूट:** 30 जून 2028 तक निर्माण के लिए स्वीकृत PSPs को 25 वर्षों के लिए अंतर्राज्यीय संचरण (ISTS) शुल्क में **100% छूट**।
- **CEA त्वरित मंजूरी:** DPR मंजूरी समय सीमा 90 दिनों से घटाकर **50 दिन** की गई। अंतर-राज्यीय पहलुओं की clearance की आवश्यकता समाप्त की गई।
- **CEA वित्तीय सीमा में संशोधन (अगस्त 2025):** जलविद्युत परियोजनाओं के लिए CEA की सहमति हेतु पूंजीगत व्यय सीमा बढ़ाकर **₹3,000 करोड़** की गई। *ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप PSPs को पूंजीगत व्यय की सीमा से परे CEA की सहमति से पूरी तरह छूट दी गई है।*
- **पर्यावरण छूट:** पात्र ऑफ-स्ट्रीम परियोजनाओं को MoEF&CC द्वारा **B2 श्रेणी** में रखकर त्वरित पर्यावरण मंजूरी का प्रावधान।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत'

भारत सरकार की एक प्रमुख और दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ कर **राष्ट्रीय एकता और अखंडता** को मजबूत करना है।

योजना के बारे में

शुरुआत	**31 अक्टूबर 2015** (सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती / राष्ट्रीय एकता दिवस पर)
नोडल मंत्रालय	**शिक्षा मंत्रालय** (यह 16 अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है)
मूल दर्शन	**विविधता में एकता**
मुख्य तंत्र	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी**

- **मूल उद्देश्य:** विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई आदान-प्रदान के जरिए **राष्ट्रीय एकता** को मजबूत करना।
- **कार्यप्रणाली:** इसके तहत राज्यों/UTs की **जोड़ियाँ** बनाई जाती हैं (जैसे: महाराष्ट्र + ओडिशा), जो एक साल तक आपस में भाषा, पर्यटन, भोजन और संस्कृति साझा करते हैं।
- **प्रमुख उप-पहल: 'भाषा संगम'** (8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को सिखाना) और **'युवा संगम'** (युवाओं का सांस्कृतिक भ्रमण)।

'कैच द रेन' अभियान एवं जल संचय जन भागीदारी

चर्चा में क्यों?

1 जून 2026 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के साथ एकीकृत करते हुए **'जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन 2026'** की शुरुआत की गई है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन का विकास

- **शुभारंभ:** 22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस) के अवसर पर शुरू।
- **वार्षिक विषय (Themes):**
  - **2021:** *"Catch the Rain, Where It Falls, When It Falls"*
  - **2022:** *Expanding Water Conservation Activities*
  - **2023:** *Source Sustainability for Drinking Water*
  - **2024:** *Nari Shakti se Jal Shakti*

जल संचय जन भागीदारी (JSJB) पहल का चरणबद्ध विकास:

- **JSJB 1.0 (1 अप्रैल 2024 – 31 मई 2025):** 3Cs सिद्धांत—**Community, CSR, and Cost** पर आधारित। 10 लाख से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण और 27 लाख से अधिक कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की रिपोर्टिंग हुई।
- **JSJB 2.0 (1 जून 2025 से लागू):** अति-दोहित और संकटग्रस्त जिलों में कम लागत वाले हाइपर-लोकल पुनर्भरण उपायों पर केंद्रित।

- **JSJB प्रभाव मूल्यांकन:** 1.55 करोड़ से अधिक कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिससे **2.43 अरब घन मीटर (BCM)** भूजल पुनर्भरण का अनुमान है।

JSJB: CTR 2026 एवं योजना अभिसरण: वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G), पीएम कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' व जल निकायों का जीर्णोद्धार, कैम्पा फंड तथा वित्त आयोग अनुदान।

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY)

चर्चा में क्यों?

अक्टूबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमीनी स्तर के शासन और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को मजबूत करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है।

योजना के मुख्य बिंदु

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **अवधि:** वित्तीय वर्ष **2026-27 से 2030-31** तक।
- **कुल बजट व हिस्सेदारी:** कुल परिव्यय **₹7,395.55 करोड़** है।
  - केंद्र की हिस्सेदारी: ₹4,869.48 करोड़
  - राज्यों की हिस्सेदारी: ₹2,526.07 करोड़
- **लक्षित दायरा:** सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2.55 लाख से अधिक पंचायत और पारंपरिक स्थानीय निकाय (इसमें छठी अनुसूची और गैर-भाग IX वाले क्षेत्र भी शामिल हैं)।
- **लाभार्थी:** लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मचारी और जमीनी स्तर के हितधारक।
- **प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म:**
  - **e-GramSwaraj:** वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के लिए।
  - **AuditOnline:** समयबद्ध ऑनलाइन वित्तीय ऑडिट के लिए।
- **योजना के छह स्तंभ:** स्थानीय शासन केंद्र, समग्र योजना, डिजिटल गवर्नेंस, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़ाव, क्षमता निर्माण, और संसाधनों का पारदर्शी उपयोग।

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)

- **पूरा नाम:** Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY)
- **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** भारत में वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण करना ताकि वे स्वस्थ, गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सकें।
- **पृष्ठभूमि:** यह योजना पहले 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' के नाम से जानी जाती थी, जिसे अप्रैल 2021 में नया नाम और स्वरूप दिया गया। 2036 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी **23 करोड़** पहुंचने का अनुमान है।

योजना के प्रमुख घटक:

- **IPSrC (Integrated Programme for Senior Citizens):** वृद्धाश्रमों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता।
- **SAPSrC (State Action Plan for Senior Citizens):** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार बुजुर्गों के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY):** बीपीएल (BPL) श्रेणी या ₹15,000 मासिक आय तक के विकलांग बुजुर्गों को मुफ्त सहायक उपकरण (जैसे व्हीलचेयर, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत) प्रदान करना।
- **SCOPE (Senior Citizen Opportunities for Productive Engagement):** बुजुर्गों को सक्रिय रखने और उनके अनुभव का रचनात्मक उपयोग करने के अवसर देना।
- **SAGE (Seniorcare Ageing Growth Engine):** बुजुर्गों की देखभाल के लिए नए उत्पाद और सेवाएं बनाने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।
- **एल्डरलाइन (14567):** वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय मुफ्त हेल्पलाइन नंबर, जो सूचना, भावनात्मक सहयोग और शिकायतों का निवारण प्रदान करता है।

SMILE योजना

- **पूरा नाम: Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (**"आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता")
- **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- **लॉन्च तिथि व प्रकार: 12 फरवरी 2022** को शुरू की गई एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- **मुख्य उद्देश्य:** ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास के माध्यम से सामाजिक समावेशन प्रदान करना।

दो प्रमुख उप-योजनाएं (Sub-Schemes):

1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास:

- **पहचान व दस्तावेज:** राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ट्रांसजेंडर पहचान पत्र प्रदान करना।
- **शिक्षा:** कक्षा 9 से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएशन तक के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
- **स्वास्थ्य (PM-JAY):** आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर और जेंडर-रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए वित्तीय सहायता।
- **आश्रय (गरिमा गृह):** बेघर ट्रांसजेंडरों के लिए भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं से युक्त **'गरिमा गृह'** की स्थापना।
- **सुरक्षा:** उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी और कानूनी सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में **ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ** का गठन।

2. भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास:

- **सर्वेक्षण व रेस्क्यू:** भीख मांगने में लगे लोगों की पहचान करना, उनका रेस्क्यू करना और मनोवैज्ञानिक परामर्श देना।
- **पुनर्वास:** मौजूदा आश्रय गृहों का उपयोग या नए आश्रय गृहों का निर्माण करना।
- **आजीविका:** उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शहरी/ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NULM/NRLM) के सहयोग से कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

नमस्ते योजना (NAMASTE Yojana)

- **पूरा नाम: National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE)**
- **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक **संयुक्त पहल**।
- **लॉन्च व प्रकृति:** यह वर्ष 2023 में शुरू की गई एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम।
- **मूल उद्देश्य:** सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई में इंसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी को पूरी तरह समाप्त कर **शून्य मृत्यु दर** का लक्ष्य हासिल करना और स्वच्छता कार्यों का 100% यंत्रीकरण करना।

योजना के प्रमुख घटक और लाभ:

- **प्रोफाइलिंग और डेटाबेस:** सीवर/सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSW) की पहचान कर उन्हें एक यूनिक **'नमस्ते आईडी'** (NAMASTE ID) देना और राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना।
- **सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा:** चिन्हित श्रमिकों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना (**AB-PMJAY**) के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर तथा सुरक्षा के लिए पीपीई (PPE) किट प्रदान करना।
- **आजीविका व उद्यमिता:** स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करना तथा स्वच्छता से जुड़े आधुनिक वाहन/मशीनरी खरीदने के लिए **रियायती ऋण व पूंजीगत सब्सिडी** देना, ताकि वे 'स्वच्छता उद्यमी' बन सकें।
- **संस्थागत ढांचा (ERSU):** किसी भी आपातकालीन या खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में 'आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों' को मजबूत करना।

महत्वपूर्ण पुरस्कार (Important Awards)

नोबेल पुरस्कार 2026

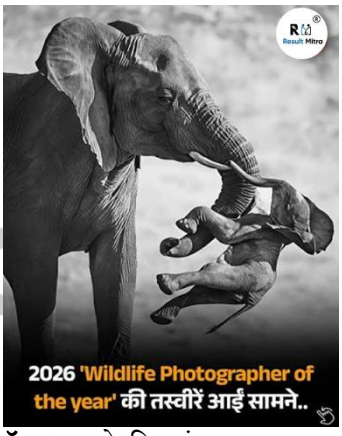
चर्चा में क्यों?

वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं, जिनकी शुरुआत **पहली बार वर्ष 1901** में हुई थी।

वर्ष 2026 के नोबेल पुरस्कार विजेता (सूची)

क्षेत्र / विषय	विजेता	सम्बंधित देश	मुख्य योगदान / खोज
चिकित्सा	कार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन, और जॉर्ज नागेल	अमेरिका और जर्मनी	**ऑप्टोजेनेटिक्स** तकनीक के विकास और **लाइट-गेटेड आयन चैनल** की खोज के लिए, जिससे प्रकाश की मदद से जीवित मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को नियंत्रित किया जाता है।
भौतिकी	फ्रांसिस हालसेन	बेल्जियम / अमेरिका	**आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला** में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले **उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो** की खोज के लिए।
रसायन विज्ञान	हेनरी बी. कागन और केंसो सोई	फ्रांस और जापान	**असममित कार्बनिक संश्लेषण (Asymmetric Organic Synthesis)** में गैर-रेखीय प्रभावों (Non-linear effects) और **ऑटो-कैटालिसिस** की खोज के लिए।
साहित्य	ऐन कार्सन	कनाडा (कवयित्री, निबंधकार और अनुवादक)	उनके बोल्ड और नवीन कार्यों के लिए, जिसने **शास्त्रीय साहित्य, प्राचीन यूनानी और रोमन प्रेरणा** पर आधारित गहन लेखन से आधुनिक साहित्य के लिए नए रूप गढ़े हैं।
शांति	नवनेथेम "नवी" पिल्ले	दक्षिण अफ्रीका (भारतीय तमिल मूल)	वैश्विक स्तर पर शांति, **मानवाधिकारों के संरक्षण** और **अंतरराष्ट्रीय कानून** को बढ़ावा देने की कोशिशों और दीर्घकालिक प्रयासों के लिए।
अर्थशास्त्र	रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड	**संयुक्त राज्य अमेरिका** (स्टैनफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी)	व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण के सूक्ष्म आर्थिक आधारों—**मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलाइज़ेशन के माइक्रोइकोनॉमिक फाउंडेशन** और मौद्रिक/राजकोषीय नीतियों पर कार्य के लिए।

वाइल्डलाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर 2026



चर्चा में क्यों?

लंदन के **नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम** द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'वाइल्डलाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर 2026' प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है।

नियामक व आयोजक संस्था

- **नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, लंदन:** यह वैश्विक संस्था प्रतिवर्ष प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन करती है।

प्रमुख पुरस्कार और विजेता

- **मुख्य खिताब (Grand Title Winner):** इटैलियन फ़ोटोग्राफ़र **फेडेरिको वेरोनेसी** ने अपनी उत्कृष्ट फ़ोटोग्राफ़ **'द आफ्टरमैथ'** के लिए मुख्य वाइल्डलाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर का खिताब जीता।
- **युवा मुख्य खिताब (Young Grand Title Winner): ऑस्कर व्हिटफील्ड** ने अपनी शानदार फ़ोटोग्राफ़ **'लेबर ऑफ़ लव'** के लिए यंग वाइल्डलाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया।

SIDM चैंपियन पुरस्कार 2026

चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) के 8वें वार्षिक सत्र में **SIDM चैंपियन पुरस्कार 2026** प्रदान किए।

- **किसने प्रदान किया:** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में
- **आयोजन:** सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) का **8वां वार्षिक सत्र**
- **कुल पुरस्कार: 15 संगठनों** को चैंपियन पुरस्कार दिए गए
- **मुख्य उद्देश्य:** स्वदेशी रक्षा विनिर्माण, उत्पाद नवाचार, डिजाइन, आयात प्रतिस्थापन, विनिर्माण उत्कृष्टता और निर्यात को बढ़ावा देना।
- **मुख्य विजेता: अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस** को रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में 'निर्यात प्रदर्शन' के लिए यह पुरस्कार मिला (कानपुर इकाई द्वारा नाटो मानकों के गोला-बारूद निर्यात हेतु)।



रक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े

- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड **₹38,424 करोड़** तक पहुंच गया।
- सरकार का लक्ष्य रक्षा निर्यात को **वर्ष 2029 तक ₹50,000 करोड़** तक पहुंचाना है।
- रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मौजूदा 24% से बढ़ाकर **50% करने का आह्वान** किया गया।

कैप्टन स्मित मच्छर को UAE का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान

- **पुरस्कार: फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद II**
- **कारण:** फ्लाईदुबई विमान (FZ1073) में को-पायलट के हमले के बाद, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 170+ यात्रियों की जान बचाई और सऊदी अरब में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई।
- **विशेष तथ्य:** कैप्टन स्मित मच्छर यह सम्मान पाने वाले **तीसरे भारतीय** हैं। इनसे पहले पूर्व भारतीय राजदूत नवदीप सिंह सूरी (2019) और संजय सुधीर (2025) को यह सम्मान मिल चुका है।
- **पुरस्कार के बारे में:** यह UAE का एक उच्च स्तरीय नागरिक सम्मान है, जो राजनयिकों, वरिष्ठ अधिकारियों और असाधारण सेवा या वीरता दिखाने वाले नागरिकों को दिया जाता है। यह सम्मान **'ऑर्डर ऑफ जायद' (जो कि UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है)** से अलग है।



अक्टूबर 2026 के महत्वपूर्ण दिवस

तारीख	महत्वपूर्ण दिवस	थीम / विषय (2026)
02 अक्टूबर	गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस	—
04 अक्टूबर	विश्व पशु दिवस	दुनिया को उनकी नज़रों से देखें
05 अक्टूबर	विश्व शिक्षक दिवस	—
06 अक्टूबर	वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे	यूनिक और यूनाइटेड
10 अक्टूबर	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस	सुने गए अनुभव: असली आवाज़ें, असली बदलाव
15 अक्टूबर	विश्व छात्र दिवस	—
16 अक्टूबर	विश्व खाद्य दिवस	आज नया करें। कल को पोषण दें
24 अक्टूबर	विश्व पोलियो दिवस	एक दिन। एक फोकस: पोलियो को खत्म करना

खेल (Sports)

20वें एशियाई खेल 2026: आइची-नागोया (जापान)

चर्चा में क्यों?

20वें एशियाई खेलों का आयोजन **19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची-नागोया** में किया गया। तोक्यो (1958) और हिरोशिमा (1994) के बाद जापान ने तीसरी बार इन खेलों की मेजबानी की है। इस बार का आधिकारिक नारा (Motto) **"एक एशिया की कल्पना करें" (Imagine One Asia)** था।

आयोजन के मुख्य बिंदु

- **प्रतियोगिता का पैमाना:** 16 दिनों तक चले इन खेलों में 43 खेल, 71 विधाएं और 469 आयोजनों के तहत कुल 1,407 पदक दांव पर थे।
- **प्रतीक और शुभंकर:** आधिकारिक प्रतीक में बैंगनी रंग (**आईरिस फूल**), सोना (नागोया कैसल के किंशाची) और **हरे रंग** को दर्शाया गया है। इसका शुभंकर (Mascot) **"होनोहोन"** है, जो शचिहोको से प्रेरित है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** पहले एशियाई खेल **मार्च 1951 में नई दिल्ली** में आयोजित हुए थे, जिसका उद्घाटन डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह भारत के आईओसी सदस्य प्रो. जी.डी. सोंधी की कल्पना का परिणाम था, जिसमें 11 देशों ने हिस्सा लिया था।

भारतीय दल और ऐतिहासिक प्रदर्शन

- **अब तक का सबसे बड़ा दल:** भारत ने 36 खेल स्पर्धाओं में **501 एथलीटों** का अपना अब तक का सबसे बड़ा बहु-खेल दल भेजा, जिसमें 300 से अधिक एथलीट पदार्पण कर रहे थे।
- **ध्वजवाहक:** उद्घाटन समारोह के दौरान **मनु भाकर (शूटिंग) और पवन सेहरावत (कबड्डी)** ने भारतीय परेड का नेतृत्व किया।
- **पदक तालिका में स्थान:** भारत कुल **85 पदक** जीतकर पदक तालिका में **चौथे स्थान** पर रहा।
  - **स्वर्ण (Gold):** 21
  - **रजत (Silver):** 27
  - **कांस्य (Bronze):** 37

खेलवार प्रमुख सफलताएं

- **शीर्ष स्वर्ण पदक वाले खेल:** भारत को सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक **तीरंदाजी (5)**, शूटिंग (3), बॉक्सिंग (3), क्रिकेट (2), हॉकी (2), कबड्डी (2), और कुश्ती (2) में मिले।
- **क्रिकेट:** भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
- **हॉकी:** पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा।
- **कबड्डी:** भारत ने अपना दबदबा कायम रखते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता।

भारत का खेलवार पदक विवरण:

खेल	स्वर्ण	चाँदी (रजत)	कांस्य (पीतल)	कुल
एथलेटिक्स	1	9	14	24
शूटिंग (निशानेबाज़ी)	3	8	4	15
तीरंदाजी	5	2	2	9
मुक्केबाज़ी	3	0	3	6
कुश्ती	2	2	2	6
स्क्वाश	0	2	3	5
नाव चलाना / रोइंग	0	1	2	3
क्रिकेट	2	0	0	2
हॉकी	2	0	0	2
कबड्डी	2	0	0	2
गोल्फ़	1	1	0	2
भारोत्तोलन	0	1	0	1
वुशु	0	1	0	1
बैडमिंटन	0	0	1	1
कुराश	0	0	1	1
मिश्रित मार्शल आर्ट	0	0	1	1
सेपक टकरा	0	0	1	1
सॉफ्ट टेनिस	0	0	1	1
टेबल टेनिस	0	0	1	1



क्रम	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
01	चीन	169	89	83	341
02	जापान	83	95	91	269
03	द. कोरिया	39	43	68	150
04	भारत	21	27	37	85
05	उजबेकिस्तान	21	25	24	70
06	ईरान	19	18	15	52
07	थाईलैंड	18	13	21	52
08	कजाखस्तान	12	24	48	84
09	हांगकांग	11	19	24	54
10	बहरीन	11	05	06	22

5वें एशियाई पैरालंपिक खेल (ऐची-नागोया 2026)

चर्चा में क्यों?

जापान के ऐची-नागोया में **18 से 24 अक्टूबर 2026** तक आयोजित 5वें एशियाई पैरा खेलों में भारत ने **114 पदक जीतकर चौथा स्थान** हासिल किया, जो इसके इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।



सम्बंधित विवरण:

- **मेजबान देश:** ऐची-नागोया, जापान (जापान द्वारा पहली बार इन खेलों की मेजबानी)।
- **ध्येय वाक्य (Motto):** "इमेजिन वन हार्ट"
- **समारोह थीम:** "WABI: वी आर ब्यूटीफुल इंडिविजुअल्स"
- **आधिकारिक शुभंकर (Mascot):** उज़ुमिन
- **भागीदारी व प्रतियोगिताएं:** 45 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों ने भाग लिया, जिसमें 18 पैरा खेल शामिल थे।
- **आगामी संस्करण (6वाँ):** वर्ष 2030 में दोहा, कतर में आयोजित किया जाएगा।

वैश्विक पदक तालिका की स्थिति

- **प्रथम स्थान (शीर्ष):** चीन (कुल 435 पदक - 207 स्वर्ण, 117 रजत, 111 कांस्य)। चीन लगातार पाँचवीं बार शीर्ष पर रहा।
- **द्वितीय स्थान:** जापान (मेजबान)
- **तृतीय स्थान:** उज्बेकिस्तान
- **चतुर्थ स्थान:** भारत (कुल 114 पदक - 30 स्वर्ण, 35 रजत, 49 कांस्य)

भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन

- **ऐतिहासिक रिकॉर्ड:** भारत ने अपने खेल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार 100+ पदकों का आंकड़ा पार किया (हांग्झू 2022 में 111 पदक थे)।
- **उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक:** प्रमोद भगत (पैरा-बैडमिंटन) और सिमरन शर्मा (पैरा-एथलेटिक्स)
- **समापन समारोह ध्वजवाहक:** निषाद कुमार (पैरा-एथलेटिक्स) और मोना अग्रवाल (पैरा-शूटिंग)

प्रमुख भारतीय एथलीट और विशिष्ट उपलब्धियां

- **पैरा-एथलेटिक्स का दबदबा:** भारत के कुल पदकों में सबसे बड़ा योगदान पैरा-एथलेटिक्स (65 पदक) का रहा।
- **विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन:**
  - **मोना अग्रवाल (पैरा-शूटिंग):** महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (SH1) में नया **विश्व रिकॉर्ड** बनाकर स्वर्ण पदक जीता।
  - **संदीप (पैरा-एथलेटिक्स):** पुरुषों की 400 मीटर (T64) दौड़ में नया **विश्व रिकॉर्ड** स्थापित किया।
  - **हैनी (पैरा-एथलेटिक्स):** पुरुषों के भाला फेंक (F37/38) इवेंट में नया **विश्व रिकॉर्ड** बनाया।
- **ऐतिहासिक 'क्लीन स्वीप':** सचिन सरजेराव खिलाड़ी (शॉटपुट) ने पुरुषों के शॉटपुट इवेंट में 15.87 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता और भारत ने इस पूरी स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया।
- **गेम्स रिकॉर्ड:** दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर दौड़ में और सिमरन शर्मा ने 100 मीटर दौड़ में नए खेल रिकॉर्ड्स के साथ स्वर्ण पदक जीते।
- **ऐतिहासिक पहली उपलब्धि:** रवि बेबी सहाना और प्राची पांडे एशियाई पैरा खेलों की 'स्टैंडिंग कैटेगरी' में पदक (कांस्य) जीतने वाले **पहले भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी** बने।
- **शीतल देवी:** देश की प्रसिद्ध बिना हाथों वाली (Armless) तीरंदाज ने तीरंदाजी स्पर्धा में पदक हासिल कर गौरव बढ़ाया।

46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026

- **आयोजन स्थल:** समरकंद, उज्बेकिस्तान
- **विजेता (ओपन वर्ग): उज्बेकिस्तान** ने स्वर्ण, **भारत** ने रजत और जर्मनी ने कांस्य पदक जीता।
- **विजेता (महिला वर्ग): चीन** ने स्वर्ण, कजाकिस्तान ने रजत और **भारत** ने कांस्य पदक हासिल किया।
- **ट्रॉफी और कप:**
  - **नोना गैप्रिंदाश्विली कप:** दोनों वर्गों (ओपन + महिला) में सर्वश्रेष्ठ संयुक्त प्रदर्शन के लिए **भारत** को दिया गया।
- **भारतीय व्यक्तिगत प्रदर्शन:** बी. सविता श्री ने महिला वर्ग में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, जबकि डी. गुकेश को ओपन वर्ग के बोर्ड-4 पर रजत पदक मिला।
- **आगामी संस्करण:** 47वां शतरंज ओलंपियाड वर्ष 2028 में अबू धाबी (UAE) में आयोजित होगा।

41वां यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2026

- **संस्करण:** 41वां
- **आयोजन स्थल**: बुडवा (मोंटेनेग्रो)
- **निहाल सरीन** ने बोर्ड 2 के ओपन सेक्शन में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता।
- **कोनेरू हंपी** ने बोर्ड 2 में महिला वर्ग में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता।

आईसीसी मेन्स ओडीआई विश्व कप 2027:

चर्चा में क्यों?

आईसीसी (ICC) ने वर्ष 2027 में होने वाले **14वें पुरुष ओडीआई क्रिकेट विश्व कप** के पूरे कार्यक्रम, आयोजन स्थलों और बदले हुए नए प्रारूप की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

मुख्य विवरण

आयोजन वर्ष व तिथियां	2 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027
मेजबान देश	दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया (संयुक्त मेजबानी)
कुल टीमें	14 टीमें
नया प्रारूप (Format)	सुपर सीरीज (शुरुआती राउंड), ग्रुप स्टेज और 'सुपर' राउंड (नॉकआउट से पहले)
शुरुआत कहाँ से	नामीबिया की राजधानी विंडहोक से

विविध (Miscellaneous)

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना (IAF) का **29वां** वायुसेना प्रमुख (Chief of the Air Staff) नियुक्त किया है। उन्होंने **31 अक्टूबर 2026** को कार्यभार संभाला।

- **किसका स्थान लिया?** उन्होंने एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का स्थान लिया, जो 31 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त हुए।
- **अनुभव:** उनके पास मिराज-2000, मिग वेरिएंट, जगुआर, आईएल-78, हॉक और स्वदेशी लड़ाकू विमान **तेजस** सहित कई विमानों पर 3,500 से अधिक घंटों का उड़ान अनुभव है।
- **प्रमुख पूर्व पद:** वायुसेना प्रमुख का पद संभालने से ठीक पहले वे वायुसेना के उप-प्रमुख के रूप में कार्यरत थे।
- **मुख्य सम्मान:** उन्हें देश के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए **परम विशिष्ट सेवा मेडल**, अति विशिष्ट सेवा मेडल-2023, विशिष्ट सेवा मेडल-2011 और वायु सेना मेडल (2006) से सम्मानित किया जा चुका है।

नासा के पफिन्स मिशन का नेतृत्व करेंगी राम्या आंचे

चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु में जन्मी खगोलशास्त्री **राम्या आंचे** को नासा (NASA) के $20-मिलियन के नए स्पेस टेलीस्कोप मिशन **'पफिन्स'** का नेतृत्व करने के लिए 'प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर' चुना गया है।

- **मिशन का नाम और प्रकार: PUFFINS** (Polarimetry in the Ultraviolet to Find Features in Interstellar Dust)। यह नासा के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी 'एस्ट्रोफिजिक्स पायनियर्स प्रोग्राम' के तहत चुना गया एक छोटा उपग्रह मिशन है।
- **लॉन्च का लक्ष्य:** इस मिशन को वर्ष **2030** में लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मिशन का मुख्य उद्देश्य:**
  - यह मिशन तारों के बीच मौजूद धूल के सबसे महीन कणों का अध्ययन करेगा, जो लगभग एक सामान्य कोल्ड वायरस के आकार के होते हैं।
  - मिशन के दौरान एक 10-इंच का टेलीस्कोप लगभग 70 दूरस्थ तारों से आने वाले पराबैंगनी (Ultraviolet - UV) प्रकाश का अवलोकन करेगा।

- इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय धूल द्वारा नए तारों और ग्रहों के निर्माण की 50 साल पुरानी पहेली को सुलझाना है।
- **राम्या आंचे के बारे में:** वह वर्तमान में एरिजोना विश्वविद्यालय के स्टीवर्ड ऑब्जर्वेटरी में असिस्टेंट रिसर्च प्रोफेसर हैं। उन्होंने बेंगलुरु के देवनहल्ली से अपनी शिक्षा पूरी की और वर्ष 2012 में **भारतीय ताराभौतिकी संस्थान** से जुड़ी थीं।

नाना पाटेकर का निधन

चर्चा में क्यों?

मशहूर भारतीय अभिनेता, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता **नाना पाटेकर** का **8 अक्टूबर 2026** को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- **पद्म पुरस्कार:** कला और सिनेमा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष **2013 में पद्म श्री** से सम्मानित किया था।
- **राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार:** उन्होंने अपने पूरे करियर में कुल **3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार** जीते (फिल्म 'परिंदा' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, 'क्रांतिवीर' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 'अग्नि साक्षी' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता)।
- **फिल्मी शुरुआत व निर्देशन:** उनकी पहली हिंदी फिल्म **'गमन'** थी। इसके अतिरिक्त, बतौर निर्देशक उनकी पहली ऐतिहासिक फिल्म **'प्रहार: द फाइनल अटैक'** (1991) थी।
- **भारतीय सेना और कारगिल युद्ध में योगदान:** वे प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में मानद कैप्टन के पद पर रहे। उन्होंने मराठा लाइट इन्फैंट्री से प्रशिक्षण लिया था और **1999 के कारगिल युद्ध** के दौरान भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीम (QRT) के साथ फ्रंटलाइन पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सेवा दी थी।

जोगेन चौधरी का निधन

चर्चा में क्यों?

प्रख्यात भारतीय चित्रकार (Painter) और पूर्व राज्यसभा सांसद **जोगेन चौधरी** का कोलकाता के एक निजी अस्पताल में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- **जन्म और शिक्षा:** 15 फरवरी 1939 को फरीदपुर (अब बांग्लादेश में)।
- **कलात्मक शैली व विशेषता:**
  - उन्हें समकालीन भारतीय कला का एक दिग्गज माना जाता था।
  - उनकी पेंटिंग मुख्य रूप से **मानव रूपों** पर आधारित होती थीं, जो अक्सर राजनीति और समाज पर एक तीखा व्यंग्य (Satire) होती थीं।
  - दिल्ली आर्ट गैलरी के अनुसार, उन्होंने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से मानव रूप को एक अनूठी "एक्स-रे दृष्टि" से प्रस्तुत किया।
- **प्रमुख पद व सम्मान:**
  - **राष्ट्रपति भवन:** उन्होंने राष्ट्रपति भवन में 'कीपर ऑफ आर्ट' के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं।
  - **शांतिनिकेतन:** वर्ष 1987 में वे विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन के कला संकाय से जुड़े।
  - **बंग विभूषण:** पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें 2012 में राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक **'बंगा विभूषण'** से सम्मानित किया था।
- **राजनीतिक करियर:** वे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर **2014 से 2020 तक राज्यसभा के सदस्य (MP)** रहे थे।

ब्रिटिश उपन्यासकार जेफरी आर्चर का निधन

चर्चा में क्यों?

मशहूर ब्रिटिश लेखक और पूर्व राजनीतिज्ञ **लॉर्ड जेफरी आर्चर** का **5 अक्टूबर 2026** को 86 वर्ष की आयु में उनके लंदन स्थित घर पर निधन हो गया है। उनका निधन उनके अंतिम उपन्यास **'आदम एंड ईव'** के वैश्विक विमोचन से ठीक एक दिन पहले हुआ।

साहित्यिक यात्रा:

- उनका लेखन करियर करीब पांच दशकों तक चला, जिसमें उन्होंने दुनिया भर में 300 मिलियन से अधिक किताबें बेचीं।
- उनका पहला प्रसिद्ध उपन्यास **'नॉट अ पेनी मोर, नॉट अ पेनी लेस'** 1976 में आया था।
- उनका सबसे लोकप्रिय और कालजयी उपन्यास **'केन एंड एबल'** माना जाता है।
- जेल में बिताए समय के अनुभवों पर उन्होंने तीन खंडों की एक श्रृंखला **'ए प्रिज़न डायरी'** भी लिखी थी।

राजनीतिक करियर:

- वह ब्रिटेन की 'कंजर्वेटिव पार्टी' के एक प्रमुख नेता थे और प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के कार्यकाल में तेजी से उभरे।
- वर्ष 1992 में प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा उन्हें 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' के लिए नियुक्त किया गया था।
- वर्ष 2001 में कोर्ट में झूठी गवाही देने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया और उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी थी।

आरजे मिट्टे का निधन

चर्चा में क्यों?

अक्टूबर 2026 में, मशहूर अमेरिकी अभिनेता और दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता आरजे मिट्टे का **34 वर्ष की आयु में निधन** हो गया है।

- **प्रसिद्धि का कारण:** वे सुपरहिट वैश्विक टीवी ड्रामा सीरीज़ **'ब्रेकिंग बैड'** में मुख्य चरित्र वाल्टर व्हाइट के बेटे, **वाल्टर "फ्लिन" व्हाइट जूनियर** की जीवंत भूमिका निभाने के लिए दुनिया भर में मशहूर थे।
- **चिकित्सीय स्थिति (सेरेब्रल पाल्सी):** आरजे मिट्टे वास्तविक जीवन में सेरेब्रल पाल्सी (CP) नामक बीमारी से पीड़ित थे और उन्होंने पर्दे पर भी इसी स्थिति के साथ अभिनय किया था।
  - **तथ्य:** सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क के विकास में असामान्यता या क्षति के कारण होने वाला एक **न्यूरोलॉजिकल विकार** है। यह मुख्य रूप से व्यक्ति की शारीरिक गतिशीलता, मांसपेशियों के समन्वय और शरीर के संतुलन को प्रभावित करता है।
- **इन्क्लूजन अभियान:** वे स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड के "इन्क्लूजन इन द आर्ट्स एंड मीडिया विद पीपुल विद डिसेबिलिटीज" अभियान के आधिकारिक प्रवक्ता भी रहे, जिसका उद्देश्य मीडिया में दिव्यांगों के रूढ़िवादिता-मुक्त और सकारात्मक चित्रण को बढ़ावा देना है।

नमो भारत परिचालन के तीन सफल वर्ष

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (**NCRTC**) ने **17 अक्टूबर 2026** को नई दिल्ली में 'नमो भारत दिवस 2026' का आयोजन किया।

- **पूरा नाम:** रीजनलरैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS - Regional Rapid Transit System)
- **नोडल एजेंसी:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (**NCRTC** - केंद्र और राज्यों का संयुक्त उद्यम)।
- **मंत्रालय:** केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत।
- **पहला कॉरिडोर:** दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर (कुल लंबाई: **82 किमी**)।
- **महत्व:** देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (**RRTS**) कॉरिडोर 'नमो भारत' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्षेत्रीय आवागमन को सुगम, तीव्र और पर्यावरण-अनुकूल बनाकर शहरी परिवहन अवसंरचना में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है।

चर्चा में रही प्रमुख पुस्तकें (Books in News)

- **"The Architecture of Peace"**
  - **लेखक:** अमनदीप सिंह गिल (संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक)।
  - **विषय:** यह पुस्तक वैश्विक संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना की रणनीतियों पर आधारित है।
- **"Shifting Sands: The New Global Order"**
  - **लेखक:** डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम (प्रख्यात अर्थशास्त्री और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार)।
  - **विषय:** यह पुस्तक वैश्विक स्तर पर बदलते आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विकासशील देशों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डालती है।
- **"Resilient Bharat"**
  - **संकलनकर्ता:** गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA) के सहयोग से संकलित।
  - **विषय:** यह पुस्तक भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र, आपदाओं से निपटने की क्षमता और मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास की सफल कहानियों को बयां करती है।

Result Mitra